D.El.Ed.

DIPLOMA IN
ELEMENTARY EDUCATION

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि
(डी.एल.एड.)

शालेय संस्कृति, प्रबंधन एवं विकास

प्रथम वर्ष

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता और अखंडता]** सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि (डी.एल.एड.)

Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)

शालेय संस्कृति, प्रबंधन एवं विकास

प्रथम वर्ष

प्रकाशन वर्ष–2021

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,

छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकाशन वर्ष – 2021

शालेय संस्कृति, प्रबंधन एवं विकास

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

डी. राहुल वेंकट I.A.S.

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

पाठ्य सामग्री समन्वयक

डेकेश्वर प्रसाद वर्मा

विषय संयोजक

शिव कुमार वर्मा

विशेष सहयोग

हेमंत कुमार साव, संतोष कुमार तंबोली

पाठ्य सामग्री संकलन एवं लेखन

मनोज कुमार मजूमदार, कृष्णानंद पाण्डेय, विजया दयाल

आवरण एवं लेआउट

सुधीर कुमार वैष्णव, हिमांशु वर्मा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़, रायपुर उन सभी लेखकों/प्रकाशकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिनकी रचनाएँ/आलेख इस पुस्तक में समाहित है।

प्राक्कथन

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे भविष्य में राष्ट्र का स्वरूप व दिशा निर्धारण करते हैं तथा विद्यालय शिक्षक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में किसी अन्य विकासात्मक प्रसास की तरह समाज की बदलती आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं।

''शिक्षा बिना बोझ के'' यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) के अनुसार शिक्षकों की तैयारी के अपर्याप्त अवसर से स्कूल में अध्ययन–अध्यापन की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा कोठारी आयोग (64–66) से भी स्पष्ट है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों को बतौर पेशेवर तैयार करना अत्यंत जरूरी है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में भी शिक्षकों की बदलती भूमिका को रेखांकित किया गया है। आज एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों को जाने, समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को समझे, उनके सीखने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करें, उनके लिए उपयुक्त सामग्री व गतिविधियों का चुनाव करे, बच्चों की जिज्ञासा को बनाए रखें उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें उनके अनुभवों का सम्मान करें। तात्पर्य यह कि आज की जटिल परिस्थितियों में शिक्षकों की भूमिका कहीं अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व महत्वपूर्ण हो गई है।

इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक–शिक्षा को और कारगर बनाने की आवश्यकता है। शिक्षक–शिक्षा में आमूल–चूल परिर्वतन की आवश्यकता बताते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में शिक्षकों की भूमिका के संबंध में कहा गया है ''सीखने–सिखाने की परिस्थितियों में उत्साहवर्धक सहयोगी तथा सीखने को सहज बनाने वाले बनें जो अपने विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभाओं की खोज में, उनकी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं को पूर्णता तक जानने में, उनमें अपेक्षित सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों व चरित्र के विकास में तथा जिम्मेदार नागरिकों की भूमिका निभाने में समर्थ बनाएँ।''

प्रश्न यह है कि शिक्षक को तैयार कैसे किया जाए? बेहतर होगा कि विद्यालय में आने के पूर्व ही उसकी बेहतर तैयारी हो, इसके लिए उसे विद्यालय के अनुभव दिए जाएँ। इसीलिए शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम व विषयवस्तु को पुनः देखने की जरूरत महसूस हुई, और डी.एल.एड. के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है।

पाठ्यसामग्री का लक्ष्य शिक्षा की समझ, विषयों की समझ, बच्चों के सीखने के तरीके की समझ, समाज व शिक्षा का संबंध जैसे पहलुओं पर केन्द्रित है। पाठयक्रम में शिक्षण के तरीकों पर जोर देने के स्थान पर विषय की समझ को महत्व दिया गया है। साथ ही शिक्षा के दार्शनिक पहलू को समझने, पाठ्यचर्या के आधारों को पहचानने और बच्चों की पृष्ठभूमि में विविधता व उनके सीखने के तरीकों को समझने की शुरुआत की गई है।

चयनित पाठ्यसामग्री में कुछ लेखक/प्रकाशकों की पाठ्य सामग्री प्रशिक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखकर उनके मूल स्परूप को लिया गया है। कहीं–कहीं स्वरूप में परिवर्तन भी किया गया है, कुछ सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है। हमारा प्रयास यह है कि प्रबुद्ध लेखकों की लेखनी का लाभ हमारे भावी शिक्षकों को मिल सके। इग्नू और एन.सी.ई.आर.टी. सहित लेखकों/प्रकाशकों की पाठ्यसामग्री किसी भी रूप में उपयोग की गई है, हम उनके ह्रदय से आभारी हैं। हम विद्या भवन सोसायटी उदयपुर, दिगंतर जयपुर, एकलव्य भोपाल, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन बैंगलुरू, आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन पुणे, आई.आई.टी. कानपुर, छत्तीसगढ़ शिक्षा संदर्भ केन्द्र रायपुर के आभारी हैं जिनकी टीम ने एस.सी.ई.आर.टी. और डाइट/बी.टी.आई.के संकाय सदस्यों के साथ मिलकर पठन–सामग्री को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया।

अंत में पाठ्यसामग्री तैयार करने में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सहयोगियों का हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं। पाठ्यक्रम तैयार करने पाठ्य सामग्री के संकलन व लेखन कार्य से जुड़े लेखन समूह सदस्यों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके परिश्रम से पाठ्य सामग्री को यह स्वरूप दिया जा सका। पाठ्य–सामग्री के संबंध में शिक्षक –प्रशिक्षकों, प्रशिक्षार्थियों के साथ–साथ अन्य प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों के भी सुझावों व आलोचनाओं की हमें अधीरता से प्रतीक्षा रहेगी जिससे भविष्य में इसे और बेहतर स्वरूप दिया जा सके।

रायपुर
वर्ष 2021

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
छत्तीसगढ़,रायपुर

विषय सुची

इकाई	अध्याय	पृष्ठ क्रं
इकाई – 1	विद्यालय की संकल्पना	01 – 23

परिचय

उद्देश्य

1.1 विद्यालय की आवश्यकता एवं उद्देश्य

1.1.1 विद्यालय की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से

1.1.2 विद्यालय का महत्व

1.1.3 विद्यालय के उद्देश्य

1.2 विद्यालय की संकल्पना

1.2.1 मानवीय संसाधनों के संदर्भ में

1.2.2 भौतिक संसाधनों के संदर्भ में

1.2.3 वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में

1.2.4 प्रशासनिक संसाधनों के संदर्भ में

1.3 विद्यालय के आधार

1.3.1 अधोसंरचना कक्ष, मैदान, उपकरण आदि

1.3.2 विद्यालय के दार्शनिक आधार

1.3.3 विद्यालय के सामाजिक आधार

1.3.4 विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार

1.3.5 विद्यालय के प्रशासनिक आधार

1.3.6 प्रवेश प्रक्रिया

1.4 प्रभावी विद्यालयों की विशेषताएं

1.4.1 समाजिकता

1.4.2 स्तरीयता

1.4.3 परिणामत्कता

1.4.4 विश्वसनीयता

1.4.5 विकासात्मकता

1.5 विद्यालय और समाज का अंतर्संबंध

1.5.1 अभिभावक

1.5.2 समुदाय

1.5.3 विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका

1.6 कल्याणकारी योजनाएँ

1.7 विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में

1.7.1 समावेशी शिक्षा

विषय सुची

इकाई	अध्याय	पृष्ठ क्रं
इकाई – 2	**शिक्षा संचालन व्यवस्था**	**24 – 48**

परिचय

उद्देश्य

2.1 संवैधानिक प्रावधान

2.1.1 सूचियाँ

2.1.2 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE, 2009)

2.1.3 एन.सी.एफ.टी.ई.2009 की जानकारी National Curriculum Frame Work for Teacher Education (N.C.F.T.E.-2009)

2.2 शिक्षा का क्षेत्राधिकार

2.2.1 केन्द्र सरकार के शिक्षा स्वयं संबंधी क्षेत्राधिकार/दायित्व

2.2.2 राज्य सरकार के शिक्षा संबंधि क्षेत्राधिकार/दायित्व

2.2.3 समुदाय

2.3 शैक्षिक सहयोग के औपचारिक संगठन

2.3.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)

2.3.2 राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं

2.3.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T.)

2.3.4 केन्द्र प्रदत्त आर्थिक सहायता

2.4 राज्य की शिक्षा व्यवस्था

2.4.1 शिक्षा सचिवालय

2.4.2 छ.ग. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छ.ग.

2.4.3 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

2.4.4 लोक शिक्षण संचालनालय

2.4.5 जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.)

2.5. शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रशासनिक सहयोगी संस्थाएं

2.5.1 सर्व शिक्षा अभियान

2.5.2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

इकाई – 3	**विद्यालय के प्रकार**	**49 – 69**

परिचय

उद्देश्य

3.1 विद्यालय की संरचना

3.1.1 प्रशासनिक व्यवस्था

3.1.2 अकादमिक व्यवस्था

विषय सुची

इकाई	अध्याय	पृष्ठ क्रं

3.2 केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय

3.2.1 केन्द्रीय विद्यालय

3.2.2 नवोदय विद्यालय

3.2.3 सैनिक स्कूल

3.3 राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय

3.3.1 प्राथमिक विद्यालय (ग्रमीण व शहरी) 3.3.2 उच्च प्राथमिक विद्यालय

3.3.3 माध्यमिक विद्यालय

3.3.4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

3.3.5 आवासीय विद्यालय

3.3.6 मदरसा

3.3.7 संस्कृत विद्यालय

3.4 निजी विद्यालय

3.5 विशिष्ट विद्यालय

3.5.1 गुरूकुल कांगड़ी

3.5.2 पब्लिक स्कूल

3.6 कॉमन स्कूल सिस्टम

3.6.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम

3.6.2 कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं

3.6.3 CSSC और RTE Act, 2009 का तुलनात्मक अध्ययन

इकाई – 4	विद्यालय संस्कृति और परिवेश	70 – 90

परिचय

उद्देश्य

4.1 विद्यालयों में बच्चों का औसत और श्रेष्ठ श्रेणियों में वर्गीकृत करना

4.1.1 वर्तमान में प्रचलित श्रेणी विभाजन

4.1.2 श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार

4.1.3 श्रेणी विभाजन के वैकल्पिक आधार

4.2 विद्यालय प्रवृत्तियां और अनुशासन

4.2.1 राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व, जयंतिया और उत्सव तथा उनमें निहित संदेश

4.2.2 राष्ट्रीय पर्व– हमारे राष्ट्रीय पर्व मुख्यतः

4.2.3 प्रमुख धार्मिक पर्व एवं उत्सव

4.2.4 जयंतियां

विषय सुची

इकाई	अध्याय	पृष्ठ क्रं

4.3 वार्षिकोत्सव

4.3.1 साप्ताहिक गतिविधियां

4.3.2 प्रार्थना सभा

4.3.3 नैतिक शिक्षा एवं योग शिक्षा द्वारा मूल्यों एवं अनुशासन का विकास

4.3.4 विद्यालीय समय सारणी

4.3.5 शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी संबंधी

4.4 विद्यालय परिवेश और मूलभूत संकेतक

4.4.1 विद्यालय ध्वज

4.4.2 गणेवश

4.4.3 लोगो (प्रतीक चिह्न) एवं संदेश वाक्य (विजन)

इकाई – 5	शाला का नेतृत्व प्रबंधन	91 – 100

परिचय

उद्देश्य

5.1 संस्था प्रमुख की चुनौतियां

5.2 प्रशासनिक नेतृत्व

5.2.1 स्वयं का विकास

5.2.2 टीम नेतृत्व, टीम तैयार करना एवं टीम में कार्य करना

5.2.3 विषयगत क्षेत्र में नेतृत्व

5.3 शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने हेतु नेतृत्व

5.3.1 विद्यालय में नवाचारों की पहचान एवं उनका प्रलेखन

5.3.2 शालेय संस्कृति में परिवर्तन प्रबंधन

5.4 शाला के विकास में संस्था प्रमुख की भूमिका

दत्तकार्य एवं संदर्भ ग्रंथ

इकाई–1
विद्यालय की संकल्पना
(Concept of School)

परिचय (Introduction) :

विद्यालय समाज की एक व्यवस्थित इकाई है, जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः विद्यालय का स्वरूप कैसा हो तथा उसमें दी जा रही शिक्षा किस प्रकार की हो। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यालय–संगठन वह संरचना है जिसमें छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय की किय्राओं को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। शैक्षिक उद्दश्येों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना विद्यालय संगठन कहलाता हैं। विद्यालय, समाज में शिक्षा संस्कार, संस्कृति का वह केन्द्र है जो बालक के जीवन का निर्धारण करता है। विद्यालय सगठंन को एक ऐसे साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि अभीष्ट शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। हमें विद्यालय की संकल्पना मानवीय, भौतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों के संदर्भ में देखनी होगी। तभी विद्यार्थी–शिक्षक को समग्र रूप में समझ सकेगा। एक अध्यापक के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि विद्यालय की विवचेना दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक आधार पर की जाए। विद्यालय के कुशल प्रबंधन के लिए अभिभावकों की क्या भूमिका है, समुदाय किस प्रकार विद्यालय का प्रबंधन कर सकेगा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति किस प्रकार रही है इसे भी निश्चित करना होगा।

विद्यार्थी एवं शिक्षकों का कल्याण आज की महती आवश्यकता है। अतः शिक्षक को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को भी इस इकाई में समाहित किया गया है। विद्यालय को एक लघु समाज के रूप में माना जाता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी जाति धर्म, वर्ग लिंग के लिए समान रूप से कार्य करें तथा बिना किसी भेदभाव के समावशे समाहित किया गया है।

उद्देश्य (Objectives) :

- विद्यालय की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा महत्व को जानना।
- विद्यालय की संकल्पना को मानवीय एवं भौतिक संदर्भों में जानना।
- विद्यालय की अधोसंरचना एवं विद्यालय स्थापना के आधारों को समझना।
- प्रभावी विद्यालय की अवधारणा को समझना।
- विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली को समझना।
- विद्यालय व समाज के अंतर्सम्बंधो को समझना।

1.1 विद्यालय की आवश्यकता (Need of School)

विद्यालय अपने किसी न किसी स्वरूप में हर युग में विद्यमान रहे हैं और अपनी आवश्यकता का अनुभव कराते रहे हैं। वैदिक काल से पूर्व विद्यालय का अस्तित्व प्रायः नहीं था। वैदिक काल में गुरूकुल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें गुरू–शिष्य परम्परा को निभाते हएु शिष्य अपने जीवन की पर्णूता को प्राप्त करता था। शिष्य, गुरू

सानिध्य में रह कर विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है लेकिन इस काल में शिक्षा की सुलभता केवल एक विशेष वर्ग के लिए थी। अतः विद्यालय की आवश्यकता केवल सीमित वर्ग के लिए ही थी।

धीरे–धीरे शिक्षा की आवश्यकता आमजन तक अनुभव की गई। विशेष तौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सभी जाति, धर्म, वर्ग जेंडर के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किये गए। तदनुरूप विद्यालय की आवश्यकता प्रबल रूप से अनुभव की जाने वाली।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापकों से प्रश्न करेगा –

1. विद्यार्थियों के विद्यालय जाने के पीछे क्या–क्या कारण होते है?

   शिक्षक प्रशिक्षक इस प्रश्न के प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करा कर विद्यालयों की आवश्यकता संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा।

1.1.1. विद्यालय की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से (The need of the school from various Perspectives)

1. छात्रों के दृष्टिकोण से (From the Student's perspectives)

आज युवकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्क एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास किये जाने की आवश्यकता है। विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (शैक्षिक एवं सहशैक्षिक) के माध्यम से छात्रों का विकास करता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन शिक्षार्थी के बौद्धिक एवं मानसिक विकास को आधार मानकर किया जाता है। विभिन्न सहशैक्षिक प्रवृत्तियों यथा– प्रार्थना सभा, वादविवाद, रचनात्मक लेखन, शनिवारीय प्रवृतियाँ, खेलकूद एन.सी.सी., स्काउटिंग आदि के आयोजन में इस बात का प्रयास किया जाता है कि उनके माध्यम से बच्चों का समग्र विकास किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के विकास की दृष्टि से विद्यालय अनिवार्य है।

2. अभिभावकों के दृष्टिकोण से (From the perspective of Parents)

प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से यह अपेक्षा रखता है कि उसका पाल्य अपनी आयु के अनुसार विकास करे। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अभिभावकों के सम्मुख यह धर्म संकट है कि उनका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में श्रेष्ठ बने। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से विद्यालयों की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

3. समाज के दृष्टिकोण से (From the perspective of Society)

हुमायूँ कबीर के अनुसार विद्यालय समाज का लघुरूप होता है। इसलिए विद्यालय एवं समाज के वातावरण में अन्तर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियाँ आयोजित हों जिनसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बच्चों का विकास हो सके। समाज में सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से युक्त व्यक्ति एक स्वस्थ समाज

का निर्माण करते हैं। विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न हो। इसी प्रकार समाज में बहुत सारी कुरीतियॉ रूढ़िवादिता, कुपरम्परा आदि विद्यमान है। विद्यालय का कार्य है कि वह ऐसे भावी नागरिक तैयार करे जिनकी सोच सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त हो तथी सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। अतः सामाजिक रूप से भी विद्यालय की आवश्यकता है। कोठारी आयोग (64–66) की रिपोर्ट के पृष्ठ 12 के अनुसार भारत में हम जिस प्रकार की स्थिति देखते हैं, उसमें यह शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न सामाजिक कार्यों और समूहों को निकट लावे और इस प्रकार एक समतापूर्ण तथा एकीकृत समरसतापूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक हो। विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के निकट लाने की दृष्टि से विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण से भी विद्यालय आवश्यक है।

4. राष्ट्रीय दृष्टिकोण से (From & National perspective)

हमारे समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं यथा सोवियत रूस ने पहला चन्द्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका में तहलका मच गया। वहॉ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को सम्बोधित करते हुए शिक्षाविदों को आगाह किया कि विद्यालयों को सुधारों, ताकि हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सके। विकसित देश इसलिए आगे बढ़े हैं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रमी, योग्य एवं अप्रतिम साहसी नागरिक तैयार किये हैं। यह तभी सम्भव हो सका है, जबकि वहाँ उन्नत प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गईं अतः स्पष्ट है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी विद्यालयों की महती आवश्यकता है।

1.1.2. विद्यालय का महत्व (Importance of school)

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से विद्यालयों की हमारे लिए अत्यन्त आवश्यकता है। विद्यालयों की यही आवश्यकता इनके महत्व को प्रदर्शित करती है।

शिक्षा समाज की कड़ी है। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालायों में ही होता है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हुआ है तो वहॉ शिक्षा तथा विद्यालयों का अभाव ही इसका कारण रहा है। विद्यालय का महत्व निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है –

1. **सम्यक व्यक्तित्व में व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास (ज्ञान, अवबोध व अनुप्रयोग) :**

   Cognitive development of a person in a right Personality (Knowledge, understanding and application):

भावनात्मक विकास (रूचि, अभिरूचि, अभिवृत्ति एवं कौशलों का विकास) सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी में इन में से एक भी पक्ष कमजोर है तो उसके व्यक्तित्व विकास को अधूरा ही कहा जाएगा। व्यक्ति के सम्यक् व्यक्तित्व विकास का कार्य विद्यालय ही विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रमीय एंव सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं द्वारा करने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से जहाँ एक ओर बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है वहीं सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से उसके अन्य प्रकार के विकास का प्रयास किया जाता है। दोनों का समन्वय करके व्यक्तित्व का सम्यक और समग्र विकास किया जाता है।

2. उच्च शिक्षा की तैयारी *(Preparation for Higher Education):*

प्रायः हर बच्चे एवं अभिभावक का सपना होता है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करें। डाक्टर अथवा इंजीनीयर बनने का स्वप्न प्रायः हर अभिभावक का होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बालक प्रशासनिक, व्यावसायिक अथवा प्राविधिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार विद्यालयी शिक्षा ही हैं। अतः इस कार्य के लिए विद्यालयों की महती आवश्यकता है।

3. रोजगार की तैयारी *(Preparation for Job):*

रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से भी विद्यालयों का काफी महत्व हैं। प्रायः यह देखा गया है विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थी किसी न किसी रोजगार में जाना चाहता है। जीविकोपार्जन शिक्षा का लक्ष्य भी है। रोजगार की तैयारी छात्र, विद्यालय स्तर पर ही करना प्रारंभ कर देते है।

4. सामाजिक गुणों का विकास *(Development of Social Qualities):*

यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें बहुत से सामाजिक गुणों का विकास होना भी अत्यन्त आवश्यकता है। समानता, सहयोग, सहनशीलता, शालीनता, सामंजस्य, उत्तरदायित्व पालन, नैतिकता, ईमानदारी आदि गुणों के विकास में विद्यालय की महती भूमिका है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण करते हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु *(To bring Social Change):*

भावी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों का कार्य ज्ञान एवं संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए सृजनशील नेतृत्व को विकसित करना तथा समानता, स्वायत्तता और न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना भी विद्यालय का उत्तरदायित्व है सामाजिक परिवर्तन तभी सम्भव होगा, जबकि विद्यालय अपनी भूमिका का निर्वहन भली प्रकार करें।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापकों से निम्नांकित प्रश्न पर चर्चा करते हुए विद्यालय की आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट करें।

कल्पना कीजिए कि विद्यालय नहीं होने पर आप क्या–क्या कठिनाईयॉ अनुभव करेंगे?

1.1.3. विद्यालय के उद्देश्य (Objectives of School)

विभिन्न आयोगों, समितियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर काफी मनन किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। परिणामस्वरूप शिक्षा में कार्यानुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया

गया। राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 तथा तदुपरान्त क्रियात्मक कार्यक्रम (POA)1992 में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाय ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सके।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2005) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा (NCFTE-2005) में भी विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया तथा शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। उक्त विवरण के आधार पर विद्यालय के उद्देश्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है –

1. अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना

(To make learning Experiences Interesting, Effective and Enriching) :

छात्रों का अधिगम न केवल समृद्ध हो बल्कि रोचक एवं प्रभावशाली भी हो। विद्यार्थी सहज भाव से इन अनुभवों को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। विद्यालयइस उद्देश्य की प्राप्ति में तभी सफल हो सकते हैं, जबकि वे छात्राओं को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान कर सकें। अधिगम अनुभवों को रोचक, समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाओं एवं संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा।

NCF, 2005 के अनुसार "शिक्षक व विद्यालय उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं और उनकी योजना बना सकते हैं, जो उनके अनुसार बच्चों के लिये लाभप्रद हो सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या की परिकल्पना ऐसी संरचना के रूप में की गई है जो इन आवश्यक अनुभवों को स्पष्ट रूप से मुखरित कर सके।'' NCF, 2005 के पृष्ठ 5 पर लिखा है "पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुंमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए बजाए इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बन कर रह जाय।''

2. व्यक्ति का समग्र विकास करना (Holistic development of the person):

विद्यालयों का यह दायित्व है कि वे ऐसा वातावरण प्रदान करें जिनमें छात्र–छात्राओं का चहुंमुखी विकास सम्भव हो सके। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उन विद्यालयों का चयन करते हैं जिनमें इस प्रकार की गतिविधयाँ आयोजित होती हों जिनमें बच्चों का समग्र विकास सम्भव हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गतिविधियाँ आयोजित करनी होगी जिनसे छात्रों का बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास हो।

3. व्यावसायिक कुशलता का विकास करना (Objectives of School):

विद्यालय में विद्यार्थी विभिन्न विषयों के माध्यम से कुछ ऐसी कुशलताओं का विकास करते है जो किसी भी व्यवसाय को करने में आवश्यक होती है, जैसे – साधारण चातुर्य का विकास, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान आदि। इन कुशलताओं का अर्जन करके विद्यार्थी किसी भी व्यवस्था में सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यालय का यह उद्देश्य है कि बालक में इन कुशलताओं का विकास करें।

4. प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास

(Development of the spirit of Democratic Citizenship):

डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री का विचार है कि – ''प्रजातंत्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं हैं, वह एक जीवन पद्धति है। यदि हम शासन पद्धति के रूप में उसे सफल बनाना चाहते है तो पहले हमें जीवन पद्धति के रूप में

सफल बनाना होगा। निकट अतीत में अपने देश में जो शासन व्यवस्था थी वह बहुत कुछ सामन्ती व्यवस्था ही थी, जिसमें व्यवस्था प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति और शासन पद्धति दोनों के लिए अभिशाप है।'' इस अभिशापपूर्ण व्यवस्था को बदलना विद्यालय का काम है। आज विद्यालय में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो देश के लिए योग्य, सच्चे व ईमानदार नागरिक तैयार करें, जो उनमें मानसिक परिपक्वता, सत्य–असत्य का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हुए उनमें अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परम्पराओं का त्याग करने की सामर्थ्य विकसित करे। उनमें देश–प्रेम, भाषा, लेखन में स्पष्टता, सामाजिक भावना, अनुशासन, सहयोग की भावना आदि गुण विकसित करें।

5. नेतृत्व विकास (Development of Leadership):

जीवन के प्रत्येक पद पर नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होती है। तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन में भी इन गुणों की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व गुणों का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है।

6. सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास करना (To develop Social and Sense of Nationality):

किसी शक्तिशाली संगठित राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों में सामाजिकता व राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो। इससे वे राष्ट्र के भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे, उनका जीवन स्तर निरन्तर ऊँचा होगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की निष्ठा सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति होगी न कि किसी वर्ग विशेष के प्रति, सरकारी सेवा में चारित्रिक दृढ़ता वाले लोग आएँगे जो भ्रष्टाचाररहित निष्पक्ष प्रशासन दे पाएँगे तथा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के लिए आपसी सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित कर पायेंगे।

7. आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना (To develop Spiritual and Moral Qualities):

राधाकृष्णन् ने कमीशन (1948) तथा श्री प्रकाश समिति (1959) ने आगाह किया था कि हमारा देश आध्यत्मिक एवं नैतिक मूल्यों का गुरू होते हुए भी वर्तमान में इन मूल्यों का क्षरण हुआ हैं। परिणामस्वरूप देश का विकास अवरूद्ध हुआ है। आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों के अभाव में आज देश में भ्रष्टाचार, व्याभिचार, लूट–पाट, हत्या एवं नारी उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है।

अतः विद्यालयों का यह उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें ताकि हमारा समाज एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज बन सके।

8. समुदाय की समझ विकसित करना (To develop Community Understanding):

विद्यालय का यह उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में एक ऐसी समझ विकसित करे जिससे वे समुदाय को समझ सके तथा उनके अन्दर अपनत्व एवं लगाव की भावना विकसित हो सके। इससे विद्यालय तथा समाज के संबंधों को समझने तथा विकसित करने में मदद मिलेगी।

9. NCF,2005 के अनुसार सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझ कर उनका आनन्द उठाना, मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिये सघन व उपयुक्त अवसर मुहैया करना विद्यालय का अनिवार्य कर्तव्य है।

प्रश्नः

1. विद्यालय की आवश्यकता के संदर्भ में अपना मत बताइए?

2. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विद्यालय के कौन–कौन से उद्देश्य हो सकते है बताइए?

1.2. विद्यालय की संकल्पना– (Concept of the school)

मानवीय, भौतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों के संदर्भ में प्राचीन भारत में विद्यालय गुरूकुल के रूप में थे जो कि प्रकृति से आवासीय तथा हिन्दू परम्परावादी थे। ये सामान्यतः शिक्षक के घर पर अथवा धार्मिक स्थानों पर चलाये जाते थे। मुस्लिम काल में मदरसा के रूप में थे जिनमें मुस्लिम बालकों को शिक्षित किया जाता था। ब्रिटिश काल में शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए गए, जिनमें मिशनरी विद्यालयों ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की। निष्कर्ष रूप में विद्यालयों की संकल्पना में बदलाव आते रहे है फिर भी मूल भावना बालकों को ज्ञान देने के संदर्भ में ही रही।

''सामान्यतः विद्यालय वह संस्था है जो अध्यापकों के निर्देशन में छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभिकल्पित की जाती है।''

अधिकतर देशों में औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था है जो प्रायः प्राथमिक विद्यालय से प्रारम्भ होकर माध्यमिक विद्यालय तक होती है। इसके अतिरिक्ति कुछ विद्यालय स्तर से पूर्व के भी है जैसे किंडर गार्टन अथवा पूर्व प्राथमिक विद्यालय। इनमें प्रायः 3 से 5 वर्ष के बालकों को शिक्षित किया जाता है।

शिक्षा शब्दकोश के अनुसार "विद्यालय वह स्थान अथवा भवन है जिसका प्रयोग छात्रों को शिक्षित करने, अनुदेशन देने तथा अधिगम के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्यालय का अर्थ किसी को अनुशासित करने, शिक्षित करने अथवा प्रशिक्षित करने से है। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार "विद्यालय एक संस्था अथवा स्थान है जिसमें शिक्षण अधिगम किया जाता है। विशिष्ट रूप से जिसकी स्थापना शिक्षा के लिए की जाती है।''

1.2.1. मानवीय संसाधनों के संदर्भ में (Context of Human Resources) :

विद्यालय के लिए मानवीय संसाधन आवश्यक होते है। जिनमें प्रबंध समिति के सदस्य, अध्यापक अभिभावक समिति के सदस्य, प्रशासक, अध्यापक, अनुदेशक, लिपिकीय वर्ग व चतुर्थश्रेणी के कर्मचारी होते हैं। यही नहीं छात्रों के दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा। निशक्तजनों की कुशलता पर ध्यान देना होगा। Rehabilitation council of india act, 1992 तथा Person with disability act, 1995 के प्रावधानों के अनुकूल मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे विद्यालय जिनके मानवीय संसाधन कुशल, प्रशिक्षित, दक्ष एवं समर्पित होते हैं उन विद्यालयों की संकल्पना अच्छे विद्यालय अथवा प्रभारी विद्यालय के रूप में की जा सकती है। प्रायः यह देखा गया है कि मानवीय संसाधनों के सुप्रशिक्षत एवं कुशल होने पर देश का विकास सम्भव हो सका है।

1.2.2. भौतिक संसाधनों के संदर्भ में (In the Context of Physical Resources) :

विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों न हो जब तक पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं हो तब तक वे भली प्रकार कार्य नहीं कर सकते। उपयुक्त विद्यालय भवन मैदान, पुस्तकालय, खेलकूद का सामान, प्रयोगशालाएँ,

शिक्षणसामग्री आदि के बिना विद्यालय का सुसंचालन नहीं किया जा सकता है। शिक्षा अधिकारी कानून में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यालय भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 16 भौतिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया हैं असल में भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालय ही वास्तविक विद्यालय कहें जाते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय प्रयोगशाला की व्यवस्था प्राथमिकता आधार पर की जा रही है।

1.2.3. वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में (In the Context of Financial Resources) :

विद्यालय में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का तब तक महत्व नहीं है जब तक कि यथेष्ट वित्तीय संसाधन न हों। मानवीय संसाधनों को वेतन भत्ता, भौतिक संसाधनों का क्रय एवं रख–रखाव आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे विद्यालय जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो अच्छे विद्यालय कहलाते है। राज्य सरकार के विद्यालायों की वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है, जबकि निजी विद्यालय भी स्वयं के संसाधन जुटाकर शिक्षा प्रदान कर रहे है।

1.2.4. प्रशासनिक संसाधनों के संदर्भ में (In the Context of Administrative Resources):

मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय स्थिति ठीक भी हो लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी नहीं हो तो अव्यवस्था हो जाएगी। अतः जिन विद्यालयों का प्रशासन तंत्र योग्य और अनुभवी हो तो विद्यालय से संचालन ठीक प्रकार होगा। शासकीय विद्यालायों के लिए प्रशासनिक अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करती है परन्तु निजी विद्यालय अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं करते हैं।

प्रश्न –

1. विद्यालय के मानवीय संसाधनों का महत्व बताइए?
2. विद्यालय के तीन भौतिक संसाधन बताइए?
3. शासकीय एवं निजी विद्यालयों के वित्तीय संसाधनों का अन्तर बताइए?

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापक से मीना और शबाना के विद्यालय के प्रति आकर्षण और अनाकर्षण के कारणों पर चर्चा करवाए।

1.3. विद्यालय के आधार

1.3.1. अधोसंरचना

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, 2005 के अनुसार (According to the National Curriculum Framework & 2005)

विद्यालय शिक्षार्थियों के समुदाय के लिए, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आते हैं संस्थागत स्थान होते हैं। अपने मित्रों के साथ विद्यालय के मैदान में खेलना, खाली समय में बेंच पर बैठ कर बातें करना, सुबह की प्रार्थना, उत्सवों एवं विशेष अवसरों पर इकट्ठा होना, कक्षाओं की पढ़ाई शिक्षकों और सहपाठियों के संग विद्यालय के बाहर यात्राओं पर जाना – ये सभी गतिविधियाँ इस समुदाय को जोड़ते हुए उसे एक शैक्षिक समुदाय की पहचान देती हैं। हालांकि परदे के पीछे से अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल को उसकी पहचान देने में, नियोजन में , रोज के काम में परीक्षा एवं स्कूल के कैलंडर, विशेष उत्सवों के लिए फिर भी महत्वपूर्ण होते है। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इस तरह की अन्तःक्रियाएँ सीखने–सिखाने को समर्थन एवं बढ़ावा दें। स्कूल का एक ऐसे संदर्भ की तरह पोषण कैसे किया जाए जिसमें बच्चे स्वयं को सुरक्षित, खुश एवं सहज महसूस करें और जिसे अध्यापक सार्थक एवं व्यावसायिक रूप से संतोषजनक पाए? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम महत्वपूर्ण एवं परस्पर संबंधित है।

भौतिक वातावरण (Physical Environment) :

चेतन और अचेतन रूप से बच्चे विद्यालयीन समय में अपने विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःकिया करते रहते हैं। इसके बावजूद शिक्षा के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतः किया करते रहते हैं। इसके बावजूद शिक्षा के भौतिक वातावरण के महत्व पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता द्य बच्चे अधिकतर उस स्थान पर रहना पंसद करते हैं जो रंग–रंगीला, दोस्ताना और शांत हो । जहाँ ढेर सारी खुली जगह हो, साथ ही छोटे कोने (कार्नर) हों, जिसमें पशु–पक्षी, पेड़–पौधे और खिलौनें रखे हों। बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालयों में इन चीजों का होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करते हुए कि कक्षा–कक्षों में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी हो उन्हें बच्चों के काम को कक्षा की दीवारों और स्कूल में विभिन्न स्थानों पर लगाकर कक्षा–कक्षों को और अधिक जीवंत व प्रफूल्ल बनाया जा सकता है। बच्चों के द्वारा की गयी चित्रकारी और हस्तकार्य के नमूने दीवारों पर लगाने से माता–पिता और बच्चों को यह दृढ़ संदेश जाता है कि उनके काम को सराहा जा रहा है। इन कलाकृतियों को ऐसी जगहों और उतनी ऊँचाई पर लगाना चाहिए, ताकि स्कूल के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे आसानी से पहुंचे और उनकों देख पाये। विद्यालयों की दीवार का प्रयोग द्वारा बनाई गई कलाकृतियों या शिक्षकों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए होना चाहिए जो हर महीने जाएँ। इस प्रकार दीवारों को सजाना और कलाकृतियों को लगाने में सहयोग करना भी बच्चों के लिए एक मूल्यवान शैक्षिक प्रक्रिया है। बहुत से स्कूलों में बाहरी शैक्षिक गतिविधियों के लिए खेल के पर्याप्त मैदान नहीं होते हैं यह पाठ्यचर्या द्वारा अधिगम की गुणवत्ता के साथ भारी समझौता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों एवं कक्षाओं के स्थान का अधिकतम उपयोग शिक्षा के संसाधनों के रूप में किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में दीवारों को फर्श से 4 फीट की ऊँचाई तक पोत दिए जाने से बच्चे दीवार का उपयोग चित्रकारी हेतु स्लेट की तरह कर सकते हैं। फर्श पर रेखागणित की आकृतियाँ बनाकर इनका उपयोग बच्चे विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। कमरे का एक कोना पढ़ने की सामग्री, कहानियों की किताबें, पहेली कार्ड और अन्य स्वयं शिक्षा सामग्री को रखने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

सच तो यह है कि ढाँचागत सुविधाएँ शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने व गतिविधि–केंद्रित संदर्भ उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी हैं। स्थान, भवन तथा फर्नीचर संबंधी नियम व मानक तय करने से गुणवत्ता की समझ भी पुष्ट होगी।

प्रश्नः

1. विद्यालय स्थापना के लिए कौन–कौन से संसाधन आवश्यक है और क्यों?

भौतिक स्थान से सीखना (Learning from a Physical Space) :

बच्चे अपने संसार को बहु इंद्रियों से महसूस करते हैं, विशेषकर दृष्टि और स्पर्श इंद्रियों से। एक त्रिआयामी स्थान बच्चों को सीखने के लिए एक विशेष व्यवस्था दे सकता है, क्योंकि यह पाठ्यपुस्तकों तथा ब्लैकबोर्ड का साथ देते हुए बच्चों के लिए बहु इंद्रिय अनुभव प्रस्तुत कर सकता है। स्थानिक आयामों, संरचनाओं, आकाश, कोणों, गति तथा स्थानिक विशेषताओं, जैसे – अंदर–बाहर, ऊपर–नीचे का उपयोग, भाषा, विज्ञान तथा पर्यावरण की मूल अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए किया जा सकता है। इन अवधारणाओं को उपलब्ध तथा नए बनाए जाने वाले स्थानों पर लागू किया जा सकता है। खंभो की घटती–बढ़ती परछाइयाँ जो धूप घड़ी की तरह समय मापने के विभिन्न तरीके समझा सकती है। शीत के मौसम में उपयुक्त पर्णपाती पौधों को लगाना जो शीतऋतु में पत्तियाँ गिराते हैं और ग्रीष्मऋतु में हरे–भरे रहते हैं, ताकि बाहर भी सीखने के लिए आरामदायक जगह हो। पुराने टायरों का उपयोग करते हुए एक रोमांचक खेल का मैदान बनाना, एक ऐसा स्थान जहाँ बस/ट्रेन/ पोस्ट ऑफिस/ दुकान का आभास दिया जा सकता है। जहाँ बच्चे मिट्टी और बालू के साथ खेलते हुए भारत के रेखांकित नक्शे में अपने पहाड़, नदियाँ तथा घाटी बनाएँ, स्थान की छानबीन एवं खोज तथा तीनों आयामों के छानबीन का स्थान या बाहर प्राकृतिक वातावरण पेड़–पौधों के साथ जो बच्चों को छानबीन करने का तथा स्वयं की अधिगम सामग्री खुद बना लेने का मौका दे। रंगो, एकांत और कोनों को खोजने का मौका दें, जहॉ बच्चे जड़ी–बूटी का बागीचा लगा सकें और बरसाती पानी का एकत्रीकरण देखें और उसे व्यवहार में भी लाएँ।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापक से चर्चा

1. आपकी दृष्टि में बच्चे किस प्रकार के विद्यालय भवन को पसंद करते हैं ? विद्यालय भवन बनाने हेतु किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2. एक आदर्श विद्यालय के लिए कौन–कौन सी सुविधाएँ आवश्यक हैं?
3. शिक्षक प्रशिक्षक प्रश्न–2 के उत्तरों के आधार पर एक आदर्श विद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाओं की सूची तैयार कराएगा।

शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 ई. के तहत एक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन एवं अन्य भौतिक संसाधन की अनिवार्यता निम्नानुसार की गई है

1. प्रत्येक शिक्षक हेतु कम से कम एक कक्षा–कक्ष एवं स्टोर तथा प्रधानाध्यापक कक्ष।
2. अवरोध रहित पहुँच मार्ग।
3. छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक –पृथक सुविधाएँ।
4. पीने हेतु शुद्ध पानी की पर्याप्त व्यवस्था।
5. मिड–डे–मील हेतु रसोई घर।
6. खेल–मैदान।
7. विद्यालय परिसर की चार दीवारी या तारंबदी।
8. आवश्यकतानुसार सीखने की पर्याप्त सामग्री।
9. पुस्तकालय जिसमें सामाचार पत्र, पत्रिकाएँ, विषय आधारित पुस्तकें एवं कहानी की पुस्तकें हों।

वर्तमान में हमें कई प्रकार की भवन योजनाएँ प्राप्त हैं उदारहणतः E, H, U, T, L, I, Y, O| उपलब्ध वित्तीय सुविधा स्थान एवं आवश्यकतानुसार भवन योजना का चयन किया जा सकता है।

प्रश्न :–

1. विद्यालय भवन कक्षा–कक्ष खिड़की, दरवाजे, उपकरण, फर्नीचर, मैदान से बच्चों को क्या क्या सिखाया जा सकता है ?

1.3.2 विद्यालय के दार्शनिक आधार (The Philosophical basis of school) :

शिक्षा दर्शन में बहुप्रचलित विभिन्नवादों के तहत प्रकृतिवाद के विद्यालय कठोर बंधनों वाली संस्था न होकर स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होती है। इन विद्यालयों में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता से स्वानुशासित रहते हुए अपनी रूचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण सुविधा होती है। इसमें बालक को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। प्रकृतिवाद पर आधारित विद्यालय में सह–शिक्षा प्रदान की जाती है। गिजुभाई ने दिवास्वप्न में इसी तरह के विद्यालय की परिकल्पना प्रस्तुत की है।

आदर्शवाद आधारित विद्यालय (Idealism & based school)

आदर्शवाद के आधार पर विद्यालय मानवीय क्रियाओं का आदर्श लघु रूप होता है, जिनमें शिक्षक की केन्द्रीय भूमिका होती है। विद्यालय को बाग का स्वरूप माना जाये तो शिक्षक बाग का माली होता है। विद्यालय में अनुशासन प्रभावात्मक होता है तथा बालकों को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आदर्शवाद के आधार पर बालक एवं बालिकाओं के पृथक–पृथक विद्यालय होते हैं।

प्रयोजनवाद आधारित विद्यालय प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है तथा शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है अतः विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था का ही एक रूप होता है। विद्यालय समाज का ही लघुरूप है। विद्यालय ऐसा हो, जिसमें बालक को समाज में रहना, कार्य करना और आधुनिक सामाजिक जीवन की विषमता के मध्य अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सिखाया जा सके । प्रयोजनवादी विद्यालय सामाजिक जीवन के आधार केन्द्र के रूप में होते हैं। ये विद्यालय समाज के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं।

यर्थावाद आधारित विद्यालय

यथार्थवाद आधारित विद्यालयों में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि किसको, किस समय और कितना पढ़ाना है।

विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का स्थान है। जहाँ शिक्षा का केन्द्र बिन्दु विद्यार्थी का वर्तमान जीवन है। इन विद्यालयों में प्रेम, सहानुभूति, सामाजिक जीवन के अनुसार एवं प्राकृतिक परिणामों के आधार पर अनुशासन को स्थान दिया गया है।

1.3.3 विद्यालय के सामाजिक आधार (Schools based on Social aspect) :

शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है, अर्थात समाज अपने नए सदस्य को अपने अनुरूप ढालना चाहता है। अतः समाज बालक हेतु शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय होता है। विद्यालय में उसी समाज के मूल्यों का विकास किया जाता है।

समाज एवं विद्यालय एक दूसरे के पूरक पहलू होने के साथ–साथ एक दूसरे पर आश्रित है। समाज विद्यालय को पोषित करते हुए प्रगति प्रदान करता है। विद्यालय का विकास समाज के मूल में निहित है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के कारण समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने हेतु विद्यालयों का आधार सामाजिक बनें । इस हेतु विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ, स्थानीय स्तर की समितियाँ, पूर्व विद्यार्थियों के संघ जैसी सामाजिक संरचनाओं का निर्माण कर विद्यालयों के विकास में समाज की भूमिका के कारण विद्यालयों का आधार सामाजिक आधार है।

प्रश्न–

1. शिक्षा समाजीकरण की प्रकिया है, कैसे?

1.3.4 विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Basis of School)

विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक अलग–अलग व्यक्तित्व भिन्नताएँ लिए हुए आते हैं। इसमें पारिवारिक स्थिति, सामाजिक वातावरण, वंशानुगत भिन्नताएँ मुख्य होती हैं। लेकिन अधिकांश विद्यालयों का वातावरण समान सा होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्नता वाले बालकों के सामायोजन एवं अधिगम में कठिनाई होती है। मनोवैज्ञानिक आधार की दृष्टि से विद्यालय इस प्रकार के हों जिनमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक एवं पिछड़े बालकों का सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, शैक्षिक एवं सृजनात्मक विकास के साथ समुचित समायोजन स्थापित हो सके।

व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सिखाने के तरीकों में भिन्नता ही विद्यालयों का आधार होती है। विद्यालयों में बालकेन्द्रित शिक्षा, अनुशासन, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सहायक सामग्री का प्रयोग, मापन एवं निर्देशन, शिक्षक विद्यार्थी संबंध, विद्यालय संचालन, अनुसंधान आदि मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित होते है। उदाहणतः माण्टेसरी पद्धति, किण्डर गार्टन, विशेष बालकों हेतु विद्यालय आदि विशिष्ट विद्यालयों के संचालन का आधार पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है।

प्रश्न–

मनोवैज्ञानिक आधार पर विद्यालयों का स्वरूप क्यों होना चाहिए?

गतिविधिः

1. हर विद्यार्थी अद्वितीय है। उसके सीखने के स्तर, गति, अभिव्यक्ति आदि सबमें भिन्नता है। तो क्या उसको सिखाने के तरीकों में भी भिन्नता होनी चाहिए? आइए चर्चा करें।

1.3.5. विद्यालय के प्रशासनिक आधार (Administrative base of the school) :

प्रशासनिक एवं स्तर की दृष्टि से विद्यालयों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में श्रेणीकरण किया गया है। विद्यालयों को प्रशासनिक आधार पर मॉडल, आदर्श, नवोदय, विशिष्ट विद्यालय के रूप में जाना जाता है। ये विद्यालय गुणवत्ता तथा गतिविधि में भिन्नता रखते हैं।

1.3.6. विद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम एवं प्रक्रिया

(Rules and procedure related to the admission in school) :

- प्रवेश हेतु विद्यालय में प्रधानाध्यापक के निर्देशन में एक प्रवेश समिति का गठन किया जाता है।
- सामान्य रूप से छात्रों का प्रवेश सत्रारम्भ में किया जाता है, लेकिन कारण होने पर नियमानुसार प्रवेश का प्रावधान है। (यथा राजकीय सेवा या अन्य निकाय से स्थानान्तरण पर) प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सत्र पर्यन्त चलायी जा सकती है।
- अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा (नर्सरी) में दुर्बल वर्ग, और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है।

- यदि प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो जन्मतिथि प्रमाण–पत्र / शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- जिले अथवा राज्य के किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु टी.सी. पर किसी सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, परन्तु राज्य से बाहर जाने पर / बाहर से राज्य में आने पर किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की टी.सी. पर सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।
- राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 (1) शिक्षा–1 / 2000, दिनांक 22.02.2002 के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश देते समय बालक–बालिकाओं के नाम के साथ–साथ पिता एवं माता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।

1.4 प्रभावी विद्यालय (Effective school) :

विद्यालय भावी समाज के निर्माण का वह प्रकाश स्तंभ है जहाँ बालक शिक्षा,संस्कार एवं व्यवहार के विचारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर अपनी सोच से परिवार, समाज एवं वैश्विक सोच को दिशा प्रदान करता है। एक विद्यालय की प्रभावशीलता इस पर भी निर्भर करती है कि विद्यालय समाज के लिए हो तथा समाज विद्यालय के लिए। वे अपनी क्षमता का आदान–प्रदान यथा अपेक्षा करते हैं। समाज की प्रवृत्तियों, क्रियाकलापों एवं विभिन्न अवस्थाओं को विद्यालय में प्रतिपादित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपने विद्यायालयी जीवन में ही भावी नागरिक जीवन के प्रत्यक्ष व व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। विद्यालय जीवन सामाजिक जीवन का अंग है। अतः प्रभावी विद्यालयों में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप भावी नागरिकों का निर्माण करने की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है। प्रभावी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी में सकारात्मक सोच, नवीन ज्ञान से प्रति सजगता, संवेदनशीलता,परिमाणात्मकता एवं विश्वसनीयता के साथ–साथ संस्था प्रधान व अध्यापकों में नैतिकता, मौलिकता, गरिमा, गुणवता जैसी विचार धाराओं की विद्यमानता होती है।

1.4.1 सामाजिकता (Socialism) :

समाजिकता मानव मन में विकसित वह भाव है,जिसके आधार पर वह समाज के नीति नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है तथा व्यक्ति से अधिक समाज के मान्यता देता है। व्यक्तियों के बीच पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। इस दृष्टि से विद्यालय भी एवं लघु समाज का रूप होता है। विद्यालयों में भिन्न–भिन्न परिवारों से, भिन्न–भिन्न जातियों के, भिन्न–भिन्न धर्मों के, भिन्न–भिन्न आर्थिक स्तर के और भिन्न–भिन्न सामाजिक स्तर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इन बालकों की भाषा और व्यवहार प्रतिमानों में कुछ भिन्नता एवं अन्य सामूहिक क्रियाओं में भाग लेते हुए परस्पर अन्तः क्रिया करते हैं। यहाँ बच्चे अपने पर नियंत्रण करने औरसमाज सम्मत आचरण करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, संकुचित दृष्टिकोण को विस्तृत दृष्टिकोण में बदलने का कार्य करते हैं और भावी जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धीरे–धीरे विद्यार्थी में इन तथ्यों के प्रति विश्वास पैदा होता है और उनमें अच्छे नागरिक बनने के भाव दृढ़त्तर होते जाते हैं,ऐसा भाव जाग्रत होना और तद्नुरूप आचरण करना ही सामाजिकता कहलाती है और इसी

प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं।

1.4.2 स्तरीयता (Concept of Standard School) :

महात्मा गाँधी के शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना के सर्वांगिण विकास से है। ''ऐसे विद्यालय जहाँ बालक के सर्वांगिण विकास के सभी आयामों की व्यवस्था की जाती है, स्तरीय विद्यालय कहलाते हैं। वर्तमान में शैक्षिक तकनीक विशेषज्ञों की दृष्टि से शिक्षा के तीन अंग होते हैं – शिक्षार्थी, शिक्षक और सीखने–सिखाने के परिस्थितियों में शिक्षा पाठ्यचर्या, शिक्षक विधियाँ, शिक्षक साधन, सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ,पर्यावरण और मूल्यांकन की विधियाँ आती है। इन सभी का उपयोग शिक्षार्थी के सर्वांगिण विकास के लिए किया जाता है।

ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षार्थी अपनी रूचि, योग्यता के अनुसार सीख सकें, उसके शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, शिक्षार्थी के अन्दर सहयोग, सहानुभूति, स्वावलंबन, संवेदनशीलता तथा अन्य नैतिक मूल्यों के विकास के लिए प्रभावी सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ का आयोजन किय जाता हो, और जहाँ उच्च अकादमिक उपलब्धी प्राप्त करने की सार्थक व्यवस्था हो, स्तरीय विद्यालय की श्रेणी में आते हैं । गाँधीजी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यालय और रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शान्ति निकेतन की गणना स्तरीय शिक्षण संस्थानों के रूप में की जाती है।

स्तरीयता विद्यालयों के शिक्षकों में उच्च सामाजिकता, उच्च सांस्कृतिक दृष्टिकोण, स्पष्ट जीवन दर्शन, नैतिकता एवं चरित्रबल, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान, विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशलों में दक्षता तथा संगठन शक्ति जैसे गुणों को देखा जा सकता है। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाने के लिए ऐसी शिक्षण विधियों एवं शैक्षणिक साधनों का उपयोग करता है, जिनसे बालक सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके।

1.4.3 परिणामात्मकता (Resultivity) :

सामान्यतः समाज में विद्यार्थी के बोर्ड परिणाम के आधार पर विद्यालयों की पहचान बनती है। लेकिन, किसी विद्यालय की परिणामात्मकता अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही निश्चित नहीं की जा सकती। परिणामात्मकता से तात्पर्य विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा जिला, राज्य राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में अधिकतम सहभागिता एवं इनमें प्राप्त उपलब्धि स्तर के साथ–साथ विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्जित सफलताओं से माना जाता है।

1.4.4 विश्वसनीतया (Reliability) :

विद्यालय पर समाज का विश्वास की विद्यालय ही पहचान है। यह पहचान विद्यालय की विभिन्न प्रवृत्तियों से बनती है। विद्यालय की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ बालक एवं विद्यालय के वे संकेतक है जिनके माध्यम से समाज में विद्यालय की पहचान एवं विश्वसनीयता बनती है। शिक्षण कार्य की गुणवत्ता उसके परिणामों से है। वह दीर्घकाल में जाकर प्रतिफल बनती है। हमारे देश में रवीन्द्र नाथ टैगोर की शांति निकेतन, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि देश के ख्यातनाम शिक्षा संस्थान है। इन पर देश की जनता का

आज भी विश्वास है जो वहाँ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के प्रमुख अभिकरण है। शिक्षक का शिक्षार्थी से संबंध, शिक्षक का ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व उसकी छवि निर्धारित करते हैं। आज भी छात्र, शिक्षक, शिक्षण, विद्यालय की सम्पदा है जिस पर विद्यालय की प्रवृत्तियाँ आश्रित है। शिक्षक, छात्र एवं समाज का सेतु है जिस पर छात्र तथा समाज का विश्वास है। विद्यालय का शिक्षण, शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से सम्पन्न होता है। संस्था प्रधान विद्यालय की पहचान है जो उसकी विद्यवत्ता, परिपक्वता एवं परिश्रम का परिणाम होती है।

1.4.5 विकासात्मकता (Developmentalism)

विद्यालय का विकास उसके स्तर तथा गुणात्मकता से विदित है। प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति विकासात्मक सोपान है जो उसकी स्थापना से लेकर स्थानीय आवश्यकता एवं सामाजिक पर निर्भर है ।समुदाय का सहयोग सक्रियता, सहभागिता भी विकास को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। विद्यालय की शैक्षिक, सह शैक्षिक गतिविधियाँ तथा उनके प्रतिफल परिणाम के संकेतक हैं जो विद्यालय की विकासात्मकता निर्धारित करते हैं। विद्यालय का विकास ही समाज का विकास है। विद्यालय के प्रतिफल का परिणाम ही समुदाय में परिलक्षित होता है। विकास वह सतत् प्रक्रिया है जो समय, स्थान तथ समुदाय की आवश्यकताओं आकांक्षाओं से निर्धारित होती है। विकास समुदाय की प्रगति तथा विद्यालय की आवश्यकता एवं गुणवत्ता का परिणाम है। इसमें संस्था प्रधान, छात्र, अभिभावक तथा समुदाय सभी की मुख्य भूमिका होती है।

शैक्षिक प्रशासन पुस्तक में प्रो.एल.के. ओड ने विद्यालय की कतिपय विशेषताओं को इस प्रकार उल्लेखित किया है –

⇒ विद्यालय समुदाय के संसाधनों का प्रयोग करता है।

⇒ विद्यालय समुदाय का सामुदायिक केन्द्र है।

⇒ सामुदायिक संपर्क लचीले तथा व्यापक कार्यक्रम का निर्माण करता है।

⇒ सामुदायिक अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करता है।

⇒ जनतंत्रीय विधियों को लागू करता है।

⇒ विद्यालय स्टाफ सामुदायिक जीवन का सक्रिय अंग होता है।

प्रश्न :–

1. प्रभावी विद्यालय के लिए परिणामात्मकता व विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है?

गतिविधि:

शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापक से उनके जिले के प्रभावी विद्यालयों की सूची बनवाकर उनकी विशेषताओं पर चर्चा कराएँ।

1.5 विद्यालय और समाज का अंतर्सम्बंध (Inter-relation of School and Society):

विद्यालय के प्रबंधन में अभिभावकों, समुदाय और विद्यालय प्रबंध समिति प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे निम्नांकित शीर्षकों में स्पष्ट किया जा रहा है।

1.5.1 अभिभावक (Parents) :

समाज का विकास, शिक्षा से ही अपेक्षित है। इस विचार के अंतर्गत कहा जा सकता है, कि बच्चों की शिक्षा पर हमारे देश का भविष्य टिका है। इनका पालन–पोषण व शिक्षा जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे नागरिक बनकर लोकतांत्रिक देश में विवेकशील, संवेदनशील न्यायोचित एवं निर्णय लेने में अपनी भूमिका निर्वाह कर पायेंगे। प्रत्येक नागरिक, समाज और सरकार का यह प्रथम दायित्व है कि वह बच्चों की शिक्षा व विकास के बारे में सोचें चिन्तन करें व उन्हें इसके लिए निर्बाध रूप से समुचित संसाधन सुविधाएँ एवं अवसर उपलब्ध कराएँ। चूंकि बच्चा समाज का एक हिस्सा है वह जन्म से लेकर उत्तररोत्तर सीखने की अधिकतर क्रियाएँ परिवार से सीखता है तथा सामाजिक जीवन से उसका गहरा रिश्ता होता है तथा विद्यालय में प्रवेश के पश्चात वह कुछ नवीन व्यवहार अनुभव करता है, देखता है। अर्थात् यदि विद्यालय के बाहर उसे भिन्न वातावरण नजर आता है तो बच्चा असहज अनुभव करता है। अतः समाज का बच्चे केसाथ उसकी भावनाओं के साथ समन्वय आवश्यक है, ताकि वह व्यावहारिक जीवन में भिन्नता महसूस ना करे। इस हेतु समाज का भी उसमें रहने वाले समस्त व्यक्तियों का बच्चे के प्रति दायित्व बहुत बढ़ जाता है।

विद्यालय, निर्देशित शिक्षा का स्थान होता है, लेकिन ज्ञान के अर्जन व सृजन में निरन्तरता होती है। यह कार्य विद्यालय के बाहर भी होता है अर्थात् घर में, कार्यस्थल में, समुदाय आदि में। सामुदायिक गतिशीलता हेतु एनसीएफ 2005 में बच्चे के सीखने एवं ज्ञान के बारे में दिशा निर्देशों के अंतर्गत यह प्रस्ताव है कि विद्यालयी ज्ञान तथा समुदाय का सामाजिक व सांस्कृतिक संसार है इसको पाठ्यक्रम का भी अंग बनाया जाए अर्थात् स्थानीय ज्ञान व परम्पराएँ विद्यालयीन ज्ञान का विस्तृत अंग या हिस्सा बने।

विद्यालय में बच्चों के दी जाने वाली गतिविधियों ऐसी हों जिसमें बच्चों के सामुदायिक जीवन को समझने के अवसर मिलें तथा अभिभावक व समुदाय के सदस्य उन्हें मदद कर पाएँ फलस्वरूप बच्चे इससे खोजबीन करने तथा बाहरी दुनिया को सीखने का स्रोत मानने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं स्कूल भी समुदाय को अपने परिसर में बुलाकर बाहरी संसार की पाठ्यक्रियाओं को प्रभावी बनने में मदद ली जाए, ताकि वे संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर विषय से संबंधित ज्ञान को समझने में अपनी भूमिका निभा सकें।

1.5.2 समुदाय (Community):

समुदाय द्वारा विद्यालय के प्रबंधन के संबंध में इस प्रकार सहयोग प्राप्त किया जा सकता है

1. ज्ञान सृजन तथा सूचना संकलन में एवं अन्य खोज में बच्चों की समुदाय द्वारा मदद करना।
2. बच्चों की समस्याओं, कठिनाईयों को दूर करने में मदद करना।
3. विषय वस्तु को अधिक प्रभावशाली बनाने में स्थानीय व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़ने में मदद करना।
4. बच्चों के अधिकार व अधिकार हनन पर नज़र रखना।

5. ग्रामीण और शहरी बच्चों के शिक्षणानुकूल परिवेश विकसित करना अर्थात् समुदाय विद्यालय के रूप में हो, इसकी अवधारणा विकसित करने में मदद मिले।

6. मशीनें एवं उनकी कार्यप्रणाली समझने में स्थानीय मैकेनिक की मदद लेना। स्थानीय इतिहास, लोकगीत, पर्यावरण संरक्षण, पारम्परिक ज्ञान, बीजारोपण एवं फसल कटाई, बुवाई फसल व मानसून, परम्परागत शिल्पकलाएँ आदि को कक्षालयी समालोचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना।

7. स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सूचना उनके तरीके तथा बच्चे के मूल्यांकन व प्रबोधन के मौके देना।

विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका हो। दोनों के सहसंबंध से संस्थागत विकास तथा विषयवस्तु व शिक्षण विधियाँ मिलजुल कर बनाने में मदद मिलेगी। सामुदायिक गतिशीलता संबंधी विद्यालय वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाने में अभिभावकों स्थानीय समाज व स्कूल संबंध ढाँचे का सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। विद्यालय में होने वाले राष्ट्रीय उत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद के आयोजन में अभिभावक को भागीदारी एवं व्यवस्थाओं हेतु बुलाया जाना आवश्यक है। विद्यालय के रख–रखाव इसकी सुविधाओं संबंधी समुदाय की भागीदारी अपेक्षित है।? समुदाय द्वारा विद्यालय विकास हेतु अनेक उदाहरण हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

विद्यालय भवन निर्माण, जीर्णोद्धार करना, चारदीवारी, कक्षा–कक्ष सुधारना, जल व्यवस्था, बिजली व कम्प्युटर व्यवस्था करना, विद्यार्थी को शिक्षण संबंधी सामग्री व पोशाक का वितरण आदि।

1.5.3 विद्यालय प्रबंध समिति (School Management Committee) :

राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के बात कही गयी है। जिससे एनसीएफ –2005 की संकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति के विभिन्न नाम अलग–अलग राज्यों में रहे हैं यथा– ग्राम विकास समिति, स्कूल समिति, शिक्षक– अभिभावक समिति ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल विकास एवं प्रबंध समिति। छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 की धारा 21 के खण्ड 1 एवं 2 में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बच्चों के माता–पिता या संरक्षक और शिक्षक के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम की धारा 3 में विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कार्य को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया है – संरचना – विद्यालय प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा –

1. विद्यालय प्रबंध समिति में संयोजक सहित कुल 16 सदस्य होंगे।
2. समिति के 75 प्रतिशत सदस्य अर्थात् 12 सदस्य बच्चों के माता–पिता या पालक होंगे।
3. समिति के शेष 25 प्रतिशत सदस्यों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा।

(अ) समिति का एक सदस्य स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा।

(ब) स्कूल का प्रधान समिति का सदस्य होगा।

(स) समिति का एक सदस्य स्कूल का अध्यापक होगा जिसका चयन विद्यालय के अध्यापक करेंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य–

(Maintasks performed by the school management committee)

- सामान्य जनता को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय, माता–पिता, अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना।
- विद्यालय में अध्यापकों एवं बालकों की नियमित उपस्थिति एवं बालक की शिक्षा में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें करना।
- 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन एवं उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालय में दोपहर के भोजन (मिड–डे मील) पर निगरानी रखना।
- विद्यालय की आय – व्यय का लेखा–जोखा की जाँच करना।
- विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना।
- विद्यालय में खेल मैदान, बाउण्ड्री वॉल, कक्षा–कक्ष की सुविधाएं, फर्नीचर एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- समय–समय पर विद्यालय के बालकों के स्वास्थ्य की जाँच करना।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, विद्यार्थियों की पोशाक समय पर उपलब्ध करवाना।
- विद्यालय विकास हेतु विकास योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना।
- विद्यालय प्रबंधन समिति स्वयं के आर्थिक स्रोतों से अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार स्थानीय व्यक्तियों, अध्यापकों, सहायकों की सेवाओं हेतु पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था कर सकती है लेकिन इसका भार किसी भी स्थिति में राज्य सरकार पर नहीं पड़ना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थियों के लिए –

1.6 कल्याणकारी योजनाएँ – केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है जो कि निम्नलिखित हैं –

छात्र दुर्घटना बीमा (Student Accidental Insurance)

- योजना का नाम – छात्र दुर्घटना बीमा
- क्रियान्वयन एजेंसी – स्कूल शिक्षा विभाग
- कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
- योजना का उद्देश्य – छात्र–छात्राओं को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
- हितग्राही की पात्रताएं – शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर के

सभी छात्र–छात्राओं एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं

- मिलने वाले लाभ – मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10, 000 रूपए (दस हजार) की क्षतिपूर्ति आंशिक अपंगता पर 5,000 रूपए (पांच हजार) की

सरस्वती सायकल योजना (Saraswati Cycle Scheme)

- योजना का नाम – सरस्वती सायकल योजना
- क्रियान्वयन एजेंसी – स्कूल शिक्षा विभाग
- कार्यक्षेत्र – संपूर्ण छत्तीसगढ़
- योजना का उद्देश्य – कक्षा 9वीं के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना।
- हितग्राही की पात्रताएं – शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्त छात्राएं एवं पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग की गरीब परिवारों की छात्राएं।
- चयन प्रक्रिया – हितग्राही का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं गरीबी रेखा कार्ड के आधार पर किया जाता है।

मध्यान्ह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme)

- योजना का नाम – मध्यान्हह्न भोजन योजना
- क्रियान्वयन एजेंसी – स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग
- कार्यक्षेत्र – संपूर्ण छत्तीसगढ़
- योजना का उद्देश्य – शासकीय विद्यालयों, अनुदान प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों के विद्यालयों तथा अनुदान प्राप्त मदरसों में कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन देना शाला त्यागदर में कमी लानो तथा कुपोषण में कमी लाने बाबत्।
- हितग्रही की पात्रताएं – शासकीय विद्यालयों, अनुदान प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों के विद्यालयों तथा अनुदान प्राप्त मदरसों में कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी।
- मिलने वाले लाभ – पका हुआ ताजा एवं गुणवत्तायुक्त भोजन।

छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना (Chhattisgarh Soochna Shakti Yojna)

- योजना का नाम – छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना
- क्रियान्वयन एजेंसी – स्कूल शिक्षा विभाग
- कार्यक्षेत्र – संपूर्ण छत्तीसगढ़
- योजना का उद्देश्य – हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को सूचना प्राद्यौगिकी की शिक्षा देना।

- हितग्राही की पात्रताएं – हाईस्कूलों तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राएं।
- मिलने वाले लाभ – कम्प्यूटर शिक्षण।

निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना (Free Uniform Scheme)

- योजना का उद्देश्य – प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को गणवेश प्रदाय कर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना। छात्राओं को प्रतिवर्ष एक सेट गणवेश प्रदान किये जाते हैं। गणवेश का वितरण शाला में शिक्षकों के समक्ष किया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति के प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर के बालक एवं बालिकाओं को गणवेश प्रदान किया जाता है।
- कार्य क्षेत्र – समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला।
- पात्र हितग्राही – प्राथमिक शाला में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राएं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति के समस्त विद्यार्थी।

1.7 विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में (School as a Social Institution) :

आज विद्यालय में केवल विद्यार्जन या ज्ञानार्जन का स्थान ही नहीं माना जा सकता, अपितु एक सामाजिक इकाई अथवा एक विशिष्ट प्रकार का समाज है जिसके सभी छोटे बड़े सदस्य, अध्यापक, छात्र साथ–साथ रहते है। ये सभी एक व्यवस्था के अधीन कार्य करते है जिसके प्रति सब की सहमति एवं सहयोग रहता है। यह बात लोकतांत्रिक एवं सामाजिक भावनाओं की मिसाल है। विद्यालय के अध्यापक– छात्र, प्रधानध्यापक, अध्यापक तथा अन्य विद्यालयी सदस्यों के संबंध स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। विद्यालयों के कार्य सामाजिक जीवन की तैयारी है। इससे मानवीय संबंधों का महत्व बढ़ जाता है। विद्यालय समाज का एक अंग ही नहीं, अपितु एक सामाजिक उप इकाई भी है। इस सामाजिक संस्था में बालक एक दूसरे के अधिकारों विचारों एवं व्यक्तियों का आदर करना तथा अपने कर्तव्यों का समझदारी के साथ निर्वाह करना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय बालकों को उन सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित करती है जो वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित है। इसलिए विद्यालय लोकतांत्रिक, भ्रातृत्व न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। विद्यालय सामाजिक जीवन की तैयारी करवाने का प्रमुख साधन है। सामाजिक जीवन का संबध जितना व्यवहार से है उतना विषयवस्तु से नहीं, इस बात की पुष्टि विद्यालय की विद्यामान संस्कृति है।

वर्तमान में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में समाज को पोषित करने लिए सभी वर्गों, धर्मों, जातियों, लिंगों के

बच्चों को बिना भेदभाव के ज्ञानार्थ प्रवेश देते हैं, जहाँ विद्यालय द्वारा समानता, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के साथ व्यवहार किया जाता है। विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में निम्न कार्यों का निर्वहन करता है –

1. आज के विद्यालयों में पढ़ना, लिखना, गिनने के साथ–साथ मनोरंजन, बाल अधिकार, दायित्व व सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी दी जाती है।
2. लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रशिक्षण प्रदान हेतु छात्र संसद का गठन, संचालन करवाया जाता है।
3. संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तान्तरण।
4. समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रमों को संचालन।
5. बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना।

समाज सेवा और मानवता की कल्याण की भावना जागृत करने के लिए सेवाकार्य, चिकित्सा, श्रमदान आदि विद्यालीय गतिविधि के अंग है। इस हेतु विद्यालयों में स्काउट–गाइड, एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं एस.यू.पी.डब्लू शिविर आदि आयोजित किए जाते हैं।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागरूकता हेतु विद्यालय में किए जा सकने वाले कार्यों की सूची तैयार करवाएँ।

1.7.1 समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) :

समावेशी शिक्षा का मतलब समर्थ–असमर्थ सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को समाविष्ट करने से है। इससे तात्पर्य बच्चों के जीवन के हर क्षेत्र चाहे विद्यालय में हों या बाहर मुख्यतया शारीरिक या मानसिक रूप से असर्मथ बच्चों व समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलने से है। प्रत्येक छात्र को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने व साथियों के साथ अनुभवों को बाँटने के अवसर मिले।

अधिकतर विद्यालयों में गिने चुने बच्चों को ही बार–बार प्रतियोगिताओं से सम्मिलित होन के अवसर दिए जाते है जिससे विद्यार्थी के छोटे समूह को तो ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनसे उनमें आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है और वे चर्चित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे विद्यार्थी उपेक्षित महसूस करते हैं तथा सक्रिय भागीदारी से वंचित हो जाते है। विद्यालय में उनकी पहचान नगण्य रहती है। अतः समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थीयों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित होने के समान अवसर मिलने चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा की पहचान करके प्रशंसा की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि विशेष रूप से ध्यान रखना जाना चाहिए कि विशेष जरूरत वाले बच्चों को भी सम्मिलित किया जाए। विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों से तात्पर्य उन विद्यार्थियों से हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज्यादा समय या मदद की जरूरत है। विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के संचालन के समय इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि प्रतिस्पर्धा का विद्यार्थियों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

विद्यालयों में वर्ग निर्धारण करते समय संज्ञानात्मक स्तर को आधार नहीं बनाया जाता है। क्योंकि इससे सामान्य बच्चों के शैक्षिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो विद्यालय विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन पर तो जोर देते हैं पर सभी विद्यार्थियों के सहभागिता पर ध्यान नहीं देते उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में प्रस्तुत नही करना चाहिए। जिनमें वस्तुतः वे विद्यालय आदर्श विद्यालय हैं जिनमें प्रत्येक छात्र खुशी महसूस करें और विद्यालय में आकर आनंद की अनुभूति करें।

अतः विद्यालयों को एक सामाजिक संस्था के रूप में विकसित करने की दृष्टि से विद्यालय प्रशासकों एवं शिक्षकों को यह प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों एवं भिन्न–भिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अलग–अलग क्षमतायुक्त छात्र छात्राओं के एक साथ अध्ययन करने पर कक्षा–कक्ष का वातावरण अधिक समृद्ध एवं प्रेरक हो।

- समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है।
- विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना है।
- सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे फेल नहीं होते हैं, वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते है।
- अंतरों की स्वीकृति.... विविधता का उत्सव।
- समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है।
- मानवीय अधिकार सीखें और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाएँ। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है। इसे तोड़े।
- प्रावधान करें बाधाएँ न गढ़ें, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएँ।

प्रदत्तकार्य :

1. राष्ट्र, समाज तथा छात्रों की दृष्टि से विद्यालयों के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. मानवीय तथा भौतिक संदर्भ में विद्यालय की संकल्पना का विवेचन कीजिए।
3. विद्यालय के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधारों को स्पष्ट कीजिए।
4. प्रभावी विद्यालय की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए।
5. विद्यालय के संचालन में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
6. विद्यार्थी तथा शिक्षकों की कल्याणकारी योजनाओं पर टिप्पणी कीजिए।
7. समावेशी शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।

संदर्भ ग्रंथ – विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं शिक्षक (राजस्थान)

---oooooooo---

इकाई–2

शिक्षा संचालन व्यवस्था

(Education Management System)

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.2005) ने तात्कालिक आवश्यकताओं और ढांचागत संरचना को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उन्नयन हेतु कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के अनुरूप शिक्षा को गति देने में शिक्षा संचालन व्यवस्था की महत्ती भूमिका है। इस व्यवस्था के विभिन्न घटक जैसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय, गैर सरकारी संगठन आदि हैं। इन सभी की अपनी विधि एवं विशिष्ट भूमिका होती है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाकर राज्यों को क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। समय–समय पर विभिन्न दिशा–निर्देश देकर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करती है। इन दिशा–निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारें अपने राज्य की आवश्यकतओं एवं संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए तत्पर रहती हैं तथा सतत् रूप से क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत रहती है। किसी भी शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु समुदाय की बढ़ती भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, अपितु यह कहना उपयुक्त होगा कि वर्तमान युग में उनकी भूमिका अपरिहार्य हो गई है। शिक्षा संचालन व्यवस्था में प्रत्येक अभिकरण का अपना क्षेत्राधिकार है। उनका अपना एक ढाँचा होता है, ढाँचे के विभिन्न अधिकारियों के अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्व हैं। उनकी अपनी जवाबदेही है, परंतु अध्यापक की भूमिका सर्वोपरी है अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए N.C.F.T.E.-2009 को भी समझना आवश्यक है साथ ही प्रशासनिक सहयोगी संस्थाओं की भूमिका को भी जानना होगा। विभिन्न कार्यक्रमों और केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ किस प्रकार से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं यह जानना भी महत्वपूर्ण है। हम इस इकाई में उक्त सभी बातों पर विचार करेंगे।

उद्देश्य (Objectives)

- शिक्षा के संदर्भ में समवर्ती सूची में दिए प्रावधान को समझना।
- केन्द्र, राज्य सरकार, समुदाय आदि का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को रेखांकित करना।
- आर.टी.ई.2009 को भली–भाँति समझना।
- विद्यालय के अर्थ व संचालन के संदर्भ में N.C.F.T.E.-2009 को जानना।
- राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग के ढाँचे की समझ विकसित करना।
- विद्यालय में शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रशासनिक सहयोगी संस्थाओं की भूमिका से अवगत होना।

2.1 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ और स्वतंत्र देश के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। उसे स्वतंत्रता मिली अपने लिए नियम–कायदे बनाने की और उसे संचालित करने की। इसी उद्देश्य के लिए

आजादी से पहले ही नवंबर, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया जिसके विभिन्न कार्यों से संबंधित 22 समितियों की मदद से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चले अथक प्रयास के फलस्वरूप देश के कानून व नियमावली की मौलिक दस्तावेज ''संविधान'' को आकार दिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को संविधान की शुरूआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2.1.1 सूचियाँ (Lists):

भारतीय संविधान विषयों की महत्ता के आधार पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा करता है। संविधान ने सातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान रखा है।

1. संघ सूची (Union List) 2. राज्य सूची (State List) 3. समवर्ती सूची (Concurrent List)

1. संघ सूची के संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। रक्षा, बैंकिंग, संचार, विदेश मामले, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों को सूची में रखा गया।
2. राज्य सूची से संबंधित विषयों पर राज्य विधान मंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस विषय में मूलतः66 विषय रखे गए थे जो परिवर्तित होकर होकर 61 विषय रह गए हैं। पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, जेल जैसे महत्वपूर्ण विषय इस सूची से संबंधित हैं।
3. समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिससे संबंधित संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि केन्द्र या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में अंतर/ मतांतर होता है तो केन्द्र का कानून प्रभावी होगा तथा राज्य का कानून असंगतता की सीमा तक अप्रभावी हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि केन्द्र सूची में राष्ट्रीय महत्व के, राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के तथा समवर्ती सूची में मिले–जुले विषयों को रखा गया है।

शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में स्थानीय व प्रांतीय विविधता को ध्यान में रखते हुए मूल संविधान में शिक्षा को राज्य के विषयों में सम्मिलित किया गया था, परंतु बाद में चलकर शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित व निर्देशित करने के लिहाज से 42वें संविधान संशोधन, 1947 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब शिक्षा के विषय में केन्द्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं समवर्ती सूची के संबंध में शिक्षा से संबंधी केन्द्र व राज्य के द्वारा बने कानूनों में मतांतर होने पर केन्द्र सरकार के प्रावधान को वरीयता मिलेगी।

गतिविधिः

"शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने पर क्या तस्वीर बदली,? केन्द्र व राज्य की भूमिकाओं में क्या परिवर्तन आया है? इस पर प्रशिक्षार्थी – शिक्षकों से चर्चा करें।''

इस संविधान संशोधन से केन्द्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ता प्रदान करने में महती भूमिका निभाई। केन्द्र सरकार ने सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया, जिसमें शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जनआंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष बल देने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को गति देने के प्रयास किए गए।

2.1.2 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE, 2009)

(The Right of children to free and Compulsory Education Act 2009)

समय–समय पर विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों ने शिक्षा की महत्ता को विविध तरीके से रेखांकित करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक क्रम में बढ़ते हुए एक अधिकार के रूप में शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ जिसकी परिणति हम भारतीय संदर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के रूप में देख सकते हैं; जिसे– 1 अप्रैल 2010 से'' दि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 2009'' के नाम से लागू कर दिया गया।

RTE, 2009 के प्रमुख प्रवाधान : (Major Provisions of RTE 2009)

इसके अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराओं का विवरण है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का सार निम्नलिखित रूप में दिया गया है –

- भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।
- प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को न तो रोका जाएगा, न ही निकाला जाएगा तथा बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।

इस अधिनियम की प्रमुख धाराएँ निम्न हैं :–

धारा 2 (ग) 6–14 आयुवर्ग के समस्त लड़के तथा लड़कियों को 'बालक' शब्द के रूप में जाना जाता है।

धारा–16 किसी भी 6–14 आयुवर्ग के अंकों के आधार पर अनुत्तीर्ण न करना इसके लिए धारा 24 में शिक्षकों के 6 कर्त्तव्य दिए गए हैं जिससे यदि शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा बालक के शिक्षण पर ध्यान देंगे तो फेल नहीं होंगे।

धारा–17 इस धारा के अनुसार शिक्षक बालकों को शारीरिक दंड तथा मानसिक प्रताड़ना न दें। धारा 29 में के बिन्दु भी समाहित हैं।

धारा–21 विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के बारे में है।

धारा–29 मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है।

धारा–27 शिक्षक के तीन गैर शैक्षिक कार्य–चुनाव, आपदा प्रबंधन एवं जनगणना।

धारा – 28 ट्यूशन कार्य पर प्रतिबंध।

धारा– 30 बोर्ड परीक्षा की समाप्ति।

- ऐसा बच्चा/ बच्ची जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो, अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चे के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक बालक/बालिका का प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस एवं प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा।
- किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

बालक का स्थान महत्वपूर्ण होता है उसे शारीरिक दण्ड, मानसिक, प्रताड़ना तथा हतोत्साहित किए जाने पर सरकार ने RTE 2009 की धारा 17 में महत्वपूर्ण प्रावधान कर बालक को सर्वोच्च स्थान समाज में देने का प्रयास किया है। (बालकों को शारीरिक दण्ड देना एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और बालकों के साथ भेदभाव प्रतिबंधित है जिनका RTE 2009 की धारा 17 एवं (pocso) पोक्सो एक्ट 2012 में उल्लेख किया गया है) शारीरिक दण्ड, मानसिक प्रताड़ना तथा भेदभाव के स्वरूप निम्नानुसार है जिनके उल्लघंन पर दण्ड का प्रावधान है।

शारीरिक दण्ड	मानसिक प्रताड़ना	भेदभाव
1. मारना ➔ लात मारना। ➔ मुक्का मारना। ➔ बाल खींचना। ➔ बैंत, छड़ी, जूता, रस्सी, चॉक, डस्टर या बेल्ट से मारना। ➔ बिजली के झटके देना।	1. ताने कसना जो कि बालक के आत्मसम्मान को चोट पहुँचाते हों।	1. बच्चे की जाति, लिंग, पारिवारिक, व्यवसाय, धर्म निजी स्कूल में 25 प्रतिशत आरक्षण आदि से व्यवहार में आनेवाले परिवर्तन भेदभाव को बढाते हैं।
2. बच्चों को असहज स्थिति में खड़ा करना।	2. डाटना, झिड़कना, बच्चे को जाति–सूचक शब्दों से बुलाना, अंगुलियों से इशारे करना।	2. अपने शब्दों के माध्यम से स्कूल में जाति आधारित व्यवहार, पूर्वाग्रहों को बनाए रखना।
3. कक्षा, शौचालय व पुस्तकालय में बालक को बंद कर देना।	3. असम्मानजनक टिप्पणी करना।	3. बच्चों की जाति या लिंग को देखते हुए काम का विभाजन करना।
4. ऐसे कार्य करवाना जो उसकी क्षमता से अधिक हों।	4. बच्चे की शारीरिक विकलांगता या मानसिक विमंदता का मजाक बनाना।	4. जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भोजन के दौरान, पुस्तकालय, स्कूल में देय सुविधाओं व खेलकूद में भेदभाव करना।
	5. टी.बी. एड्स से प्रभावित बच्चों की खिल्ली उड़ाना।	5. शारीरिक, शैक्षिक व भावनात्मक जरूरतों की उपेक्षा करना।
	6. धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को छोटा दिखाना इसी प्रकार अधिक चंचल बच्चों को झिड़कर अनुशासित करना या अलग करना। 7. बच्चों को प्रताड़ित कर अभिभावकों पर ट्यूशन के लिए दबाव बनाना।	6. बच्चे को अवसरों और मनोरंजन के साधनों से वंचित करना।

2.1.3 एन.सी.एफ.टी.ई.2009 की जानकारी

National Curriculum Frame Work for Teacher Education (N.C.F.T.E.-2009)

विद्यालय के अर्थ, संरचना तथा संचालन में N.C.F.T.E. 2009 की महत्वपूर्ण बातें –

1. शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम शिक्षकों में भावनात्मक और सामाजिक संवेदनाएँ विकसित करें।
2. शिक्षक बालकों को अधिगम क्रिया के सक्रिय भागीदार के रूप में देखें न कि केवल ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में वह बालकों में ज्ञान के सृजन की क्षमता को प्रोत्साहित करें तथा सीखने की प्रक्रिया में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें। अधिगम को निजी अनुभवों पर आधारित अर्थ की तलाश के रूप में देखा जाना चाहिए जो चिंतन परख अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है।
3. शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों को पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए न कि उन्हें जैसा दिया गया है उसे बिना बहस के स्वीकार कर लेना चाहिए।
4. शिक्षकों को मानवधिकार के परिप्रेक्ष्य में नागरिकता की शिक्षा को पुनः परिभाषित करना चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्ति एवं पर्यावरण से मेल पूर्वक रहना, शांति और प्रजातांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे संविधान में निहित समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भ्रातृत्वभाव तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का पोषण करना चाहिए।
5. इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक बालकों की चिंता करें, उनके साथ रहने में आनंद अनुभव करें, ज्ञान की तलाश करने, समाज के प्रति अपना दायित्व अनुभव करें तथा अच्छे समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत रहें, बालकों की समस्याओं के प्रति संवदेनशील बनें व सामाजिक न्याय, तथा सामाजिक पुनर्निमाण हेतु प्रतिबद्ध रहने के लिए तत्पर रहें।
6. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को शिक्षकों को बालकों के विषय में पुस्तकों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान देने की अपेक्षा बालकों के वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ना चाहिए। इसे शिक्षक को बालकों के मनोसामाजिक अभिधारकों, उनकी अधिगम संबंधी आवश्यकताओं, उनकी विशिष्ट क्षमतओं तथा अधिगम हेतु उनकी संज्ञानात्मक प्राथमिकता तथा अभिप्रेरणा को समझ सकने हेतु सक्षम बनाना चाहिए तथा उसे परिवार एवं सामाजीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न बालक के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए।
7. शिक्षक शिक्षा के बहुद्देश्यीय आयामों को दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसी व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से शिक्षकों के रूझान, मूल्यों, स्वभावों, आदतों आदि के साथ–साथ शिक्षण विधाओं एवं आवधारणाओं का संख्यात्मक एवं गुणात्मक मानदण्डों पर सही मूल्यांकन किया जा सकें।
8. शिक्षक–शिक्षा को कक्षा कक्षों में पाई जाने वाली विविधताओं के अनुरूप अकादमिक अधिगम प्रक्रिया को सामाजिक एवं व्यक्तिगत वास्तविकताओं से जोड़ सकने में सक्षम होना चाहिए।
9. शिक्षक पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों को विश्लेषण करें एवं उन्हें स्थानीय आवश्यकता के संदर्भ में देखें।
10. शिक्षक बालकों को अवलोकन करने, उनके साथ जुड़ने, वार्तालाप करने के अवसर प्रदान करें।

गतिविधि – समूह चर्चा

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों के तीन समूह निर्मित करे। उक्त विवरण का अध्ययन करने हेतु निर्देशित करे तथा समूहवार निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार रखने हेतु कहे –

समूह –1 RTE,2009 में दिए गए विवरण के अनुसार एक विद्यालय की क्या विशेषताएं होनी चाहिए?

समूह –2 RTE,2009 में दिए गए विवरण के आधार पर एक विद्यालय की संरचना कैसे होनी चाहिए?

समूह –3 RTE,2009 में दी गई बातों के अनुसार विद्यालय संचालन के प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं?

अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा 2009 (N.C.F.T.E 2009) के द्वारा विद्यालय की संरचना एवं संचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण पक्ष है वर्तमान शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का सबसे अहम पहलू इसकी विद्यालय स्तर पर क्रियान्विति है। शिक्षण एक व्यवसाय है तथा शिक्षक शिक्षा शिक्षक की व्यावसायिक तैयारी की एक प्रक्रिया है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी तथ्यों तथा शैक्षिक सिद्धांतों का ज्ञान तथा समझ, व्यावहारिक क्षेत्र, कुशलता तथा शिक्षण अधिगम संबंधी दक्षताओं तथा व्यावसायिक अभिवृत्ति तथा मूल्यों के योजनाबद्ध मूल्यांकन पर बल देता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के ये दो पक्ष पाठ्यचर्या क्रियान्विति तथा अधिगम मूल्यांकन के नाम से जाने जाते हैं इससे विद्यालय के वास्तविक वातावरण से जुड़ाव कर विद्यालय के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं।

प्रश्नः

1. किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया?
2. प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के संबंध में त्ज्म 2009 में क्या प्रावधान किए गए हैं?

2.2 शिक्षा का क्षेत्राधिकार (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय/ट्रस्ट) (Jurisdiction of Education)

संविधान में निहित आधार पर भारत एक जनतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र है। संविधान में शिक्षा, केन्द्र तथा राज्य का विषय है। अतः हमारे देश में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य दोनों शासनों का होता है।

वर्तमान स्थिति में हमारे देश में शिक्षा की पूरी व्यवस्था एवं प्रशासन कई प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो निम्नानुसार हैं –

1. केन्द्र सरकार
2. राज्य सरकार
3. स्थानीय निकाय
4. गैर सरकारी (निजी शिक्षण संस्थाएं)

केन्द्र स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का उत्तरदायित्व मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का होता है। इस मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न स्तर एवं क्षेत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। यह मंत्रालय संसद में शिक्षा संबंधी एवं क्षेत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। यह मंत्रालय संसद में शिक्षा संबंधी प्रश्नों के प्रति जवाबदेह होता है। इस मंत्रालय में एक मंत्री, दो उप मंत्री, शिक्षा सचिव, संयुकत सचिव, सलाहकार व निदेशक होते हैं। जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी नीतियों व योजनाओं का निर्धारण करते हैं। मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्य भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के अनुसार ही किया जाता है।

2.2.1 केन्द्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार/दायित्व (Jurisdiction/Obligation of the Central Government)

1. दूसरे राष्ट्रों के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना।
2. केन्द्र तथा राज्यों के बीच शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।
3. केन्द्र शासित या संघीय राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं जैसे– राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय आदि का प्रशासन करना।
5. केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसे – बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) विश्व भारती (शांति निकेतन) आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनका पर्यवेक्षण करना।
6. ऐसे वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा संस्थानों का प्रशासन करना जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं।
7. उच्च स्तरीय शोध, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों को सुविधाएं प्रदान करना तथा शैक्षिक मानकों को स्थापित करना।
8. राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
9. छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप प्रदान करना।
10. राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार करना।
11. राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित एवं प्रोन्नत करना।
12. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का उत्तरदायित्व निभाना।

केन्द्र सरकार अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का संपादन कई सलाहकार समितियों एवं कानूनी संस्थाओं की सहायता से करती हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :–

1. रूकेन्द्रीय सलाहकार बोर्ड।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
5. वैज्ञानिक एवं औद्यागिकी अनुसंधान परिषद्।

2.2.2 राज्य सरकार के शिक्षा संबंधि क्षेत्राधिकार/दायित्व (Jurisdiction/Obligation of the State Government):

राज्य सरकार का शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूण योगदान है जो निम्न हैं –

1. राज्य सरकार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा सामान्य, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। परंतु उच्च स्तर पर शिक्षा के मानकों की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा ही की जाती है।
2. राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करती है।

3. केन्द्र तथा राज्य के बीच समन्वय एवं सहयोग बनाये रखने के लिए गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।
4. केन्द्र सरकार अपने परामर्श बोर्ड के द्वारा राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देती है, परंतु शिक्षा के लिए पहल करने का दायित्व राज्य सरकार का ही होता है।
5. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को क्रिया रूप प्रदान करने में निरीक्षण एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार सरकारी विद्यालय को संचालित करती है और गैर–सरकारी विद्यालयों पर नियंत्रण रखती है।
6. इसके अतिरिक्त विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था, नागरिकता का विकास, परिवार और विद्यालय में संबंध, शैक्षिक अनुसंधान इत्यादि के प्रयास भी राज्य सरकार ही करती है।

इस प्रकार राज्य सरकार मुख्यतया निम्नांकित दायित्व का निर्वहन करती है :–

1. नीतियों, योजनाओं, नियमों का निर्माण करना और शैक्षिक मानकों को स्थापित करना।
2. कार्य की प्रभावशीलता को जानने के लिए पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
3. सरकारी विद्यालय, महाविद्यालयों का संचालन तथा निजी शैक्षिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखना।
4. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों संबंधी नीतियों का निर्धारण करना।
5. शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की उन्नति हेतु राज्य के शैक्षिक कार्यक्रम के साथ समन्वय बनाए रखना।
6. योजना एवं अनुसंधान कार्यों को नेतृत्व प्रदान करना।
7. परामर्श एवं सूचना सेवाएं प्रदान करना।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से राज्य सरकार के दायित्वों को लेकर चर्चा करें कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन–सा दायित्व है जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है?

2.2.3 समुदाय (Community):

साधारण बोलचाल की भाषा में समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने के के लिए निश्चित भूदृभाग में रहते हैं।

क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सदस्यों में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताएं हों। समुदाय शब्द वास्तव में 'सम तथा दाय' शब्दों के मिलने से बना है जिसका अर्थ है– समान दाय वाले व्यक्तियों का समूह अंग्रेजी भाषा में समुदाय के लिए (Community) शब्द आता है। जिसका अर्थ भी प्रायः यही है। अंग्रेजी का यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है – 'कम' (Com) तथा म्यूनिस (Munis) यहाँ कम (Com) का अर्थ है एक साथ तथा (Munis) म्यूनिस अर्थ है सेवा– भाव से रहना है।

समुदाय को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर लिखते हैं कि '' किसी जनसमूह चाहे वह छोटा हो या बड़ा, के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे व्यक्तिगत हितों को त्यागकर सामूहिक रूप से जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब उस समूह को समुदाय कहते हैं।

मैकावर की परिभाषा के आधार पर समुदाय की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है–

1. समुदाय के लिए व्यक्तियों का छोटा या बड़ा समूह आवश्यक है।
2. प्रत्येक समाज के लिए छोटा या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक है।
3. समूह का निर्माण पारस्परिक सद्भाव तथा विश्वास पर होता है।
4. समूह के सदस्यों की एक विशिष्ट क्षेत्र में उद्देश्य तथा रूचियों में समानता होती है।
5. समूह के सदस्य व्यक्तिगत हितों को त्यागकर सम्पूर्ण समुदाय के हितार्थ कार्य करते हैं।

समुदाय का शैक्षिक महत्व (Educational Importance of Community)

बालक की शिक्षा में समुदाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के विकास, उसकी आदतों, व्यक्तिगत विशेषताओं तथा रूचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जैसे समुदाय में बालक रहता है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। यदि बालक अनुशासित तथा सृजनशील लड़कों के समुदाय में रहता है तो निश्चय ही वह भी उनके जैसा हो जाएगा। बालक समुदाय से बहुत सी बातें सीखता है। इन बातों को सीखने में अनुकरण विधि का सहारा लेता है। समुदाय की विधियों तथा व्यवहारों को बालक ज्यों का त्यों ग्रहण करने की चेष्टा करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का ठीक वही स्थान है जो परिवार तथा समाज का है।

समुदाय के शैक्षिक कार्य (Educational Work of the Community)

समुदाय बालक के लिए निम्नलिखित शैक्षिक कार्य सम्पादित करता है:

1. शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण – समुदाय शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करता है। वह वर्तमान उद्देश्यों की समीक्षा करता है तथा अन्य उद्देश्यों की संभावनाओं पर अपना मत प्रकट करता है।
2. पाठ्यक्रम का निर्माण – समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की समालोचना करके उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जनमत तैयार करता है। वह अपने विचार संबंधित शिक्षाविदों को प्रेषित करता है।
3. प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था – समुदाय प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए समय–समय पर विशिष्ट शिविरों, कार्यक्रमों तथा केन्द्रों का आयोजन करता है। कहीं–कहीं पर स्थायी व्यवस्था की जाती है।
4. शिक्षा पर नियंत्रण – समुदाय शिक्षा पर अनेक प्रकार से नियंत्रण करता है। विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधियां, वित्तीय साधन, शिक्षा नीति, आदि की आलोचना करके उनमें आवश्यक संशोधन की मांग करता है।
5. व्यावहारिक एवं स्वावलंबी शिक्षा की व्यवस्था – अपने नवयुवकों को व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा स्वावलंबी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए समाज तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करता है।
6. शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था– समुदाय शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था करता है।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका के बारे में चर्चा करे एवं प्रमुख बिंदुओं को सूचीबद्ध करें।

पंचायत और शिक्षा (Panchayat and Education):

संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम, जिल व ब्लॉक स्तर पर स्थापित की गई जिसमें चयनित निकाय जनता को उनके अपने ग्राम, जिला और तहसील स्तर पर सामूहिक हित के लिए सोचने, निर्णय करने और काम करने में समर्थ बना सके। विकास में जनता को अधिक भागीदारी का अवसर मिले, ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, सामाजिक न्याय आदि की दिशा में लोग सामूहिक रूप से कार्य कर सकें। 73वें संशोधन में ऐसे 29 विषयों की पहचान की गई है जिनका पंचायतों को स्थानांतरित किया जाना है जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं। सभी राज्य सरकारों ने पंचायती राज कानून बनाए हैं, ताकि विकेन्द्रीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रजातांत्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो। कई राज्यों में से कार्यों और गतिविधियों की पहचान की गई है, जिन्हें पंचायती राज के अलग–अलग स्तरों पर लागू किया जा सके।

2.3 शैक्षिक सहयोग के औपचारिक संगठन (Formal Organization for Educational Co-operation):

सामूहिक निष्क्रियता की समस्या को हल करने के लिए ही ऐसे औपचारिक संगठन बनाने के प्रयास हुए हैं जो अध्यापकों और अभिभावकों के बीच अधिक सक्रिय अंतर्सबंधों को बढ़ावा दे सके इस हेतु पी.टी.ए. (शिक्षक–अभिभावक –संघ) और ग्रा.शि.स.(ग्राम– शिक्षा–समिति) दो उदाहरण है। कई क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति को स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के व्यापक सुविचारित उद्देश्य से स्थापित किया जाता है।

गतिविधिः

स्कूली शिक्षा प्रणाली के किन क्षेत्रों में सुधार हेतु 'ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जा सकता है। इस पर शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से चर्चा करे तथा सहयोग की बिंदुओं को सूचीबद्ध करें।

2.3.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)

मानव संसाधन विकास का सार, शिक्षा है जो देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। चूंकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन है। इसलिए नागरिकों के समग्र विकास की जरूरत है जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार नामक बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का सृजन भारत सरकार (व्यवसाय का आबंटन) नियम 1961 के 174 में संसाधन के माध्यम से 20 सितम्बर 1985 को किया गया था, जो दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है।

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।
2. उच्चतर शिक्षा विभाग।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है।

कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य ''शिक्षा के सार्वभौमिकरण'' एवं युवाओं में बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिए, नियमित रूप से विभिन्न नई योजनाएं प्रारंभ की जाती है। दूसरी तरह, उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्य में लगा हुआ है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहें। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों की वैश्विक मतों का लाभ प्रदान करने के लिए कई संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किए हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य (Objectives):

मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है। शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास करना।
- निर्धनों, महिलाओं और अलपसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना।
- समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति,ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को विदेशी सरकारों के साथ–साथ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि, देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

2.3.2 राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएँ (NationalEducational Institutions):

2.3.2.1 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

National University of Educational Planning and administration (NUEPA)

शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान को समर्पित एक संस्था के लिए 1962 में भारत ने यूनेस्को (UNESCO) के साथ एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानर एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्थापित किया जो बाद में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनस्ट्रेशिन के नाम से जाना गया। 1979 में भारत सरकार ने इस संस्था को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था (NUEPA) नाम दिया यह संस्था नई दिल्ली में NCERT परिसर में स्थित है। भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2006 से इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

कार्य संस्था के कार्यकलापों का मुख्य क्षेत्र –

शैक्षिक आयोजको और प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचारों तथा परामर्शी सेवाओं का प्रसार आदि शामिल है। इसके प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

1. शिक्षा नियोजकों, कार्यकत्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। यह शैक्षिक नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न कार्यगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है। संस्था जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स एम.फिल, पी.एच.डी. कोर्स, विदेशी कर्मचारियों

के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि को भी संचालित करती है।

2. अनुसंधान – यह संस्था अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्यों का निष्पादन करती है साथ ही साथ विभिन्न अनुसंधानों को अकादमिक, आर्थिक व संस्थागत सहयोग व समर्थन भी प्रदान करती है।
3. नवाचारों का प्रसार – यह संस्था नवाचारों के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके साथ ही इसने विभिन्न राज्यों में प्रयुक्त नवाचारों को प्रसारित करने में भी महती योगदान दिया है।
4. परामर्शदात्री सेवा – यह संस्था विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करती है। संस्था ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में भी सहायता प्रदान की। साथ ही यह केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की विभिन्न समितियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।
5. प्रकाशन कार्यक्रम – संस्था शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन से संबंधित प्रकाशन करती है जिसमें – पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, प्रतिवेदन आदि प्रमुख है।
6. सहयोग – यह संस्थान विभिन्न संगठनों – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग NCERT विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, योजना आयोग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि संगठनों से भी सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है तथा कई संयुक्त परियोजनाओं को भी कार्यान्वित करती है।

2.3.3.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T.)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली एक स्वायत्त संगठन है जिसे 9 सितंबर, 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक– प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूली शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। इस संस्था की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है।

इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

1. विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित व संगठित करना।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा– नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना।
3. केन्द्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना।
4. उन्नतशील शैक्षिक विधियों और नवाचारों का प्रचार करना।
5. पाठ्यपुस्तकों, शोध–पत्रिकाओं एवं शिक्षा संबंधी साहित्य को प्रकाशित करना जिससे अध्ययनरत विद्यार्थी नये ज्ञान व सूचनाओं को प्राप्त कर सके।
6. विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचनाएं स्थापित करना।
7. संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना।
8. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करने का प्रयास करना।

उपर्युक्त कार्यों का संचालन छण्डामारण्ज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है जो इस प्रकार हैं–

1. पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग

2. अनौपचारिक शिक्षा विभाग
3. सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
4. विज्ञान शिक्षा विभाग
5. अध्यापक शिक्षा विभाग
6. विशेष आवश्यकता शिक्षा विभाग
7. नारी अध्ययन विभाग
8. पाठ्यपुस्तक विभाग
9. प्रकाशन विभाग
10. सर्वेक्षण विभाग

परिषद् अपनी भूमिकाओं का समग्रता के साथ निर्वहन करने के लिए अपने अधिनस्थ निम्नलिखित संस्थाओं के समन्वय व सहयोग के साथ कार्य का सम्पादन करती है।

- राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education)
- केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (C.I.E.T)
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (R.I.E.)
- पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (P.S.S.C.I.V.E.)

2.3.4 केन्द्र प्रदत्त आर्थिक सहायता (Centrally funded financial assistance):

भारत एक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों वाला राष्ट्र है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित कर लाभान्वित करने का प्रयास किया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रम प्रायोजित किये जाते है तथा सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इस प्रकार के कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम कहलाते हैं।

राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैः–

1. सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A) प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित (इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।)
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) – माध्यमिक शिक्षा से संबंधित (इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।)
3. माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा।
4. मिड–डे मील कार्यक्रम (पोषाहार कार्यक्रम)

2.4 राज्य की शिक्षा व्यवस्था (Education System of the State)

राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सचिवालय व निदेशालय के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.सी.ई.आर.टी.) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2.4.1 शिक्षा सचिवालय (Education Secretariat)

राज्य में शिक्षा विभाग के दो प्रमुख अंग है सचिवालय और निदेशालय

(1) सचिवालय – (Secretariat):

राज्य में शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रशासन के लिए एक केबिनेट स्तर का शिक्षामंत्री होता है ये मंत्री, राज्य सचिवालय के माध्यम से राज्य के लिए शिक्षा नीतियां निश्चित करते हैं, विधानसभा में तय की गई नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते है।

शिक्षा सचिवालय का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है–

शिक्षामंत्री (केबिनेट)

प्रमुख सचिव (शिक्षा)

शिक्षा सचिव

उपशिक्षा सचिव

सहायक शिक्षा सचिव

ग्रुप ऑफिसर

विभागीय या सेक्शन ऑफिसर

प्रमुख सचिव, शिक्षा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) का सदस्य होता है। वह शिक्षा मंत्री की नीतियों को जहां लागू करता है, वहीं शिक्षा मंत्री या शिक्षा राज्यमंत्री की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर सलाह भी देता है। वह राज्य शिक्षा संबंधी मसलों, सरकारी नियमों के अधीन कार्य कराने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुशासन संबंधी समस्याओं को निपटाने का कार्य भी करता है। राज्य सरकार के सभी आदेश उसी के नाम से निकलते है। शिक्षा–सचिव, शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा निदेशालय के बीच एक कड़ी के रूप में होता है यह कार्यालय महानदी भवन में स्थित है।

वर्तमान में शिक्षा प्रशासन केन्द्र और राज्य का एक सम्मिलित दायित्व है। 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने पर शिक्षा राज्य का विषय हो गया परंतु 1976 में संविधान संशोधन हुआ और तद्नुसार शिक्षा समवर्ती सूची में आ गई जिसके अनुसार जहाँ शिक्षा संबंधी कार्य राज्य और केन्द्र मिलकर करेंगे वहीं शिक्षा संबंधी नीति अथवा विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय केन्द्र का मान्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रशासन के लिए एक केबिनेट स्तर के मंत्री तथा एक राज्य मंत्री होते हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग का ढाँचा

↓

प्रशासनिक इकाई	अकादमिक इकाई	कार्ययोजना निर्माण
↓	↓	↓
लोक शिक्षण संचालनालय	एस.सी.ई.आर.टी. / सीमेट / ई.एल.टी.आई.	राजीवगांधी शिक्षा मिशन राज्य परियोजिना कार्यालय
↓	↓	↓
जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा महाविद्यालय / उन्नत शिक्षा संस्थान	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
↓	↓	↓
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / बी.टी.आंई.	जिला परियोजना कार्यालय
		↓
		खंड स्रोत केन्द्र
		↓
		संकुल स्रोत केन्द्र

2.4.2 छ.ग. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छ.ग. (S.C.E.R.T)

राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद शिक्षा के प्रसार के लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करते हैं। N.C.E.R.T के कार्यों एंव संगठनात्मक स्वरूप के समान्तर ही राज्य संस्थान के कार्यों एवं संगठनात्मक स्वरूप का निर्धारण किया गया है। संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण एवं मार्गदर्शन प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा छ.ग. सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

	स्थापना एवं समन्वय विधानसभा/विभागीय जाँच	1. अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा संबंधी। 2. उच्च कार्यालयों व अधिनस्थ कार्यालयों से समन्वय। 3. बैठक एवं समीक्षा कार्य।
	शिक्षक शिक्षा प्रकोष्ठ	1. बी.एड., डी.एड. पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण। 2. बी.एड., डी.एड. प्रशिक्षार्थी चयन प्रक्रिया निर्धारण का काऊंसिलिंग कार्य। 3. निरीक्षण एवं परामर्श।
	पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम	1. राज्य की शिक्षा नीति का प्रस्तुतीकरण। 2. कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण। 3. राज्य की पाठ्यचर्या निर्माण।
	प्रकाशन प्रकोष्ठ	1. पाठ्यपुस्तकों, सहायक पठन सामग्रियों, बाल पत्रिकाओं, प्रशिक्षण संदर्शिकाओं का प्रकाशन।
	शोध एवं नवाचार/शिशु शिक्षा एक्टिव लर्निंग प्रकोष्ठ	1. क्रियात्मक अनुसंधान। 2. शिक्षकों का शोध एवं नवाचार में प्रशिक्षण। 3. विभिन्न विषयों की ए.एल.एम. आधारित पाठ योजनाएं तैयार करना।
	व्यावसायिक शिक्षा/शैक्षिक प्रौद्योगिकी बाह्य योजनाएं	1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण। 2. कबाड़ से जुगाड़। 3. सूचना प्रौद्योगिकी। 4. ऑटो मोबाईल।
	योग एवं मूल्य शिक्षा	1. सभी स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों का योग एवं मूल्य शिक्षा में प्रशिक्षण। 2. चेतना विकास मूल्य शिक्षा का आयोजन।

	सर्वशिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1. शिक्षा प्रशिक्षण। 2. गुणव संवर्धन विज्ञान/गणित/अंग्रेजी। 3. किट वितरण। 4. शिक्षा के लोक व्यापीकरण संबंधी कार्य।
	विज्ञान मेला/प्रदर्शनी एवं प्रतियोगी परीक्षाएं/पर्यावरण जनसंख्या बालिका शिक्षा	1. राज्य स्तरीय विज्ञान मेला, प्रदर्शनी एवं परीक्षाओं का आयोजन। 2. जनसंख्या शिक्षा। 3. बालिका शिक्षा। 4. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा।
	एड्सेट प्रकोष्ठ	1. दूरस्थ शिक्षा। 2. प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी। 3. प्राचार्यों, शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षकों का क्षमता विकास।
	सीमेट (राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान)	1. परिषद के अकादमिक सदस्यों, प्राचार्यों शिक्षा अधिकारियों का क्षमता विकास। 2. सभीस्तर के विभागाध्याक्षों व संस्था प्रमुखों का नेतृत्व क्षमता विकास। 3. ज्ञान प्रबंधन एवं शैक्षिक योजनाएं।
	आंग्ल भाषा शिक्षा प्रकोष्ठ (ई.एल.टी.आई.)	1. कक्षा 1 से 10 तक पाठ्यपुस्तकों व सहायक शिक्षण सामग्रीत्र निर्माण। 2. अंग्रेजी भाषा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम। 3. शिक्षकों का मासिक प्रशिक्षण कोर्स संचालन।
	कला शिक्षा, अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्ग की शिक्षा, ग्रंथालय	1. राज्य की परम्पराएँ, रीतिरिवाज, संस्कृति विभूतियों से संबंधित पाठ्यसामग्री निर्माण प्रदर्शन। 2. समावेशी शिक्षा, मदरसा बोर्ड के कार्य। 3. ग्रंथालय का संचालन।

2.4.3 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्राथमिक शिक्षा स्तर में गुणात्मक उन्नयन, नवाचार शिक्षा की सुविधाएं सुलभ कराने तथा शैक्षिक अनुसंधान में गत्यात्मकता के प्रयास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 1987–88 में जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया। वर्तमान में छ.ग. के 19 जिलों में डाइट स्थापित है। डाइट

। डी.एल.एड (प्रथम वर्ष)

के प्रभाग निम्नानुसार है –

1. सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग (P.S.T.E.)
2. कार्यानुभव प्रभाग (W.E.)
3. जिला संदर्भ इकाई प्रभाग (DRU)
4. सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतक्रियाएँ, नवाचार एवं समन्वय प्रभाग (IFIC)
5. पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग (CMDE)
6. शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग (E.T.)
7. योजना एवं प्रबंधन प्रभाग (P&M)

क्र.सं.	प्रभाग	कार्य
	सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग	(1) सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा (द्वि–वर्षीय पाठ्यक्रम) का N.C.T.E. के मानदंड के अनुरूप एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजन करना। (2) प्रशिक्षण,प्रसार उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से बाल केन्द्रित शिक्षा एवं वैयक्तिक विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना। (3) जिले के विद्यालयों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं निर्देशन सेवाएं उपलब्ध कराना। (4) मनोविज्ञान, निःशक्तजनों के लिए संदर्भ केन्द्र (मनोविज्ञान) विज्ञान प्रयोगशाला, कला, शिक्षा केन्द्र तथा स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के उपकरणों का रखरखाव। (5) पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन। (6) डाइट के अन्य प्रभागों को संदर्भ सेवाएं प्रदान करना। (7) सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के छात्राध्यापकों की मूल्यांकन व्यवस्था, सचिव छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार करना। (8) क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं क्रियात्मक अनुसंधान।
	कार्यानुभव प्रभाग **(W.E.)**	(1) कार्यानुभव विषय से संबंधित स्थानीय उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर उनसे संबंधित मॉडल, इकाई के सहयोग से शिक्षण अधिगम सामग्री अल्पव्ययी शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन/विधि/उपकरण का निर्माण करना। (2) जिले के विद्यालय एवं शिक्षा अधिकारियों के कार्यानुभव प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन में सहयोग देना। (3) सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों हेतु कार्यानुभव के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित क्रियात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना। (4) संस्थान में कार्यानुभव विषय से संबंधित प्रवृत्तियों या सफाई, मरम्मत, रखरखाव व संस्थान का सौंदर्गीकरण आर्थिक आयोजन करना। (5) प्रशिक्षण के दौरान समान सेवा संबंधित क्रियाएं एवं स्थानीय कार्यानुभव केन्द्र का अवलोकन करना।

	जिला संदर्भ इकाई प्रभाग **(D.R.U)**	(1) जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण कर उनकी क्रियान्विति करना। (2) महिला सशक्तीकरण, जनसंख्या शिक्षा (किशोरावस्था शिक्षा) एवं निःशक्तजन एकीकृत शिक्षा योजनांतर्गत जिला स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। (3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों में समन्वय हेतु उनका संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का अवलोकन कर संबलन प्रदान करना। (4) विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व एड्स दिवस, मानवधिकार दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसों के आयोजन का प्रशिक्षण देना। (5) शिक्षा सहयोगी एवं पैराटीचर के लिए विषयवस्तु आधारित प्रशिक्षण आयोजित करना।
	सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया, नवाचार, एवं समन्वयन प्रभाग **(I.E.I.C.)**	(1) डाइट का वार्षिक पंचाग तैयार करना। (2) जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान कर सेवारत शिक्षकों हेतु विषय आधारित एवं थीम आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन करना। (3) शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु पत्रवाचन एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। (4) क्षेत्रीय अंतःक्रिया, क्रियात्मक अनुसंधान एवं सत्र पर्यंत प्रकाशन के लिए मॉडल ब्रांच के रूप में कार्य करना। (5) जिला शिक्षा अनुसंधान शोधपीठ की वार्षिक योजना का निर्माण एवं उसकी क्रियान्विति करना। (6) प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों की पत्राचार के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर शैक्षिक उन्नयन हेतु जिला संदर्भ केन्द्र का गठन करना। (7) जिले के शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न अधिकारों में समन्वयन हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन करना।
	पाठ्यक्रम सामग्री एवं मूल्यांकन प्रभाग (C.M.D.E.)	(1) प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रचलित एवं नवीन प्रणालियों को अपनाते हुए निम्नलिखित कार्य करना। शिक्षाक्रम एवं नवीन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करना। स्थानीय परिवेशगत शिक्षण अधिगम सामग्री की पहचान एवं निर्माण करना। (2) निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण कार्ययोजना संबंधी प्रशिक्षण। (3) दक्षता आधारित शिक्षक अधिगम एवं मूल्यांकन में गुणात्मक सुधार हेतु सहपाठी समूह एवं स्वमूल्यांकन विधा संबंधी प्रशिक्षण देना। (4) मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण यथा प्रश्न–पत्र प्रश्न बैंक आदि का निर्माण करना। (5) पाठ्यक्रम का जिलास्तर पर परख एवं परीक्षावार विभाजन करना।

	शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग **(E.T.)**	(1) शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्पव्ययी शिक्षण सहायक समाग्री एवं श्रव्य–दृश्य सामग्री का निर्माण एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना। (2) सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण। (3) शैक्षिक प्रौद्योगिकी के नवीनतम उपकरणों यथा कम्प्यूटर, टी.वी., ओ.एच.पी, आदि के प्रति सजगता संबंधी प्रशिक्षण। (4) दक्षता आधारित शैक्षिक सामग्री निर्माण, रेडियो पाठ आलेखन एवं अन्य प्रभागों के प्रशिक्षण के शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपकरणों के माध्यम से संबलन प्रदान करना।
	योजना एवं प्रबंधन विभाग **(P. and M.)**	(1) विभिन्न शैक्षिक समंक एकत्र कर डाइट एवं जिला योजना निर्माण में सहयोग देना। (2) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक यथा प्रधानाध्यापक विद्यालय, संकुल, विद्यालय योजना आदि का चयन व प्रशिक्षण। (3) लेब एरिया का चयन कर शैक्षिक उन्नयन के प्रयास करना। (4) कार्यक्रम सलाहकार समिति पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन, बैठको को आयोजन एवं निर्णय को क्रियान्वित करवाना। (5) विद्यालय के स्वमूल्यांकन हेतु उपकरणों का निर्माण, शाला मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन में शिक्षा अधिकारियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना। (6) टीचर प्रोफाइल प्रपत्र संधारण करना।

2.4.4 लोक शिक्षण संचालनालय (DPI)

छत्तीसगढ़ सरकार को शिक्षा संबंधी समस्याओं, शिक्षा की प्रगति तथा आवश्यकताओं के बारे में सूचना देता है, शिक्षा संचालनालय एक कार्यपालिका संस्था है यह सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करती है। यह वास्तव में सरकार तथा विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी है यह राज्य में शिक्षा की प्रगति, शैक्षिक आवश्यकता की सूचनाएं तथा राज्य में प्रचलित शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जनसमुदाय की प्रतिक्रियाओं से सरकार को सूचित करता रहता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यालीय शिक्षा विभाग का ढाँचा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के रूप में स्थापित किया गया है। शिक्षा संचालनालय (जिसे अब लोकशिक्षण संचालनालय के नाम से जाना जाता है।) का प्रमुख शिक्षा निदेशक (संचालक) होते हैं जो शिक्षा सचिवालय द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करते हैं। शिक्षा संचालनालय शैक्षिक संस्थाओं का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा संचालनालय सरकार को शिक्षा संबंधी समस्याओं, शिक्षा की प्रगति तथा आवश्यकताओं के बारे में सूचना देता है। सरकार द्वारा संयुक्त अनुदान (Funds) का वितरण एवं भुगतान भी शिक्षा संचालनालय द्वारा किया जाता है। शिक्षा संचालनालय सरकार तथा संस्थाओं दोनों को शैक्षिक परामर्श भी प्रदान करता है।

संचालनालय में शिक्षा संचालक सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसके कार्य में सहयोग के लिए संयुक्त संचालक उपसंचालक आदि शिक्षा अधिकारी होते हैं। यह कार्यालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर में है।

शिक्षा निदेशक / संचालक के कर्तव्य और शक्तियाँ

1. राज्य में संचालक के प्रशासनिक नियंत्रण में रहने वाली किसी भी शिक्षण संस्था का निरीक्षण करना।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।

3. विभागीय बजट में स्वीकृत धनराशि को आकस्मिक तथा खर्च के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थाओं में उनकी आवश्यकतानुसार वितरण करना।

4. यह शिक्षा निदेशालय का प्रधान विभागाध्यक्ष होगा और उसकी व्यवस्था उसके गठन, पुनर्गठन, उसमें कार्य विभाजन व संप्रेषण व्यवस्था, निर्णयात्मक, प्रक्रिया, समन्वय आदि के निर्धारण के लिए वह पूर्णतया सक्षम होगा।

5. निदेशक अपने परिक्षेत्रों में शिक्षा पाठ्यक्रम को लागू करना। विभागीय पंचाग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालयों, संस्थाओं की मान्यता, शैक्षिक उन्नयन आदि का निर्धारण करना।

6. शिक्षकों की पदोन्नति, पुनः पदस्थापना व स्थायीकरण आदि का कार्य करना।

7. सरकार द्वारा निर्धारण नियमों के अनुसार सहायता दी जाने वाली संस्थाओं को सहायता की राशि स्वीकार करना।

8. प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नए भवनों के निर्माण अथवा वर्तमान भवनों की मरम्मत या उसमें वृद्धि करने की स्वीकृति देना।

9. वाचनालयों व पुस्तकालयों का स्थापित करना।

10. वह व्याख्याता, स्कूल शिक्षा एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संचालनालय स्तर के अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक, निजी सहायक व वरिष्ठ निजी सहायक के लिए नियुक्ति एवं पदोन्नति अधिकारी तथा शेष निम्न पदो के लिए प्राधिकृत नियुक्ति अधिकारी के संदर्भ में नियंत्रण, परिवीक्षण, निर्देशन संबंधी भूमिका निभाएगा।

11. शिक्षा विभाग के हित में यथा शिक्षा नीति के प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए वह अन्य विभागाध्यक्षों से संपर्क, समन्वय एवं समायोजन करेगा।

जिला स्तर – छत्तीसगढ़ के समस्त 27 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। सक्ती को शिक्षा जिला बनाया गया है। जिला स्तर पर ये सर्वोच्च अधिकारी है। वह जिले की प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा के लिए होते है। तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, प्रयोगशाला सहा. की नियुक्ति स्थानांतरण भी इनके अधीन है। कार्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप के चलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन सहायक संचालक शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी होते हैं।

प्रश्न –

1. एस.सी.ई.आर.टी. का पूरा नाम अंग्रेजी व हिन्दी में बताइए?

2. पाठ्यक्रय सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग को अंग्रेजी में संक्षेप में कैसे लिखा जाता है?

3. एस.सी.ई.आर.टी. में 9 विभागों की स्थापना क्यों की गई है?

4. एस.सी.ई.आर.टी. एवं एन.सी.ई.आर.टी. के कार्यों में समानता एवं असमानता बताइए?

2.4.5 जिला शिक्षा अधिकारी (D.Ed.O.)

राज्य में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजित है। जिला मिशन समन्वयक व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन समन्वयक को जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में रखा गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य अधिकारी एवं कर्तव्य निम्नलिखित है–

1. प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण/परिवीक्षण के लिए सामान्यतया उत्तरदायी रहना।

2 अपने अधीन सहायक जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना और निरीक्षण/परिवीक्षण करना।

3. प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों को खोलने व बंद करने के बारे में मंडल अधिकारी को अपनी टिप्पणी भेजना।

4. कैम्प, रैली तथा क्रीडा स्पर्धा का आयोजन करना तथा छात्र/छात्राओं से संपर्क बढ़ाना।

5. जिला शिक्षा अधिकारी अध्यापक एवं समकक्ष पुस्तकालयाध्यक्षों, तृतीय श्रेणी कनिष्ठ लिपिकों के लिए वे नियुक्ति एवं स्थानांतरण अधिकारी होंगे तथा इनकी पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, पुरस्कार, पदावनति, निलंबन, दंड सेवानिवृत्ति आदि अधिकारों का वे संबंधित नियमों के अधीन उपयोग करेंगे।

6. जिला योजना का निर्माण करना, उसका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना।

7. अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों की वर्ष में 4 बैठकें आयोजित करना एवं त्रैमासिक कार्यों का मूल्यांकन करना।

8. निदेशक अथवा उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अधीन अपना क्षेत्रांतर्गत कार्यालयों/संस्थाओं के हित में वे अन्य विभागों से संपर्क, समंवय, सहकार का दायित्व वहन करेंगे। जिला पंचायत से समन्वय है।

9. जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधीन एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं के नियंत्रण अधिकारी होंगे। उनका दायित्व होगा कि वे राज्य सरकार, निदेशालय एवं उच्च अधिकारी से प्राप्त आदेशों, निर्देशों एवं निर्धारित नीति के अनुरूप अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यालयों/ संस्थाओं से कारवाई करवायें। इसके लिए वे स्वयं भी आवश्यक आदेश, निर्देश जारी करेंगे।

10. अपने क्षेत्राधिकार में कर्मचारियों/शिक्षकों की आवश्यकता, आपूर्ति, समयोजन, युक्तीकरण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उस संबंध में उपयुक्त माध्यम से समुचित कारवाई करेंगे।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से उक्त विवरण के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के परिवीक्षण संबंधी बिंदुओं को संकलित कर चार्ट बनवाए।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी – राज्य की समस्त पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के नाम से सृजित किया गया है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य निम्नलिखित है–

(1) समन्वय संबंधी कार्य (Co-ordination related works):

1. पंचायती राजसंस्थाओं से पूर्ण समन्वय।

2. प्रारंभिक शिक्षा की समस्त ब्लॉक स्तरीय परियोजनाओं के समन्वय का कार्य।

3. ब्लॉक स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता समिति के सदस्य सचिव का कार्य एवं समय–समय पर अध्यक्षीय अनुमति से बैठकों का आयोजन।

(2) स्थापना संबंधी कार्य (Estabilishment related works)

1. अध्यापकों की नियुक्ति (पदस्थापना) स्थानांतरण (ब्लॉक स्तरीय) अनुशासनात्मक कार्यवाही।

2. अध्यापकों के अवकाश प्रकरणों में कार्यालय अध्यक्ष की पूर्ण शक्तियां यथा उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश 120 दिन की सीमा तक स्वीकृत करना।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से जिला शिक्षा योजना पर विचार विनिमय कर उसमें सम्मिलित किए जा सकने वाले कार्यक्रमों की सूची बनवाएं।

(3) लेखा संबंधी कार्य (Accounting work) –

(1) कार्यालयाध्यक्षों आहरण वितरण के पूर्ण अधिकार

(अ) शिक्षा विभागीय शिक्षकों एवं अधिकारियों के आहरण वितरण संबंधी कार्य का कोषागर/उपकोषागार के माध्यम से

(ब) ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (BRCC) कार्यालय से संबंधित प्रतिनियुक्त कार्मिक के वेतन आदि का आहरण।

(4) शैक्षिक कार्य (Educational work) –

1. ब्लॉक स्तरीय समन्वित शिक्षा योजना का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. क्षेत्र/ समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार नामांकन, ठहराव एवं तत्संबंधी गतिविधियों का आयोजन एवं अभिलेख का रख रखाव।
3. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/अभियानों का निरीक्षण करना।
4. विभागीय कैलेण्डर अनुसार समस्त शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों (खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम,बुलबुल स्काउटिंग व स्वास्थ्य सेवा) का सफल संचालन सुनिश्चित करना।
5. पाठ्यपुस्तक, पोषाहार, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि का वितरण व निरीक्षण करना।

प्रश्न

1. ब्लॉक शिक्षाधिकारी द्वारा संपादित किए जाने वाले कोई तीन शैक्षिक कार्य बताइए।
2. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है?

2.5 शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रशासनिक सहयोगी संस्थाएं

(Various Administrative Subsidiaries related to Education):

2.5.1 सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A.)

यह कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। 2001.02 में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के बजट में केन्द्र तथा राज्य का अंश होता है। सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6–14 आयुवर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना, शत्प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना, सामाजिक वर्गभेद व लिंगभेद को समाप्त करना तथा सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

सर्वशिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार है–

1. शिक्षा गुणवत्ता – कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु निम्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है।

अ. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन – प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण नवाचार एवं गतिविधिपूर्ण शिक्षण कराया जा रहा है।

ब. कम्प्यूटर आधारित शिक्षण – कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को विज्ञान, अंग्रेजी व गणित विषयों को सरल तरीके से पढ़ाने हेतु कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है।

स. विज्ञान, गणित किट का निःशुल्क वितरण – विद्यार्थी में विज्ञान विषय के प्रति रूचि उत्पन्न करने हेतु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को विज्ञान व गणित विषय को सरल तरीके से समझाने के लिए चयनित विद्यालयों में विज्ञान व गणित किट का निःशुल्क वितरण किया गया है।

द. क्वालिटी एश्योरेन्स प्रोग्राम – बच्चों के अधिगम स्तर का परीक्षण करने हेतु नियमित परीक्षाओं के अतिरिक्त विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

गतिविधिः

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से उक्त विवरण में दी गई गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाले बिन्दुओं पर चर्चा कराएँ।

2. शिक्षक प्रशिक्षण – बालक–बालिकाओं का नवीतम शिक्षण पद्धतियों से अध्ययन कराने, उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करने हेतु पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण लेना आवश्यक है।

3. शिक्षक अनुदान (टी.एल.एम.) – बच्चों और शिक्षकों की सृजनाशीलता को उभारने तथा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु 500रु. प्रति शिक्षक अनुदान का प्रावधान किया गया है।

4. विद्यालय सुविधा अनुदान राशि (School faclility grant) – सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक व

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक सहशैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपकरण के प्रतिस्थापना हेतु प्रति प्राथमिक विद्यालय को 5000 रु. तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 सभी विद्यालयों रू. स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का है तो उसे 5000+7000=12000 रू. देय है।

5. ब्रिजकोर्स – शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी है। जिन विद्यालयों में 40 से या इससे अधिक शिक्षा से वंचित स्थानीय बालक–बालिका प्रवेश लेते हैं उनके लिए आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किये जा सकते हैं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन के लिए 3000 रू. प्रतिवर्ष प्रतिबालक बजट प्रावधान है।

6. निर्माण कार्य – सर्वशिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय में भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रैम्प आदि के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्यों को समाहित कराए जाने का दायित्व एस.एम.सी. (विद्यालय प्रबंधन समिति) का है। कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम (CALP) कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख रू. का बजट का प्रावधान होता है जिसमें से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां मॉडल स्कूल हो, बालिकाओं का नामांकन अधिक हो, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध हो के आधार पर चयनित विद्यालयों में दो/तीन कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाते हैं, इन कम्प्यूटर के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक बालक–बालिकाओं को शिक्षण कराया जाता है।

8. शोधकार्य – जिला स्तरीय शोध अध्ययन– प्रत्येक जिले में केवल एक जिला स्तरीय शोध डाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। क्रियात्मक शोध (विद्यालय स्तरीय) प्रत्येक जिले में विद्यालय स्तरीय क्रियात्मक शोध शिक्षकों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनके अलावा निम्न कार्यक्रम एस.एस.ए. द्वारा संपादित किए जाते हैं।

1. जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (DISE)
2. सुपर विज़न एवं मॉनिटरिंग
3. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु विभिन्न गतिविधियां
4. कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय
5. शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों
6. शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम

2.5.2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

प्रत्येक बालक–बालिका के लिए 5 किमी परिधि में माध्यमिक विद्यालय एवं 7–10 कि.मी. की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के लक्ष्य निम्नानुसार है– 14 से 18 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

- आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग के बालक–बालिकाएं जो किन्हीं कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, उनको माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, विशेषकर वे बालिकाएं एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहें हैं जिनमें एस.टी.,एस.सी.,ओ.बी.सी और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक को मध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना।

- प्रत्येक बालक की पहुंच व उपलब्धता तक माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- आर्थिक, सामाजिक असमानता व लिंग–भेद समाप्त करना।
- सभी विद्यालयों में निर्धारित मापदण्डों की सुनिश्चितता।
- 5 वर्ष में सकल नामांकन दर 75 प्रतिशत करना।
- वर्ष 2017 तक सभी बालक–बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा।
- वर्ष 2020 तक पूर्ण ठहराव।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्य नीति –

- शाला मानचित्रण के माध्यम से उन क्षेत्रों में जहां माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहां माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जायंगे।
- प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित मापदंड पूर्ण करना।
- छात्र–शिक्षक अनुपात को समान करना।
- सेवारत शिक्षक – प्रशिक्षक के द्वारा शिक्षकों की कार्यदक्षता व कुशलता में वृद्धि करना।
- प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक संसाधन यथा–श्यामपट्ट, फर्नीचर, पुस्तकालय विज्ञान, गणित व कम्प्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।
- आश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति व सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- कक्षा 8 से उत्तीर्ण बालकों की शैक्षिक दक्षता बढ़ाने के लिए ब्रिजकोर्स का आयोजन।

1. शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए रैम्प निर्माण।
3. पेयजल सुविधा, विद्युत, टेलीफोन एवं इंटरनेट सुविधा।

शिक्षक –

1. अध्यापकों की नियुक्ति विशेषतः गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय।
2. सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण।
3. दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय हेतु शिक्षकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना।

–––oooooooo–––

इकाई–3
विद्यालय के प्रकार
(Types of School)

परिचय (Introduction) -

विद्यालय वह स्थान है जहां विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से ज्ञान का अर्जन करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। ज्ञानार्जन के लिए जितना शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, उतना ही विद्यालय भवन एवं अन्य भौतिक सुविधाओं का महत्व है। आज के जटिल युग में शैक्षिक आवश्यकताओं में वृद्धि होने के फलस्वरूप उद्देश्यों एवं सीखने–सिखाने की प्रवृत्तियों के अनुरूप विशेष प्रकार के उपकरण, साज–सज्जा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि से युक्त विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय परिसर का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन ढंग से हो सके साथ ही वह छात्रों के विकास में भी सहायक हो।

इनमें से कुछ विद्यालय केन्द्र सरकार, कुछ राज्य सरकार और शेष सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों (NGOS) अथवा ट्रस्टों द्वारा संचालित होते हैं। स्तर की दृष्टि से कुछ विद्यालयों में कक्षा पांच तक कतिपय में कक्षा आठ तक, कुछ अन्य में कक्षा दस तक और शेष में कक्षा 12वीं तक अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था होती है। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था, अकादमिक स्थिति और स्तर के आधार पर विद्यालयों के कई प्रकार होते है। इस इकाई में हम विद्यालय के विभिन्न प्रकारों एवं उनसे संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे।

उद्देश्य (Objectives) -

1. विद्यालयों की संरचना (प्रशासनिक और अकादमिक) को जानना।
2. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की जानकारी प्राप्त करना।
3. राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की जानकारी प्राप्त करना।
4. निजी विद्यालयों और विशिष्ट विद्यालयों के बारे में समझ विकसित करना।
5. कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा को समझना।

3.1 विद्यालय की संरचना (School Structure)

विद्यालय वह स्थल है जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण (ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक) विकास का कार्य किया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करता है साथ ही उसमें विभिन्न पाठ्य सामग्री प्रवृत्तियों के माध्यम से नैतिकता, देशप्रेम, भ्रातृत्व भाव, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना, सहयोग, सहृदयता आदि जीवन मूल्यों का विकास होता है। हम जिस प्रकार के विद्यालय की संरचना चाहते हैं वह विद्यार्थियों के सीखने–सिखाने के आनंदमयी क्रियाकेन्द्र के रूप में हों। भय का माहौल न हो, अभिभावक गर्व से कहे कि मेरा बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय में हरे–भरे पेड़–पौधे हों, परिसर साफ–सुथरा व स्वच्छ हो। कक्षा–कक्ष की दीवारें स्वच्छ एवं रंगी–पुती हों। दीवारों पर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्र लगे हों। विद्यालय भवन में विकलांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प हों। साथ ही छात्रों और छात्राओं के लिए पृथक–पृथक सुविधाओं (शौचालय) की व्यवस्था हो। विद्यालय के कार्यों एवं स्थितियों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है –

1. प्रशासनिक 2. अकादमिक

3.1.1 प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative Setup)

कक्षा स्तर के अनुसार विद्यालयों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, और हायर सेकेण्डरी इन चार प्रकारों में बांटा जाता है। विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थाप्रधान, शिक्षक, पदनाम, योग्यता, भौतिक संसाधन, प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा की जाती है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जाती है।

प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) -

प्रवेश प्रक्रिया से अभिप्राय विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश देने से है। सामान्यतः प्रवेश दो प्रकार के विद्यार्थियों के लिए होते हैं –

- पूर्व में ही अध्ययनरत विद्यार्थियों का उच्च कक्षा में प्रवेश।
- नवीन प्रवेश (प्राथमिक कक्षा में तथा दूसरे विद्यालयों से स्थानांतरित होकर आये विद्यार्थियों के लिए) आगामी सत्र की प्रवेश प्रक्रिया चालू सत्र की समाप्ति पर प्रारंभ हो जाती है। यह दो चरणों में होती है –

1. अप्रैल मई में तथा
2. जुलाई के प्रथम पखवाड़े में

प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया विद्यालयों में प्रवेशोत्सव से प्रारंभ होती है।

- प्रवेश हेतु विद्यालय में प्रधानाध्यापक के निर्देशन में प्रवेश समिति का गठन किया जाता है।
- प्रवेश समिति द्वारा प्रवेशोत्सव के दौरान गांव, शहर या क्षेत्र में रैली, नाटक (नुक्कड़) के द्वारा प्रवेश की योग्यता व आयु वाले
- छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- छात्रों को प्रधानाध्यापक की स्वीकृति के पश्चात प्रवेश दिया जाता है।

प्रथम कक्षा में प्रवेश (Admission in Class One) -

- प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। शासकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु प्राप्त विद्यार्थियों कभी भी प्रवेश ले सकता है।
- किसी भी छात्र को जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण किसी भी विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

विद्यालय अभिलेख (School Records) -

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कार्मिकों और विद्यालीय व्यवस्था की गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले अभिलेख को विद्यालय अभिलेख कहते हैं। विद्यालय में समय–समय पर समाज प्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन समिति आदि द्वारा निरीक्षण के संदर्भ में प्रगति एवं विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी प्रदान करना अभिलेख द्वारा ही संभव होता है। अतः विद्यालयों में विद्यालय अभिलेख संधारित करना नितांत आवश्यक है।

विद्यालय अभिलेख के प्रकार (Type of School Records):

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संधारित किए जाने वाले अभिलेख इस प्रकार हैं:–

1. **सामान्य अभिलेख (General Records) -**

सामान्य अभिलेख आमतौर पर सभी स्तर के विद्यालयों में संधारित किया जाता है यथा–

1. विद्यालय पंचाग (कैलेण्डर) 2. अवकाश रजिस्टर (लोक सेवक/कार्मिक) 3. आगंतुक पुस्तिका 4. आदेशपुस्तिका 5. अध्यापक डायरी 6. विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक पंजी आदि।

2. **प्रशासनिक अभिलेख (Administrative Records) -**

1. विद्यालय योजना 2. विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर 3. छात्र उपस्थिति रजिस्टर 4. अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर 5. विद्यार्थी प्रगति अभिलेख 6. स्थानांतरण सर्टिफिकेट रजिस्टर 7. कक्षावार परीक्षा फल रजिस्टर 8. सहशैक्षिणक गतिविधियों की पंजिका 9. प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षण पंजिका 10. उत्सव जयंतियों के आयोजन की पंजिका।

3. **वित्तीय अभिलेख (Financial Records) -**

1. शासकीय रोकड़ पंजिका 2. छात्रवृत्ति संबंधी पंजिका 3. वेतन पंजिका 4. आकस्मिक खर्च पंजिका 5. वाउचर पंजिका।

4. **कार्यालयी अभिलेख (Office Records) -**

1. स्थायी सामान पंजिका 2. अस्थायी सामान पंजिका 3. आवक पंजिका 4. जावक पंजिका 5. पुस्तकालय पंजिका 6. पुस्तकालय अवदान पंजिका 7. खेलकूद संबंधित पंजिका 8. विभिन्न प्रवृत्तियों की आयोजन पंजिका 9. पर्यवेक्षण अनुपालन पंजिका।

5. **अन्य अभिलेख (Other Records) -**

1. अभिभावक संपर्क रजिस्टर 2. शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित पत्रावलियां 3. सर्वे रजिस्टर आदि।

प्रधानाध्यापक (Head Master) –

विद्यालय स्तर पर विद्यालय के संचालन का सारा उत्तरदायित्व संस्था प्रधान का होता है। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों के संस्था प्रधान प्रधानाध्यापक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान प्रधानाचार्य कहलाते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय का व्यवस्थापक, संचालन सहयोगी, शिक्षकों का मित्र, दार्शनिक, निर्देशक और छात्रों का मार्गदर्शक होता है। प्रधानाध्यापक पर ही विद्यालय का सुसंचालन निर्भर करता है। वह शिक्षकों, विद्यार्थियों कर्मचारियों व अभिभावकों का नेतृत्व, विद्यालय की सभी गतिविधियों का संयोजन एवं मार्गदर्शन करता है। यही वह व्यक्ति है जो विद्यालय से संबंधित समस्याओं का निराकरण अपनी दूरदर्शिता के आधार पर करता है। वह कुशल संचालन से विद्यालय का अन्य अभिकरणों के साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। अतः विद्यालय के सफल संचालन में प्रधानाध्यापक की भूमिका अहम होती है।

प्रधानाध्यापक के कार्य :

प्रशासनिक कार्य	शैक्षणिक कार्य	संपर्क
1. सामान्य कार्य √ साधनों की पूर्ति करना √ छात्रो का प्रवेश एवं वर्गीकरण √ विद्यालय बजट √ समय विभाग चक्र निर्माण √ कार्य विभाजन √ अनुशासन व्यवस्था √ विद्यालय प्रांगण का सौन्दर्गीकरण	1. शिक्षक के रूप में √ कक्षा में प्रभावी शिक्षण करना √ विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रभावोत्पादक शिक्षण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना √ विचार–गोष्ठियों का आयोजन करना	1. शिक्षकों से संपर्क 2. छात्रों से संपर्क 3. अधिकारियों से संपर्क 4. अभिभावकों से संपर्क 5. समुदाय के साथ संबंध
परिवीक्षण कार्य √ शिक्षण कार्य √ लिखित कार्य √ सह–शैक्षिक प्रवृत्तियां √ कार्यालय कार्य √ परीक्षा व्यवस्था		

3.1.2 अकादमिक व्यवस्था (Academic System):

विद्यालय का मुख्य कार्य ही बालक का सर्वांगिण विकास करना है। अब तक हमने विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों, भवन, प्रवेश प्रक्रिया, विद्यालय अभिलेख आदि पर विचार किया। अब हम बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। सम्पूर्ण राज्य की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए (एस.सी.ई.आर.टी.) द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार विषयवार कालांशों, गतिविधियों तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में अपने विचारों और भावनाओं को रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास हो तथा अपने आस–पास के पर्यावरण के प्रति समझ विकसित हो साथ ही विज्ञान की विभिन्न स्थितियों व प्रक्रियाओं का अवलोकन कर सूचनाओं का संकलन व वर्गीकरण कर प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता बढ़े। इस प्रकार विद्यालय में अकादमिक कार्यों में से कुछ कार्य निम्नानुसार हैं –

विद्यालय योजना (School Plan) –

कोठारी आयोग (1964–66) की अनुशंसा के अनुपालन में योजना निर्माण का कार्य विद्यालय स्तर पर करने का निर्णय किया गया। विद्यालय योजना का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय का योजनाबद्ध व्यवस्थित उन्नयन करना है। इसमें प्रचलित कार्यक्रमों को सुधारने और आवश्यकतानुसार नये कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है। दीर्घकालिक योजना 3, 5 या 10वर्ष के लिए हो सकती है किन्तु विद्यालय स्तर पर इस प्रकार की योजना बनाना अधिक प्रचलित नहीं है। यह कार्य निजी विद्यालयों में तो हो सकता है परंतु शासकीय विद्यालयों केलिए कम संभव होता है, क्योंकि वहां प्रायः परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है। अतः विद्यालयों में सामान्यतया एक सत्र की योजना बनाने का कार्य प्रचलित है।

विद्यालय योजना में प्रारंभ में विद्यालय संबंधी सूचनाएं (विद्यालय की स्थिति, छात्रों की कक्षा व वर्गवार संख्या, शिक्षकों व कर्मचारियों का विवरण, विद्यालय की भौतिक स्थिति, गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम आदि) होती है। तदुपरांत क्षेत्र (शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक व अन्य) से संबंधित कार्यक्रमों की योजनाएं होती है। इनमें प्रत्येक कार्यक्रम से संबंधित वर्तमान स्थिति, निर्धारित लक्ष्य, क्रियान्विति के चरण (जिसमें चरणवार कार्य, प्रभारी व्यक्ति, उपलब्ध व जुटाये जानेवाले साधन, समयावधि और चरण पूर्ति की प्रस्तावित तिथि) का उल्लेख होता है। साथ ही इसमें अर्द्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन संबंधी सूचना भी होती है।

विद्यालय योजना निर्माण करते समय निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए –

1. योजना निर्माण में संबंधित सभी लोगों (विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक) का सहयोग लिया जाता है।
2. तात्कालिक आवश्यकता और साधनयुक्त कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लिया जाएं। बहुत अधिक कार्यक्रमों को लेना व्यावहारिक नहीं होगा।
3. कार्यक्रम के ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाएं जो व्यवहारिक हों और जिन्हें विद्यमान स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी अथवा अप्राप्य न हों।
4. क्रियान्विति के चरणों को स्पष्ट और क्रमिक रूप से उल्लिखित किया जाए।
5. योजना में मूल्यांकन की विधियों और तिथियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

विद्यालय योजना के क्षेत्र और कार्यक्रम निम्नानुसार हो सकते हैं –

1. शैक्षिक क्षेत्र (Educational Area) -

√ स्थानीय और बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन (संख्यात्मक और गुणात्मक)।

√ दैनन्दिनी का सुसंधारण।

√ विषय शिक्षण का सुधार।

√ लिखित कार्य का सुसंधारण व परिवीक्षण।

√ शिक्षण उपकरणों का प्रभावी उपयोग।

√ विषय संबंधी क्विज का आयोजन।

√ निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण आदि।

2. सहशैक्षिक क्षेत्र (Co-educational Area) -

√ प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन।

√ पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रभावी उपयोग।

√ उत्सव दिवसों व जयन्तियों का प्रभावी आयोजन।

√ साहित्यिक प्रवृत्तियों (निबंध लेखन, वाद–विवाद, आशुभाषण, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, कथन आदि) का प्रभावी आयोजन।

√ सांस्कृतिक कार्यक्रमों (नृत्य, संगीत, मूकाभिनय, एकाभिनय, आदि) का सुआयोजन।

√ एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउटिंग, गाइडिंग आदि का व्यवस्थित आयोजन।

√ शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

√ खेलकूद की नियमित व्यवस्था।

√ संचयिका का संचालन।

√ खेल–कूद प्रतियोगिता (कक्षावार, अंतविद्यालीय) का आयोजन।

√ विज्ञान क्लब आदि।

3. भौतिक क्षेत्र (Physical Area) -

√ विद्यालय भवन का निर्माण।

√ चार दीवारी का निर्माण।

√ प्रसाधन निर्माण।

√ वृक्षारोपण।

√ खेल के मैदान का समतलीकरण, सफाई।

√ शुद्ध पेय जल की व्यवस्था।

√ विद्यालय भवन की रंगाई–पुताई व सज्जा

√ फर्नीचर व्यवस्था।

√ शिक्षण उपकरण निर्माण और रख रखाव आदि।

4. अन्य (Others) -

√ किसी नवाचार का क्रियान्वयन।

√ क्रियात्मक अनुसंधान का क्रियान्वयन।

√ शिविर संगोष्ठी।

√ सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था।

विद्यालय योजना संबंधी कार्य का क्रम निर्धारण निम्नानुसार हो सकता है –

√ योजना का निर्माण।

√ योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

√ अर्द्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन।

√ अभिलेख संधारण।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों को निर्देश दे कि वे प्रथम परिचय के लिए जिस विद्यालय में गए, वहां की विद्यालय योजना की समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार कर उस पर पारस्परिक चर्चा करें।

पुस्तकालय (Library) -

पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां पर मुद्रित और अन्य शिक्षण संसाधनों को रखा जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुस्तकालय ज्ञान का भण्डार है। पुस्तकालय विद्यालय शैक्षणिक सामग्री का केन्द्र है, जो पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से सुसज्जित रहता है। विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि – प्रधानाध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, अध्यापक नाडी संस्थान है और पुस्तकालय उसका हृदय, क्योंकि पुस्तकालय विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास का केन्द्र है। इसके उपयोग से विद्यार्थियों में अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। जिससे उनके मस्तिष्क

में परिपक्वता आती है।

विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. विद्यार्थियों को पुस्तकालय के प्रति आकृष्ट करना।
2. उनमें पढ़ने की रूचि जाग्रत करना।
3. उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास करना।
4. कक्षा कार्य के पूरक के रूप में पुस्तकालय का उपयोग करने की योग्यता का विकास करना।
5. निबंध, वाद–विवाद, आशुभाषण आदि पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।
6. विद्यार्थियों में अवकाश के समय का सदुपयोग करने की आदत का विकास करना।
7. छात्रों और अध्यापकों को पठन सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
8. उन्हें निरंतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

पाठ्यसहगामी प्रवृत्तियां (Co-curricular Trends) -

शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हैं, जिसके तहत ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों का ज्ञानात्मक विकास ही होता है लेकिन पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के द्वारा ज्ञानात्मक के साथ–साथ भावात्मक व क्रियात्मक विकास भी संभव है।

शारीरिक विकास	शैक्षिक एवं साहित्य संबंधी	नागरिकता के विकास संबंधी	समाज कल्याण संबंधी	कला एवं विकास संबंधी	शैक्षिक भ्रमण	अभिरुचि विकास संबंधी
सामूहिक व्यायाम एवं परेड एनसीसी खेलकूद योग बागवानी	वाद विवाद सिम्पोजियम निबंध, कविता, भाषण, नाटक, भित्ति, पत्रिका, विद्यालय पत्रिका, विषयवार क्लब, अतिथि भाषण	जन संख्याओं का भ्रमण, ग्राम पंचायत, विद्यालय पंचायत, मोक संसद/मोक अदालत, बैंको का भ्रमण व अवलोकन	प्रार्थना सभा माइडिंग/स्काउटिंग एनएसएस प्राथमिक उपचार व जन्मदिवस आयोजन, रेड क्रास, कल्याण समितियां	चित्रकला प्रदर्शनी चार्ट एवं मॉडल विद्यालय सौंदर्गीकरण नृत्य, लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध वेशभूषा	ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण संग्रहालय व चिड़ियाघर कारखानों व उद्योग स्थलों का भ्रमण, वन विहार, शैक्षिक संस्थानों का भ्रमण	टिकटों, सिक्कों का संग्रह वैज्ञानिकों की जीवन कथाएं साहित्यिक कार्यक्रम संगीत प्रतियोगिता चित्रकला मॉडल प्रतियोगिता पुष्प सज्जा रेक बोर्ड तैयार करना।

गतिविधि –

1. शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से विभागीय पंचाग के आधार पर विभिन्न उत्सवों, जयंतियों व पर्यों के आयोजन की तिथिवार सूची बनाकर उस सूची का महीना और कार्यक्रम के आधार पर वर्गीकरण करते हुए चर्चा करवाए।
2. किसी एक पाठ्य सहगामी प्रवृत्ति को आयोजित करने से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा कर योजना बनाएं।

3.1.2.4 परीक्षा व्यवस्था – शिक्षण, अधिगम तथा परीक्षा शिक्षा रूपी भवन के तीन प्रमुख स्तंभ है। इनमें से किसी भी स्तर के कमजोर होने पर शिक्षा–रूपी भवन का सुचारू रूप से टिकना असंभव है। परीक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया की सफलता–असफलता का आकलन किया जाता है।

परीक्षा उतनी ही प्राचीन है, जितना प्राचीन मानव का ज्ञान भंडार है। किसी न किसी रूप से परीक्षाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, क्योंकि सुपात्र छात्र के चयन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रणाली से ही परीक्षा–प्रण ाली का प्रारंभ हुआ होगा। वर्तमान परीक्षा–प्रणाली ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की देन कही जा सकती है जो केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती है।

परीक्षा शिक्षा व्यवस्था के दोनों महत्वपूर्ण पक्षों अध्यापक व छात्र को क्रियाशील बनाती है ताकि छात्र अधिकाधिक ज्ञानार्जन कर सकें। परीक्षाओं के द्वारा अध्यापकों को अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है साथ ही छात्रों को अपनी निष्पति की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में परीक्षाओं के परम्परागत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण जिसमें निबन्धात्मक, लघूत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले प्रश्न पत्रों के साथ मौखिक परीक्षण भी किया जाता है। वर्तमान में कार्य योजना 1992 के सुझावों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया प्रयुक्त की गई है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) – सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रत्यय परीक्षा सुधार के दो सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम, जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करें। द्वितीय मूल्यांकन कार्य सत्रान्त ही न होकर सम्पूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे। अतः सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसे पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा सत्र के बीच में लगातार थोड़े–थोड़े अन्तराल के बाद किया जाता है और छात्रों को उनकी सफलताओं व कमियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे छात्रों को पृष्ठपोषण मिलें व अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयासरत रहें। व्यापक मूल्यांकनके अंतर्गत विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं– शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक विकास आदि का मूल्यांकन किया जाता है।

सतत मूल्यांकन में अध्यापक छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जांच करने के लिए लिखित परीक्षाओं के साथ–साथ मापन व मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों व उपकरणों का प्रयोग करता है। जिसमें रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, साक्षात्कार, अवलोकन, वाद–विवाद आदि है। सतत मूल्यांकन न केवल छात्रों की प्रगति की बात करता है, अपितु अध्यापकों को भी अपने शिक्षण व उसके नियोजन में सुधार के अवसर प्रदान करता है। इसलिए सतत मूल्यांकन परीक्षा सुधार के साथ–साथ सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु उपयुक्त कदम है।

प्रश्न –

1. प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश किस प्रकार से दिया जाता है?
2. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस प्रकार के अभिलेख संधारित किए जाते हैं?
3. विद्यालय योजना किन–किन क्षेत्रों के आधार पर तैयार की जाती है?
4. विद्यालय में संचालित किन्हीं पांच पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के नाम बताइए?
5. सतत मूल्यांकन क्यों प्रारंभ किया गया?

3.2 केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय (Schools Operated by Central Government)

3.2.1 केन्द्रीय विद्यालय (K.V.S) :

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित किए जाते हैं। सन् 1968 में भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल स्कूलों की स्थापना की गई थी। इन विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CySe) से संबंध किया गया। बाद में इनका नाम बदल कर केन्द्रीय विद्यालय कर दिया गया। इनकी स्थापना भारतीय सुरक्षा सेवा में नियुक्त एवं दूरस्थ पदस्थापित सैनिकों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के निमित्त की गई थी। वैसे इनमें प्रवेश के लिए अन्य बच्चों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है,परंतु व्यवहार में केन्द्र सरकार से संबंधित कार्मिकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। इन विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम के अध्ययन की व्यवस्था रही है। जुलाई, 2014 तक देश में 1094 केन्द्रीय विद्यालय संचालित हो रहे थे। तीन विद्यालय विदेशों में भी संचालित हो रहे हैं। ये काठमांडू, मास्को और तेहरान में स्थित है। शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ये विद्यालय 25 क्षेत्रों में विभाजित है। छत्तीसगढ़ में 27 केन्द्रीय विद्यालय संचालित है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य –

√ केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना।

√ विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना।

√ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नये–नये प्रयोग तथा नवाचारों को सम्मिलित करना।

√ बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना।

3.2.2 नवोदय विद्यालय (Navodaya School)

विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय एक अनूठा प्रयोग है। इसके अंतर्गत ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसे लक्ष्य मानकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। समाज में निर्धन, पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग भी सम्मिलित हैं, परंतु इनके प्रतिभाशाली वर्ग के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, जो कि शहर, समृद्ध एवं उच्च वर्ग को उपलब्ध रहती आई है, वह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस पृष्ठभूमि में यह अनुभव किया गया कि ऐसी प्रतिभाओं के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रतिभाशाली बच्चे अधिकतर उत्तम आधुनिक शिक्षा से वंचित रहते हैं, जो पारंपरिक रूप से केवल शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे भी इस प्रतियोगी युग में अपने शहरी एवं उच्च वर्ग के प्रतिद्वंदियों के समकक्ष आ सकें, इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई, जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। ये विद्यालय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उत्तम प्रयास कर रहे है। वर्ष 2014 तक भारत में 515 नवोदय विद्यालय स्थापित हो चुके थे,जिनमें 1.69 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। छत्तीसगढ़ में 16 नवोदय विद्यालय संचालित हैं 03 नये विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

उद्देश्य –

√ समता एवं सामाजिक न्याय के साथ श्रेष्ठता के उद्देश्यों की प्राप्ति।

√ देश के विभिन्न भागों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों व प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करने और

अपनी क्षमताओं को पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

√ सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसमें संस्कृति की सशक्त पहचान, मानव मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के सशक्त घटक सम्मिलित हों।

√ त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह निश्चित करना कि नवोदय विद्यालयों के सभी विद्यार्थी तीन भाषाओं में पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर लें।

√ अनुभवों एवं सुविधाओं के आदान–प्रदान द्वारा प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले में विद्यालयीन शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन के प्रयास करना।

√ नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं।

1. जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की चयन परीक्षा –

जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। प्रवेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।

2. ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण –

ग्रामीण बच्चों के लिए 75 प्रतिशत स्थान आरक्षित होते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए जिले की जनसंख्या के अनुसार समानुपातिक स्थान आरक्षित होते हैं, परंतु अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होता है। विद्यालय में एक तिहाई स्थान बालिकाओं के लिए, 3 प्रतिशत स्थान विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं।

3. निःशुल्क सह–शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय –

इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नवोदय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होते हैं। इनमें कक्षा 6 के स्तर पर ही प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय होते हैं। इनमें भोजन, रहने, पढ़ने, पोषाक, पाठ्य–पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है। अवकाश के दिनों में घर आने–जाने की लिए रेल और बस के किराए की व्यवस्था उपलब्ध की जाती है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से रू. 200 प्रति माह का शुल्क लिया जाता है लेकिन आरक्षित वर्ग को इससे मुक्त रखा गया है।

4. त्रिभाषा सूत्र का पालन –

सामान्यतः कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होती है। कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित हिन्दी व अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अध्ययन कराया जाता है।

5. राष्ट्रीय एकता का विकास –

राष्ट्रीय एकता के विकास के उद्देश्य से एक शैक्षणिक सत्र में हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों को हिन्दी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालयों में रखा जाता है।

6. जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना –

जहां तक संभव होता है ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकार विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि या किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध कराती है।

3.2.3 सैनिक स्कूल (Sainik School) –

भारत में सैनिक स्कूलों की स्थापना सन् 1961 में की गई। इनका प्रबंधन सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा किया जात है। इनकी स्थापना के पीछे सेना के अधिकारियों में क्षेत्रीय एवं वर्गीय असंतुलन को दूर करने की भावना रही है। इनका एक प्रमुख उद्देश्य इनमें अध्ययनरत बच्चों को नेशनल डिफेंस अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार करना है। जुलाई 2014 तक संपूर्ण देश में कुल 24 सैनिक स्कूल थे। ये विद्यालय रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इन विद्यालयों में किसी भी वर्ग या आर्थिक स्थिति का बालक एक राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चयनित होने पर प्रवेश पा सकता है। इनमें सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इन विद्यालयों मे विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। दौड़ने के ट्रैक, क्रॉस कंट्री ट्रैक, परेड ग्राउड, बॉक्सिंग रिंग, फायरिंग रेंज, होर्स राईडिंग, माउटेयरिंग, फुटबाल, हॉकी वॉलीबॉल, तरण ताल, हॉबी क्लब, प्रयोगशालाएं, भाषा प्रयोगशाला, जिमनेजियम आदि के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

सैनिक स्कूलों की विशेषताएं –

- √ सैनिक स्कूलों के लिए भूमि और भवन तथा उनके रख रखाव पर संपूर्ण खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- √ ये पूर्णतः आवासीय होते हैं और इनका संचालन पब्लिक स्कूल की तरह किया जाता है। कक्षा 12 तक एन.सी. सी.अनिवार्य होती है।
- √ इन स्कूलों में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम का अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापन कराया जाता है।
- √ अधिकतर सैनिक स्कूलों की व्यवस्था कक्षा 6 से 12 तक 525 विद्यार्थियों के हिसाब से की गई है।
- √ ये विद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होते हैं।
- √ प्रत्येक विद्यालय मे एक प्रिंसिपल (कर्नल रेंक का) एक हेडमास्टर (लेफ्टीनेंट कर्नल रेंक का) एवं रजिस्ट्रार (मेजर रेंक का) होता है।

प्रश्न –

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कोई दो उद्देश्य बताइए?
2. नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों की गई?
3. सैनिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

3.3 राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय (Schools Operated by State Government)

3.3.1 प्राथमिक विद्यालय (Primary School)

विद्यालयों की श्रृंखला में प्राथमिक विद्यालय सबसे छोटी इकाई है। कोठारी आयोग (1964–66) के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय कहा गया है। जिनमें 6 से 11 वर्ष की आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं को अध्ययन कराया जाता है। राज्य में प्राथमिक विद्यालय दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित है – 1. राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय और 2. निजी स्तर पर संचालित विद्यालय (1) राज्य सरकार के विद्यालय दो प्रशासिनक व्यवस्थाओं में चल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विद्यालय के प्रबंध में सहयोग हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पाँच तक के

विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन विद्यालयों में से पहले एक शिक्षकीय विद्यालय (एकल विद्यालय) भी होते थे, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालन में अब कम से कम दो शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। इनमें भी एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति का प्रयास रहता है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के कक्ष की दीवारें 4 फीट ऊँचाई तक काले पेंट की हुई हों, जिससे बालक अपनी कला प्रदर्शित कर सकें। (NCF,2005)

3.3.2 उच्च प्राथमिक विद्यालय (Upper Primary School):

6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन कराने वाले विद्यालयों में उच्च प्राथमिक वर्ग के बालक–बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के अधीन रखी गई है। इन विद्यालयों में सहयोग हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) गठित होती है। इन विद्यालयों में सामान्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान) के अतिरिक्त तृतीय भाषा के रूप में (उर्दू, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, पंजाबी) में से किसी एक विषय को लेकर अध्ययन करना होता है।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से प्रश्नोत्तर की सहायता से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची तैयार कराएगा –

1. आपने जिन विद्यालयों में अध्ययन किया वहां कौन–कौन से विषय पढ़ाए जाते थे।
2. आपने तृतीय भाषा के रूप कौन–सा विषय लिया था?
3. दूसरे विद्यालयों में तृतीय भाषा के अंतर्गत कौन–कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती है। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को शिक्षक प्रशिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता जायेगा और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विषयों की सूची तैयार कराएगा।

3.3.3 माध्यमिक विद्यालय (High School):

कक्षा 9वीं व 10वीं का अध्ययन करवाने वाले विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय (High School) कहते हैं। कुछ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 वीं तक का अध्यापन भी होता है। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़नेवाले छात्रों में द्रुतगति से शारीरिक परिवर्तन और भावात्मक विकास होता है। यह गहन ऊर्जा और जीवंतता का दौर होता है। इस आयु में छात्रों में तर्क करने, सृजन क्षमता व विभिन्न विषयों पर विवेचनात्मक समझ भी पैदा होती है। साथ ही छात्र बोर्ड परीक्षा के प्रति भी सचेत रहते हैं। क्योंकि परीक्षा में प्राप्त अंक भविष्य के विकल्पों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों की प्रशासनिक, अकादमिक प्रक्रिया व स्तर का निर्धारण किया गया है।

माध्यमिक कक्षाओं में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कलाशिक्षा एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विषयों के साथ तृतीय भाषा का शिक्षण होता है। तृतीय भाषा के रूप में राज्य में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती में से किसी एक भाषा का अध्ययन करना होता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विषयों का मूल्यांकन में ग्रेडिंग व्यवस्था है। जिसका छात्र के परीक्षा परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उन विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों की विधिवत परीक्षा होती है। उसके अनुसार छात्र उत्तीर्णता और श्रेणी का निर्धारण होता है। 10वीं कक्षा की परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाती है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान प्राचार्य कहलाते हैं। जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित होते हैं।

3.3.4 उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय (Higher Secondary School)

कक्षा 9 से 12 या कक्षा 6 से 12 तक चलने वाले विद्यालय को उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा व कॉलेज शिक्षा स्तर को जोड़ने वाला विद्यालय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय है। इन विद्यालयों का महत्व अधिक है क्योंकि इन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र किशोरावस्था से संबंधित होने के साथ–साथ राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही उच्चत्तर विद्यालयों से प्राप्त शिक्षा रोजगार तथा जीवन यापन के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार खोलने के साथ–साथ उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आधार भी प्रदान करते हैं, क्योंकि छात्रों द्वारा विषय चयन का निर्धारण इन्हीं विद्यालयों द्वारा किया जाता है। अतः ये विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। उच्चत्तर विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषय अनिवार्य विषय व ऐच्छिक विषय के रूप में होते हैं। विषय भी कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, कषि वर्ग, गृह विज्ञान वर्ग के रूप में वर्गीकत है, जो इस प्रकार हैं।

1. हिन्दी / अंग्रेजी 2. अंग्रेजी / संस्कृत / हिन्दी / अन्य

3.3.5 आवासीय विद्यालय (Residential School)

हमारे देश में अधिकतर विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्ययनरत विद्यार्थी अपने घरों पर ही रहते हैं। कई विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था होती हैं, लेकिन निम्न आर्थिक स्थिति के कारण नए विद्यार्थी इन छात्रावास का व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं होने से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर वंचित वर्ग के बालकों को पर्याप्त शिक्षा सुविधा नहीं मिल पाती है। निजी क्षेत्र में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जहां विद्यार्थियों को संबंधित छात्रावासों में अनिवार्यतः रहना होता इन्हें आश्रम स्कूलों के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी क्षेत्र में भी इस प्रकार के विद्यालय स्थापित किए जाते हैं जहां पर सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास में ही रहना अनिवार्य होता है। आवासीय विद्यालय कहलाते है। इन विद्यालयों का संपूर्ण संचालन अनुसूचितजाति / जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रण में होता है।

3.3.5.1 केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयः

√ जवाहर नवोदय विद्यालय।

√ सैनिक स्कूल।

(उक्त विद्यालयों से संबंधित सामग्री पूर्व पृष्ठ में दी गई है।)

3.3.5.2 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी):

छत्तीसगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन करती है। सन् 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 95 के.जी.बी.वी. संचालित है। मॉडल 1 के अनुसार 100 / 150 बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं। उद्देश्य एवं संकल्पना दृ इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्गों की उन बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना हैं,

जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम स्थानों में रहती हैं तथा किसी कारणवश (यथा आर्थिक, सामाजिक–पारिवारिक आदि) विद्यालयों में नहीं जा सकती अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है।

केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का निर्धारण –

1. इन विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों की अनामांकित/ड्रॉप आउट बालिकाओं को निम्न श्रेणी वार प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है –

√ अनुसूचित जाति की बालिकाएं।

√ अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं।

√ अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं।

√ अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाएं।

2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी भी वर्ग के परिवारों की बड़ी उम्र की वे बालिकाएं जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं तथा किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा पूर्व नहीं कर सकी है।
3. पलायन करने वाले परिवारों की बालिकाएं।
4. सामान्य केजीबीवी में 75 प्रतिशत सीटों पर एस.सी./एस.टी. बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है जबकि 25 प्रतिशत सीटों परओ.बी.सी./अल्पसंख्यक/ सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवार की बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकता है। सभी केजीबीवी में 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
5. यदि कोई बालिका पिछले वर्षों में किसी कारण से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छोड़कर चली गई हो तथा पुनः प्रवेश ही इच्छुक हो तो उसे प्रवेश दिया जा सकता है।
6. किसी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिका चाहे तो दूसरे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रवेश ले सकती है।
7. इन विद्यालयों में उसी विकास खंड की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। यदि प्रवेश के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो जिले के अनामांकित अन्य ब्लॉक की बालिकाएं तथा अन्य जिले के समीप के ब्लॉक की अनामांकित बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

केजीबीवी में देय निःशुल्क प्रावधन –

√ सभी छात्राओं को आवास की सुविधा।

√ पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री।

√ स्कूल यूनिफार्म, स्वेटर, जूते–मोजे।

√ दैनिक उपयोग की वस्तुओं यथा साबुन, तेल, तौलिया, दूथ–पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकीन इत्यादि।

भोजन व्यवस्थाः

भोजन सामग्री का क्रय करने एवं भोजन उपलब्धता व उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानदंडनुसार एक भोजन समिति का गठन किया जाता है।

बालिकाओं हेतु संतुलित आहार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खाद्य सामग्री की मात्रा को निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक दिन का अलग–अलग भोजन का मीनू भी निर्धारित किया जाता है। केजीबीवी में संचालित गतिविधियां :–

√ एन आई ओ एस, केजीबीवी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण।

√ कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

√ शैक्षणिक भ्रमण।

√ खेलकूद प्रतियोगिताएं

3.3.6 मदरसा (डंकंतें)

प्रारंभिक शिक्षा की तर्ज पर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, रायपुर द्वारा पंजीकृत मदरसों में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रायपुर में बहुसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी भी अध्ययनरत है।

1. छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का गठन – छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 6 मई 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है।

2. मदरसा बोर्ड के गठन का उद्देश्य – छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य मदरसा बोर्ड में पंजीकृत दीनी मदरसों की धार्मिक शिक्षा (दीनी तालीम) के साथ–साथ उनमें अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन करना।

3. बोर्ड के दायित्व –

√ मदरसों को मान्यता देना।

√ मदरसों की मान्यता वापिस लेना (निरस्त करना)।

√ मदरसों की मान्यता के अभिलेख का अनुरक्षण करना।

√ विहित रीति में मदरसों की प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना।

√ मान्यता समिति, परीक्षा समिति, वित्त समिति तथा ऐसी अन्य समितियां जिन्हें कि बोर्ड, के समुचित तथा दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक समझे, गठित करना।

√ मदरसा शिक्षा के प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) मिडिल स्तर (कक्षा 6 से 8) उर्दू अदीब, उर्दू माहिर, उर्दू मोअल्लिम, मौलवी (हाई स्कूल) आलिम (हायर सेकेण्डरी) एवं हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षाओं का पाठ्यक्रम विवरण विहित करना, उनकी परीक्षाओं का संचालन करने के लिए इंतजाम करना तथा प्रमाण–पत्र प्रदान करना।

√ मदरसों का निरीक्षण करने के लिये कार्याविधि (मेकेनिज्म) का विकास करना तथा निधियों के समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।

√ मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

√ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित 'गुणवत्ता परक मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना' (PQEM) के लिए छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :

छ.ग. मदरसा बोर्ड से पंजीकृत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को राज्य शासन की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा उर्दू बालभारती एवं अरबी दीनियात की पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर शेष समस्त पाठ्य पुस्तक उर्दू एवं हिन्दी माध्यम में प्रतिवर्ष निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

शाला अनुदान शिक्षक अनुदान :

प्रदेश में छ.ग. मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त मदरसों को राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ के द्वारा जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय द्वारा शाला अनुदान मद के अंतर्गत रू. 5000/प्रति प्राथमिक मदरसा एवं रू.7000/– प्रति पूर्व माध्यमिक मदरसा तथा तीन शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान मद के अंतर्गत प्रति शिक्षक रू.500/– की दर से अनुदान का लाभ प्रतिवर्ष दिया जा रहा है।

ग्रीन बोर्ड वितरण :

छ.ग. मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों को ग्रीन बोर्ड उपलब्ध कराया गया है।

बस्ता वितरण – छ.ग. मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा गौसिया उर्दू स्कूल, गिट्टी खदान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बस्ता वितरण किया गया।

मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त मदरसों की संख्या :

प्राथमिक स्तर	200
पूर्व माध्यमिक स्तर	82
कुल मदरसें	282

छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षाएं –

√ हाईस्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम।

√ उर्दू अदीब प्रमाण–पत्र परीक्षा।

√ उर्दू मोअल्लिम प्रमाण–पत्र परीक्षा (द्वितीय पाठ्यक्रम)।

√ हायर सेकेण्डरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा।

√ उर्दू माहिर प्रमाण–पत्र परीक्षा।

3.3.7 संस्कृत विद्यालय (Sanskrit School)

संस्कृत शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कई स्थानों पर संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की है। संस्कृत विद्यालय व विद्यालयों में मुख्य अंतर इस बात का है कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत भाषा कक्षा एक से ही पढ़ाई जाती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में कक्षा 6 से संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है।

माध्यमिक की कक्षाओं (कक्षा 9 व 10) में तीन प्रश्न पत्र संस्कृत के होते हैं और छात्रों को परीक्षा में उत्तर संस्कृत भाषा में ही देने होते हैं। संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र भी होते हैं।

उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11 व 12) में हिन्दी, अंग्रेजी, व पर्यावरण के अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं साथ ही संस्कृत वाङ्मय के दो प्रश्न पत्र भी अनिवार्य हैं।

वैकल्पिक विषयों में भी प्रश्न पत्र संस्कृत के होते हैं जिसमें वेद, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष व दर्शन में से किसी एक विषय का चयन करना पड़ता है। एक वैकल्पिक विषय आधुनिक विषयों में से चयन करना पड़ता है, जिसमें हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान व आयुर्वेद होते हैं। कम्प्यूटर विज्ञान अतिरिक्त अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार निजी संस्कृत विद्यालयों में भी प्रारंभिक कक्षा में उसी क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर अभिभावकों के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। ये बालक विद्यालय की उस कक्षा की संख्या 25 प्रतिशत होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी बोर्ड की प्रवेश परीक्षा और उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा में लगातार दो वर्ष तक अनुत्तीर्ण होता है तो उसे अगले सत्र में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्रश्नः

1. प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के कमरों की दीवारें 4 फीट की ऊँचाई तक काले रंग से पेंट क्यों की जानी चाहिए?
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर तृतीय भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किन–किन भाषाओं को पढ़ाया जाता है?
3. उच्चत्तर माध्यमिक कक्षाओं में किन–किन अनिवार्य विषयों का अध्ययन किया जाता है?
4. केन्द्र सरकार द्वारा किन आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है?

3.4 निजी विद्यालय (Private School):

राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों को निजी विद्यालय कहते हैं। ये विद्यालय समिति, ट्रस्ट अथवा गैर सरकारी संगठन (NGOS) द्वारा संचालित होते हैं। निजी विद्यालय भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के होते हैं। इन विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत होता है। संस्कृत माध्यम से विद्यालयों की नवीं व दसवीं कक्षाओं को प्रवेशिका तथा ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षाओं को वरिष्ठ उपाध्याय कहते हैं।

विद्यालय संचालित करने वाली प्रबंध समिति का पंजीयन आवश्यक है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी तथा माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता लेनी होती है।

निजी विद्यालय अपने स्तर पर बालकों को प्रवेश देते हैं, किन्तु विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में छात्र संख्या के 25 प्रतिशत संख्या में स्थानीय गरीब वर्ग के बालकों को अनिवार्यः प्रवेश देना होता है, जिनके शुल्क का पुनर्भरण सरकार द्वारा होता है।

निजी विद्यालयों में शिक्षकों का चयन प्रबंध समिति द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। शिक्षकों के अर्हता शासकीय नियमानुसार होती है। इन विद्यालयों का परिवीक्षण स्तरानुसार शिक्षा अधिकारियों तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल किया जाता है।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से अपने क्षेत्र में संचालित शासकीय एवं निजी विद्यालयों की तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा करवाएं।

3.5 विशिष्ट विद्यालय (Special School)

अब तक चर्चित विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट विद्यालय भी हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। ये सामान्य विद्यालयों से अलग प्रकार के हैं। कई बालक दृष्टिहीन, मूक, बधिर विमंदित होते हैं। ये बालक सामान्य बालकों के साथ अध्ययन नहीं कर सकते। दृष्टिहीन बालकों के लिए पृथक विद्यालय है। इनको ब्रेल लिपि की पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार मूक, बधिर और विमंदित बालकों को भी प्रचलित शिक्षण पद्धति के स्थान पर अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। इसलिए इन विद्यालयों के शिक्षकों को सामान्य विधि से पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कौशल में पारंगत होना पड़ता है। ये विद्यालय सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के होते हैं।

3.6 कॉमन स्कूल सिस्टम (समान स्कूल पद्धति)

भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम के संप्रत्यय का जनक कोठारी आयोजन (शिक्षा आयोग) को माना जा सकता है। 1986 की शिक्षा नीति की यह परिकल्पना रही है कि कॉमन स्कूल सिस्टम के द्वारा सभी विद्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों के लिए खुले होने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और अन्य किसी भी प्रकार की भिन्नता के आधार पर उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी को उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि कोई भी सामान्य अभिभावक अपने बालक को इस व्यवस्था के बाहर खर्चीले विद्यालय में शिक्षा दिलाने की आवश्यकता अनुभव न करे। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कुछ लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका में नेबरहुड स्कूल तथा इग्लैड में कोम्प्रीहेसीव स्कूल के रूप में विद्यमान है।

कोठारी आयोग के कॉमन स्कूल सिस्टम के संप्रत्यय के केन्द्र में भी नेबरहुड स्कूल ही विद्यमान है। कोठारी आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि इस प्रकार के विद्यालय में पड़ोस के सभी बालकों को अध्ययन का समान अवसर मिले इस संबंध में कोठारी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है

पहला, एक पड़ोसी विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि जिंदगी को सामान्य व्यक्ति के साथ साझा करना अच्छी शिक्षा का आवश्यक संघटक है। दूसरा, इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना समृद्ध, सुविधा संपन्न तथा शक्तिशाली वर्गों को लोक शिक्षा प्रणाली में रूचि लेने के लिए विवश करेगी और इस प्रकार उस शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षाकृत रूप में सुधार जल्दी आएगा।

3.6.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टमः

संवैधानिक सिद्धांत ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य है कि विद्यालय में एक निश्चित स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक जाति, संप्रदाय, स्थान या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी विद्यार्थियों की पहुंच हो। 1986 की नीति की अनुशंसाओं में कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए

प्रभावी उपाय करने बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राममूर्ति समिति (1990) ने कॉमन स्कूल सिस्टम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ अनुशंसाएं की।

√ प्रारंभिक शिक्षा विशेषतः प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे अपेक्षित आधारभूत संरचना तथा शिक्षा के स्तर के उन्नयन में सहायता मिले तथा सरकारी, स्थानीय निकाय व सहायता प्राप्त स्कूलों को सच्चे अर्थों में पड़ोसी विद्यालयों में बदला जा सकें।

√ पिछड़े इलाकों, शहरी गंदी बस्तियों, आदिवासी व पर्वतीय इलाकों, रेगिस्तानी भूभागों, सूखा व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों, तटीय इलाकों, तथा द्वीप समूहों में स्कूली तंत्र में सुधार करने के लिए विशेष राशि आबंटित करने का प्रावधान रखना चाहिए।

√ प्राथमिक स्तरपर सबके लिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा सुनिश्चित करने, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के अतिरिक्त अन्य माध्यम से शिक्षा देने वाले विद्यालयों को सरकारी सहायता बंद करने का प्रयास करना चाहिए।

√ कॉमन स्कूल सिस्टम को दस वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए।

√ प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा, शिक्षण शुल्क, कैपीटेशन फीस आदि व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए कानून का उपयोग किया जाना चाहिए।

√ महंगे स्कूलों को कॉमन स्कूल सिस्टम में सम्मिलित करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

√ उपरोक्त वर्णन के द्वारा हमने कॉमन स्कूल सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। अब इस ओर दृष्टिपात करना समीचीन होगा कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 (पृ.116 हिन्दी संस्करण) में कॉमन सिस्टम के संबंध में लिखा गया है –

"विविध उपतंत्रों और अलग–अलग प्रकारों के स्कूलों के होने से कुल मिलाकर स्कूलीदृ व्यवस्था पर नकारात्मक असर ही पड़ता हैं, क्योंकि समाज के अधिक मुखर वर्ग का समर्थन विद्यार्थियों के छोटे से समूह को ही मिल पाता है। यह वांछनीय है कि समान स्कूली पद्धति का विकास किया जाए, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में समतुल्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का लक्ष्य भी है। जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो उससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो होता ही हैं, स्कूल का माहौल भी समृद्ध होता है। अगर पाठ्यचर्या का वह दृष्टिकोण (लचीलापन, संदर्भशीलता और बहुलता) जो इस दस्तावेज में दर्ज है, समान स्कूली पद्धति का आधार बनता है, तभी शिक्षा की एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था साकार हो सकेगी जिसमें कोई भी दो स्कूल एकसमान न होंगे।''

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एनसीएफ – 2005 में कॉमन स्कूल सिस्टम करने की बात कही गई है। इसके बाद कॉमन स्कूल सिस्टम के संबंध में एक आयोग का गठन किया गया।

कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग 2007 (CSSC)

CSSC के अनुसार एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था/प्रणाली जिसमें जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, लिंग आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको समान

गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाती हो। इसका केन्द्रीय संप्रत्यय है कि सभी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के समान न्यूनतम मानदंड हों।

इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रमुख न्यूनतम मानदंड यह है कि कॉमन स्कूल सिस्टम भारतीय संविधान में उल्लिखित अवसरों की समानता एवं सामाजिक न्याय का सम्मान करे और उसे आगे बढ़ाए।

3.6.2 कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएंः

कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार कॉमन स्कूल सिस्टम की कुछ विशेषताएं निम्नानुसार हो सकती है

1. यह शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी के लिए खुली होगी।
2. इस व्यवस्था में अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर न हो कर सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी।
3. इस व्यवस्था में उपयुक्त मानकों के अनुरूप किसी तर्कसंगत अनुपात में गुणवत्तापूर्ण संस्थाएं उपलब्ध होगी।
4. इस व्यवस्था में कोई शिक्षण शुल्क नहीं होगा।
5. यह एक औसत अभिभावक की अपने बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय की आकांक्षा की पूर्ति करेंगी तथा उसे अपने बालक को इस व्यवस्था के बाहर किसी खर्चीले विद्यालय में नहीं भेजना पड़ेगा।
6. न्यूनतम स्तर की सुविधाएं यथा भवन, पीने का पानी, शौचालय, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी।
7. उपयुक्त प्रशिक्षित अध्यापक तथा छात्र–अध्यापक अनुपात होगा।
8. विकेन्द्रीकृत विद्यालयीन प्रबंधन व्यवस्था होगी।
9. प्राथमिक स्तर पर मातृ–भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
10. प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय हो जिसमें आस–पास के सभी विद्यार्थी पढ़ सकें।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों को निर्देश देगा कि– हम RTE बजट 2009 की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। हम कॉमन स्कूल सिस्टम एवं उसकी विशेषताओं से भी परिचित हो चुके हैं। हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह पता लगा सकते हैं कि RTE Act. 2009 के प्रावधान किस सीमा तक कॉमन स्कूल सिस्टम की और अग्रसर होने में सहायक हो सकते है? आइए हम छोटे–छोटे समूहों में विभक्त होकर चर्चा करें एवं निष्कर्षों को लिख लें। हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। आइए अपने निष्कर्षों का निम्नलिखित से मिलान कर देखें कि क्या कुछ छूट गया है और क्या कुछ और दिए गए विवरण में जोड़ा जा सकता है।

3.6.3 CSSC और RTE Act. का तुलनात्मक अध्ययनः

- शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) को कॉमन स्कूल सिस्टम संप्रत्यय के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

- पड़ोस में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात दोनों में कही गई है।
- कोठारी आयोग के समान ही शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी चार प्रकार के विद्यालयों को मान्यता दी गई है। (सरकारी/स्थानीय संस्थाएं, अनुदानित निजी, गैर अनुदान प्राप्त एवं विशिष्ट विद्यालय यथा केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि)
- अधिनियम के अनुसार तीन वर्षों के अंदर 6 से 14 वर्षों के आयुवर्ग के बच्चों के लिए पड़ोसी सरकारी विद्यालय की संपूर्ण देश में व्यवस्था करनी होगी, जबकि कोठारी आयोग द्वारा स्थानीय समुदाय की सहमति से कुछ स्थानों पर कॉमन स्कूल सिस्टम को प्रायोगिक रूप से स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी।
- अधिनियम में पड़ोसी निजी विद्यालय में प्रतिभाशाली कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बालकों के प्रवेश का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालकों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करने का कॉमन स्कूल सिस्टम की भावना के करीब है।

प्रश्नः

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम की क्या परिकल्पना की गई है?
2. राममूर्ति कमेटी द्वारा कॉमन स्कूल सिस्टम की अनुशंसा क्यों की गई?

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से चर्चा करेगा तथा पड़ोस के विद्यालय को कॉमन स्कूल के अनुरूप बनाने के लिए क्या–क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसकी एक सूची तैयार कराएंगा।

दत्तकार्य

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस–किस प्रकार के अभिलेख संधारित किए जाते है?
2. प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक कार्य बताइए?
3. विद्यालय योजना में कौन–कौन से शैक्षिक एवं सहशैक्षिक कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं?
4. पुस्तकालय की पुस्तकों के वर्गीकरण की कौन–कौनसी पद्धतियां प्रचलित हैं? उन्हें स्पष्ट कीजिए।
5. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं?
6. नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं बताइए।
7. सरकार द्वारा किस प्रकार के आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे है? उनकी विशेषताएं बताइए।
8. भारतीय पब्लिक स्कूलों को विशेषताएं बताइए।
9. कॉमन स्कूल सिस्टम से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताएं बताइए।

---oooooooo---

इकाई–4
विद्यालय संस्कृति और परिवेश
(School Culture and Environment)

परिचय (Introduction) -

विद्यालय की संस्कृति वहां के परिवेश विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनका मूल्यांकन करने की प्रविधियों, उत्सव, जयंतियां, अनुशासन, छात्र–शिक्षक संबंध एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों द्वारा पहचानी जाती है। इसके द्वारा विद्यालय की अलग पहचान बनती है। विद्यालय गणवेश, ध्वज एवं लोगो भी इसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। प्रस्तुत इकाई में विद्यार्थियों को औसत अथवा श्रेष्ठ आदि श्रेणी में विभाजन करने में आयाम विद्यालयों में मनाए जाने वाले उत्सव एवं जयंतियां आदि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। छात्र–शिक्षक संबंध, गणवेश आदि का उल्लेख प्रस्तुत इकाई में किया गया है। प्रत्येक उपइकाई के पश्चात् प्रश्न एवं गतिविधियां दी गई हैं एवं दत्त कार्य द्वारा इकाई को पूर्ण किया गया है।

उद्‌देश्य (Objectives) -

1. विद्यार्थियों की श्रेष्ठता– श्रेणी के आधार को समझना।
2. परिवेशगत धार्मिक एवं सामाजिक चिह्नों को जानना।
3. विद्यालयी शिक्षा में धार्मिक, सामाजिक एवं सांप्रदायिक चिह्नों के प्रयोग के प्रभाव को जानना।
4. विद्यालय के नैतिकतापूर्ण संचालन को समझना।
5. विद्यालयी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।
6. शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध को समझना।
7. विद्यार्थी में मूल्यों एवं अनुशासन की समझ का विकास करना।
8. विद्यालयों में प्रयुक्त मूलभूत संकेतकों को समझना।

4.1 विद्यालयों में बच्चों का औसत और श्रेष्ठ श्रेणियों में वर्गीकृत करना

4.1.1 वर्तमान में प्रचलित श्रेणी विभाजन (Prevalent Category Divisionat Present)

आजकल शिक्षण कार्य से संबंधित कुछ घटनाएं ऐसी सुनने को मिल रही है जो निष्ठावान शिक्षक को उद्वेलित कर देती है। टेस्ट में कम अंक प्राप्त करने पर बच्चे को ऐसा पीटना कि उसके कान के पर्दे फट जाएं। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में अनुतीर्ण होने पर आत्महत्या कर लेना कक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 'डलश 'डफरश, मूर्ख आदि विशेषणों से शिक्षक द्वारा संबोधन करना। ये कुछ घटनाएं ऐसी है जो शिक्षण कार्य की परीक्षा–पद्धित अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। गंभीरता से विचार किया जाए तो वर्तमान में सभी प्रकार के विद्यालयों में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का आधार इकाई टेस्ट, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा ही रहता है। यदि अन्य कोई आधार है तो उसे ग्रेड में प्रदर्शित किया जाता है। जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, न शिक्षक और न ही शिक्षार्थी। लेकिन विद्यार्थी की श्रेष्ठता का आधार तो शैक्षिक विषयों का परीक्षा–परिणा

ही रहता है। शैक्षिक विषयों की परीक्षा लेने के लिए जो प्रश्न–पत्र बनाए जाते है वे अधिकतर स्मृति पर ही आधारित होते है। स्मृति में भी केवल ज्ञानात्मक **(Congnitive)** पक्ष को ही अधिक छूआ जाता है। अवबोध **(Understanding)** अनुप्रयोग **(Application)** कौशल **(Skill)** अभिवृत्ति **(Attitude)** तथा रूचि **(Interest)** से संबंधित प्रश्न बहुत का पूछे जाते हैं। इन आयामों पर प्रश्न बनाने के लिए अंतदृष्टि एवं विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। केवल स्मृति आधारित प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेष्ठ, औसत एवं अन्यान्य श्रेणियां में विभाजित करना कहां तक प्रासंगिक है, यह विचारणीय है।

4.1.2 श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार (Current Basis of Category division)

कभी–कभी शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ, औसत, निम्न आदि श्रेणियों में विभाजित करते समय शैक्षिक अंकों के साथ उनसे संबंधित कुछ अन्य पक्षों को भी ध्यान रखता है। ये पक्ष हैं –

1. कक्षा में उसका प्रदर्शन।
2. सहशैक्षिक गतिविधियों में उसकी संलग्नता।
3. विद्यार्थियों की सामाजिक व सामुदायिक पृष्ठभूमि (सामाजिक– आर्थिक स्तर, शहरी–ग्रामीण परिवेश निम्न अथवा कच्ची बस्ती, उच्च बस्ती, लिंग, उच्च एवं निम्न परिवार, जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय आदि)
4. विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक के अंतर्मन में विकसित हो चुकी हीन/उच्च भावना की निरंतरता है।

अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान में चल रही उपर्युक्त वर्णित धारणाएं अथवा पक्षों के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना कहां तक न्यायसंगत है? जहां तक शैक्षिक अंक, कक्षा में प्रदर्शन एवं सहशैक्षिक गतिविधियों में श्रेणी–विभाजन के आधार होने चाहिए, लेकिन केवल ये ही नहीं। अन्य कई ऐसे पक्ष है जिनको आधार बनाकर श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। विद्यार्थियों की सामाजिक एवं सामुदायिक पृष्ठभूमि तथा विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक के अंतर्मन में विकसित हो चुकी हीन/ उच्च भावना की निरंतरता तो श्रेणी विभाजन का आधार निराधार है जो कतई प्रयुक्त नहीं होना चाहिए।

4.1.3 श्रेणी विभाजन के वैकल्पिक आधार (Alternative basis of category division)

मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। व्यक्तियों के अंग–प्रत्यंग में भिन्नता के साथ–साथ उनकी मानसिक शक्तियों में भी कुछ न कुछ भिन्नता होती हैं अतः यदि व्यक्तिगत भिन्नता **(Individual Difference)** को आधार बनाकर विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन किया जाए तो विश्व में जितने विद्यार्थी वर्तमान में है उतनी ही श्रेणियां निर्धारित की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय अथवा कक्षा–कक्ष के स्तर पर विद्यार्थियों को मानसिक योग्यताओं, सांवेगिक परिपक्वता, रूचि–रूझान, सामाजिक कार्यों में संलग्नता एवं कौशल विकास के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इन सभी गुणों के सम्मिलित प्रभाव के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, उच्च औसत एवं निम्न पंचपदीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं।

1. मानसिक योग्यता (Mental Ability) -

मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों की बुद्धि, शैक्षिक–उपलब्धि, अभिक्षमता, समस्या समाधान शक्ति, सृजनशीलता एवं समालोचनात्मक चिन्तन को आधार बनाया जा सकता हैं उनकी मानसिक योग्यता

के विभिन्न पक्षों का मापन करने के लिए शिक्षक को विद्यालय में सदैव तत्पर, उत्साहित एवं बालकों के प्रति समर्पित रहना आवश्यक होगा। उसे विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करने का विशेष कौशल विकसित करना होगा। निरपेक्ष रहकर तथा इस कठिन कार्य को चुनौती मानकर शिक्षक इसे पूर्ण कर सकता है।

2. सांवेगिक परिपक्वता (Emotional Maturity)

दूसरों के एवं स्वयं के संवेगों को समझकर यदि कोई विद्यार्थी अपना व्यवहार निश्चित करता है तो वह सांवेगिक रूप से परिपक्व कहलाएगा। यह परिपक्वता जितनी अधिक होगी, विद्यार्थी क्रोध करना, अपमान करना, निराश होना, चिन्ता करना जैसे संवेगात्मक पहलुओं पर नियंत्रण रख सकेगा। इसके पश्चात् किया गया व्यवहार उसे उच्च्च श्रेणी में प्रतिष्ठित कर सकता है। विद्यार्थी स्वयं के संवेगों को पहचाने तथा दूसरों के संवेगों को पहचान कर दोनों में संतुलन स्थापित करे। तत्पश्चात् अपना व्यवहार निश्चित करे, इसके लिए सतत् चिंतन एवं अभ्यास की आवश्यकता है। यह सजग एवं निष्ठावान शिक्षक विद्यार्थियों को इस संबंध में सहायता एवं दिशा प्रदान कर सकता है।

3. रुचि–रुझान (Interest-Trends)

रूचि दृरूझान वैसे तो मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के संबंध में इन्हें अलग कर मापन करने से उन्हें उपयुक्त श्रेणी में प्रस्थापित करना सरल हो जाता है।

4. समाजिक कार्य (Social Work)

विद्यार्थी की सामाजिक कार्यों में रूचि एवं संलग्नता विद्यालयों द्वारा आयोजित मेले, उत्सव, प्रदर्शनियां, सामाजिक सर्वेक्षण, श्रमदान एवं प्रायोजना कार्य आदि के द्वारा देखी–परखी जा सकती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के पत्रक बनाकर उनमें एकत्र सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

5. कौशल विकास (Skill Development)

विद्यार्थियों में विकसित विभिन्न प्रकार के कौशलों को भी श्रेणी विभाजन का आधार बनाया जा सकता है। ये कौशल है – संगीत में कुशलता, लेखन में कुशलता, खेलकूद में कुशलता, कम्प्यूटर उपयोग में कुशलता, कार्यक्रम आयोजन में कुशलता, कृषि, बागवानी आदि में कुशलता।

उपर्युक्त वर्णित आयामों के आधार पर ही श्रेणी विभाजन हो सकता है यह तो आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कई आयाम एक कुशल शिक्षक के मनोमस्तिष्क में हो सकते हैं जिन्हें श्रेणी विभाजन का आधार बनाया जा सकता है। शिक्षक को यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि श्रेणी विभाजन के विभिन्न आयामों के गुणात्मक मूल्यांकन को संख्या में प्रदर्शित कर उनकी व्याख्या प्रस्तुत करें। अस्तु, प्रत्येक आयाम का संख्यात्मक मूल्यांकन करते समय शिक्षक को सजग एवं संवेदनशील रहना आवश्यक है।

प्रश्न :–

1. वर्तमान में प्रचलित विद्यार्थियों का श्रेणी –विभाजन किन–किन पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है?
2. विद्यार्थियों के श्रेणी विभाजन के वैकल्पिक पक्ष कौन–कौन से हो सकते हैं? किसी एक पक्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

गतिविधि

शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापकों से कहेगा – आप अपनी कक्षा में छात्रों का श्रेणी–विभाजन किन पक्षों के आधार पर करना चाहेंगे? इसे करने के लिए समूह में चर्चा करें एवं इनकी प्रासंगिकता पर विचार विनिमय करें।

4.2 विद्यालय प्रवृत्तियां और अनुशासन (School Trends and Discipline)

4.2.1 राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व, जयंतियां और उत्सव तथा उनमें निहित संदेश :

विद्यार्थियों में विषयों के पठन– पाठन के अतिरिक्त कई गतिविधियां संचालित की जाती है। जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार– प्रतिमानों को सुधारना होता है। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में किसी न किसी प्रकार से सहायक होती है। विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक का यह दायित्व है कि वे प्रत्येक गतिविधि अथवा कार्यक्रम को इस प्रकार संचालित करें कि उसका अच्छा प्रभाव बालकों पर पड़े, उनकी सीखने की प्रक्रिया को बल मिले और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो सके। यह तभी संभव है, जबकि प्रत्येक कार्यक्रम की उपलब्धियों का पूर्वानुमान लगाकर उसकी सफल क्रियान्विति की जाए। हमारा देश महान है। वर्ष भर विभिन्न पर्व, जयंतियों, उत्सव व त्योहारों का आयोजन होता है जिससे समरसता, सहिष्णुता एवं आनंदमय वातावरण का सृजन होता है।

पर्व – पर्व से तात्पर्य हर्ष का अवसर अर्थात् आनंद और उत्सव का दिन या समय पर्वो को मोटे–मोटे में दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है

(1) राष्ट्रीय पर्व – 1. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) 2. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)

(2) धार्मिक पर्व वह दिन जब विशिष्ट रूप से कोई धार्मिक या पुण्य कार्य किया जाता है

जैसे– 1. रामनवमी 2 महाशिवरात्रि 3. मकर संक्रांति 4. रक्षाबंधन 5. बसंत पंचमी 6. ईद 7. क्रिसमस

पर्वो के आयोजनों से विद्यार्थियों, विद्यालय एवं शिक्षकों को निम्नानुसार लाभ होता है –

1. पर्यों के आयोजन से बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है।
2. विद्यार्थियों में कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन आदि गुणों का विकास होता हैं।
3. अध्ययन के साथ–साथ विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों का ज्ञान होता है।
4. लगातार अध्ययन करते रहने से विद्यार्थी का मन ऊब जाता है, पर्वो के सहज व रूचिकर आयोजन से विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावी बनता है।
5. पर्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के भिन्न–भिन्न पक्षों का ज्ञान होता है।

6. विद्यार्थियों को इन आयोजनों से स्वकर्तव्य बोध की प्रेरणा मिलती है और उनमें सौंदर्य बोध का विकास होता है।
7. इनसे विद्यार्थी स्व–अनुशासन पालन का अभ्यास करता हैं।
8. समूह में कार्य करने की दक्षता तथा नेतृत्व प्रदान करने की कुशलता स्वतः विकसित होती है।
9. हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को समझने में मदद।
10. बालकों द्वारा देश की भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई जाती है।
11. एकता के साथ–साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करने की शिक्षा मिलती है।
12. स्वतंत्रता संग्राम में एवं गणतंत्र व्यवस्था में जिन महापुरूषों में अपना योगदान एवं बलिदान दिया है। उनके बारे में एवं तत्संबंधी कार्यों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा–सुमन करते हैं।

4.2.2 राष्ट्रीय पर्व (National Festival) –

हमारे राष्ट्रीय पर्व मुख्यतः निम्नलिखित है–

1. गणतंत्र दिवस –

हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ई. को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था।

संविधान –

संविधान नियमों (कानूनों) का संग्रह है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के लागू होते ही भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई। गणतंत्र अर्थात गण– सामान्यजन और तंत्र यानि शासन अर्थात सामान्य जनता का शासन।

संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद बनाए गए थे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया।

2. स्वतंत्रता दिवस –

कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह भारत का महत्वपूर्ण और गौरवशाली पर्व है। देश को अनेक क्रांतिकारियां के बलिदान स्वरूप यह स्वर्णिम दिन देखने को मिला। देश शहीदों को 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के दिन याद किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र की गौरवशाली समन्वयी संस्कृति उजागर होती है।

4.2.3 प्रमुख धार्मिक पर्व एवं उत्सव (Major Religions festivals and functions):

हमारे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में समय–समय पर विशिष्ट पर्व, उत्सव व त्योहार मनाये जाते हैं। ये पर्व भले ही

किसी एक धर्म से संबंधित हों किन्तु सर्व धर्म आदर की भावना को प्रश्रय देने के लिए तथा उनमें निहित शिक्षा को व्यापक रूप से अपनाने हेतु विद्यालयों में इनका आयोजन महत्वपूर्ण है। पंचाग में उल्लिखित पर्वो एवं उत्सवों में से कतिपय का परिचयात्मक विवरण यहां दिया जा रहा है –

1. ईद –

ईद इस्लाम धर्म से संबंधित भाई चारे का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे ने केवल मुसलमान वरन् सभी धर्मावलंबी उत्साह के साथ मनाते हैं और परस्पर ईद की मुबारकबाद देते हैं। यह त्यौहार रमजान में एक माह तक कठोर व्रत– उपवास एवं नियम– धर्म से अपने जीवन को साधने के पश्चात् मनाया जाता है। रमजान के महीने का समापन इसी दिन होता है। रमजान के महीने में प्रत्येक धर्मनिष्ठ मुसलमान बुराईयों से बचने का प्रयत्न करता है। निर्धनों को दान–पुण्य करते हुए उनकी सहायता करता है इस महीने में सादा जीवन का उच्च विचारों का पालन, स्वादिष्ट भोजन से परहेज तथा पांच बार रोज़े की नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह या अन्य स्थानों पर मेले लगाए जाते हैं। बच्चों के खिलौनों, मिठाइयों व सेवईयों एवं घरेलू सामान से दुकानें सजती है। ईद के बारे में सुरा–ए–युनूस में लिखा है कि रमजान खुदा की एक ऐसी नियामत है जो इन्सानों को अपने सुधार के लिए प्राप्त है। यह उनके मन परिवर्तन में सहायक होती है।

2. क्रिसमस –

'क्रिसमस' ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 25 दिसम्बर को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ–सफाई की जाती है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं। परिचितों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। इस उपलक्ष्य में क्रिसमस ट्री बनाया जाता है। क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए आकर्षक उपहार रख दिए जाते है। रात में सांताक्लोज का रूप धारण कर कोई व्यक्ति बच्चों को वे देते होते हैं। क्रिसमस के अवसर पर लोग सामूहिक रूप से 'करौल' गाते हैं। क्रिसमस के दिन चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और उसके बाद लोग मेरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते और बधाई देते हैं।

3. रामनवमी –

प्रतिवर्ष नये विक्रम संवत्सर का प्रारंभ चौत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और उसके आठ दिन बाद ही चौत्र शुक्ला नवमी को एक ऐसा पर्व समस्त देश में मनाया जाता है, जिसका सांस्कृतिक महत्व अनेक शताब्दियों से अक्षुण्ण बना हुआ है। यह पर्व रामनवमी का है जिसे राम जन्मोत्सव के रूप में सभी जानते है। ऐसी मान्यता रही है कि त्रेतायुग में आज के दिन ही दशरथ के राजमहल में रानी कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ था।

4. रक्षाबंधन –

(भाई के प्रति बहन के पवित्र स्नेह एवं रक्षा करने के लिए) भारत में रक्षाबंधन का पर्व आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व रखता है। रक्षाबंधन पर्व प्रतीक है, भाई–बहन के पवित्र स्नेह और विश्वास का। सामान्य अर्थ में किसी को अपनी रक्षा के लिए बाँध लेना ही रक्षाबंधन समझा जाता है। भाई को राखी बाँधते समय बहन

यही अपेक्षा करती है कि वह सब प्रकार से उसकी रक्षा करेगा। आपात कालीन परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व संभालेगा। इतिहास में अनेक उदाहरण मौजूद है जब बिना जातिगत भेदभाव के बहनों व भाईयों ने राखी का मान बढ़ाया। यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

रानी कर्मवती का उदाहरण तो प्रसिद्ध है बहादुर शाह द्वारा महारानी कर्मवती के राज्य पर आक्रमण करनेपर उसने हुमायूँ को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था। भावात्मक संबंधों पर आधारित यह पर्व राष्ट्रीय पर्व एवं सामाजिक एकता को सुदृढ़ करता है इसलिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का प्रयत्न किया था।

5. मकर संक्राति –

मकर संक्राति मूलतः सूर्य – उपासना का पर्व माना गया है। इस दिन सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसी को सूर्य का उत्तरायण होनो भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य छह महीने मकर राशि में रहकर छह महीने के लिए मुड़ता है तथा वह मकर राशि में प्रवेश करता है। इस प्रकार एक राशि से दूसरी राशि में आने को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्राति को महासंक्रांति और पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्राति से ही दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इसी दिन से मौसम में थोड़ा–थोड़ा परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है।

मकर संक्राति का पर्व प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण माना जाता है केरल में मकर संक्राति पर्व जो कि ओणमश के नाम से विख्यात है। सारे देश में सूर्य को अर्घ्य देना मकर संक्राति की प्रमुख मान्यता है। सौर उपासना महोत्सवों का प्रतीक मकर संक्राति का पर्व आज भी शीर्ष महत्व का पर्व माना जाता है। विश्व के प्राणियों एवं अन्य पदार्थों का अस्तित्व एवं जीवनी शक्ति 'सूर्य' पर ही आधारित है।

6. वसंत पंचमी –

यह दिवस ऋतुराज वसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। हमारे ग्रंथों में वसंत को ऋतुराज अर्थात सब ऋतुओं का राजा माना जाता है। वसंत पंचमी वंसत ऋतु का एक प्रमुख पर्व है। इस प्रकार वसंत पंचमी को पर्व मानव मात्र के हृदय के आनंद और खुशी का प्रतीक कहा जाता है। वसंत ऋतु में जहां प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है, वहीं उसकी अनुपम छटाः देखते ही बनती है। यह पर्व उत्तरी भारत तथा पश्चिम बंगाल में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कथानुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन देवी सरस्वती पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था इसीलिए विद्यार्थी तथा शिक्षा प्रेमियों के लिए यह माँ सरस्वती के पूजन का महान पर्व है। चरक संहिता में लिखा है कि इस ऋतु में वन–विहार करना चाहिए। बसंत ऋतु नई उमंग, उत्साह, आशा का प्रतिक है। पेड़–पौधे, नर–मादा, पशु–पक्षी, जड़–चेतन आदि सभी में आनंद, उत्साह का संचार होने लगता है। पीली सरसों से खेत लहलहा उठते हैं। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने स्वर्णभूषण से अपना श्रृंगार किया हो।

कहीं–कहीं यह भी मान्यता है कि विद्या की देवी सरस्वती का जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ। इस दिन लोग पीत वस्त्र धारण करके माँ शारदा की पूजा अर्चना करते हैं तथा माँ से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वह उनके मन के अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर दे। माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं –

''असतो मा सदगमय,

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्मा अमृतम्गमय''।

अर्थात हमें असत्य के बजाय सत्य के रास्ते पर ले चलो। अंधकार के बजाय प्रकाश के रास्ते पर ले चलो और मृत्यु के बजाय अमृतत्व के रास्ते पर ले चलो।

निष्कर्ष –

भारतीय संस्कृति विश्व की समृद्धतम तथा प्राचीनतम संस्कृति है। पर्व ही ऐसे माध्यम है जो नीरस व ऊबाऊ जीवन में उल्लास व भ्रातृत्व की भावना का संचार करते हैं। हर पर्वोत्सव की पृष्ठभूमि मे कोई न कोई कहानी या घटना जुड़ी होती है। उसका स्मरण दिलाकर उसे तरोताजा कर उसका महत्व उद्घाटित करते हैं। भारतीय पर्वो के पीछे अनगिनत रोचक पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं छिपी हुई हैं, जो हमारी संस्कृति की उदारता की अनुपम मिसाल है।

4.2.4 जयंतिया :

राष्ट्र एवं समाज की दशा सुधारने एवं सार्थक दिशा देने के लिए समय–समय पर ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता रहा है, जिनके दिखाऐ गए मार्ग का लंबे समय तक समाज अथवा राष्ट्र अनुकरण करता है। ऐसे व्यक्ति समाज में महापुरूषों के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। समाज इनके जन्मदिवस को जयंती के रूप में मनाता है और उस दिन उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। भारतीय विद्यालयों में मुख्य रूप से जयंतियाँ मनाई जाती है। उनमें से कुछ संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

(1) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री

आयोजन तिथि– 2 अक्टूबर

प्रस्तावित कार्यक्रम – वादविवाद, प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता दोनों महापुरूषों के जीवन वृत्त पर भाषण।

जीवनवृत– महात्मा गांधी	**जीवनवृत– लाल बहादुर शास्त्री**
1. सादा जीवन उच्च विचार 2. जीवन पर्यंत सत्य एवं अहिंसा का परिपालन 3. प्रेम में अटूट विश्वास 4. सभी धर्मों को समान आदर 5. मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा भाव	1. कर्तव्यपरायणता। 2. धैर्य व कुशलता से देश की समस्याओं को सुलझाना 3. परिश्रमी 4. ''जय जवान जय किसान'' नारे से जनता में शौर्य व कर्तव्य बोध की प्रेरणा मिली। 5. सदगी पूर्ण जीवन जीना तथा स्वाभिमान अपनाना। 6. देश प्रेम की पग–पग पर मिसाल

(2) गुरूनानक देव जयंती

आयोजन तिथि– (विक्रम संवत) कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा

प्रस्तावित कार्यक्रम –

1. गुरूनानक के भजनों का सस्वर पाठ।
2. गुरूनानक के सिद्धांत एवं उनकी आज के संदर्भ में उपयोगिता पर एक वार्ता।
3. गुरूनानक द्वारा प्रतिपादित सिक्ख धर्म पर वार्ता एवं विचार
4. गुरूनानक की जीवनी पर आधारित एकांकी
5. निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता।

गुरुनानक के जीवन से शिक्षाएँ –

1. जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज करना।
2. उन्होंने ईश्वर को भक्ति का मार्ग दिखाया।
3. जाति–पाँति, धर्म, संप्रदाय गत भेदों को दूर किया।
4. परिश्रम करने और दीन दुखियों की सेवा करने की शिक्षा दी।
5. उन्होंने सांसरिक लोगों की इच्छाओं पर काबू पाकर भक्ति, तपस्या तथा संयम से रहने की शिक्षा दी।

4.2.5 उत्सव (Festival)

हमारा महान देश त्योहारों, उत्सवों तथा मेलों का देश है। विद्यालयों में उत्सव के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की कीमत को समझ सकते हैं। 'उत्सव' सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए तथा वातावरण को सजीव का बनाने हेतु मनाए जाते हैं।

प्रदत्त कार्य – (छात्राध्यापकों से तैयार करावें उत्सव – आयोजन के अवसर पर हम निरपेक्ष भाव से उत्सव–वैशिष्टय समझने की ओर अभिमुख हों इसके निम्नांकित चरण हो सकते हैं– किसी एक उत्सव के निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए।

1. उत्सव दिन की पृष्ठभूमि क्या है?
2. उत्सव क्यों?
3. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्सव की प्रासंगिकता।
4. संदेश।
5. 'उत्सव' विषयक अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के स्रोत।

उत्सव आयोजन का तात्पर्य परंपरा निर्वाह नहीं, अपितु वैज्ञानिक चिंतन को प्रश्रय देना तथा जीवन–मूल्यों को आत्मग्रहण करना है। यदि हम बालक को स्वस्थ एवं मुक्त चिंतन के लिए अवसर देते हैं तो वास्तव में हम ऐसे अवसरों को सार्थक बना सकते हैं।

शिक्षार्थियों के नीर–क्षीर विवेक को जाग्रत करने का ही निहितार्थ, उत्सव वैशिष्च्य हैं। उत्सव, पर्व, जयंतियों के आयोजनों से विद्यार्थियों शिक्षकों, विद्यालय एवं समुदाय को लाभ होता है।

1. विद्यार्थियों को लाम –

- विद्यार्थियों में कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन आदि गुणों का विकास होता है।
- विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है।
- जयंती, उत्सवदृपर्व आदि के आयोजन से विद्यार्थियों को विभिन्न धर्म एवं संस्कृति का ज्ञान होता है।
- इनके आयोजनों से अध्ययन जनित बोझ कम होता है।
- इनके आयोजनों से विद्यार्थियों में परस्पर हर्षोल्लास होता है।
- इसके साथ ही आनंददायी मनोरंजन भी प्राप्त होता है।

- विद्यार्थियों में स्वकर्तव्य व सौंदर्य बोध का विकास होता हैं

2. शिक्षकों एवं विद्यालयों को लाभ –

- विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित कर उनके मध्य स्थित दूरी में कमी आती है।
- इन आयोजनों को मनाने से विद्यालय के विद्यार्थी सुसभ्य एवं समझदार होते हैं जिससे विद्यालय एवं समुदाय दोनों को लाभ प्राप्त होता है।
- इन आयोजनों से विद्यालय शिक्षा के कोई लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
- इनके आयोजनों का मुख्य आधार नैतिक एवं जीवन मूल्यों का विकास होता है।
- इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं समुदाय से विद्यालय को सहयोग प्राप्त होता है

समुदाय को लाभ – विद्यालयों में जयंतियाँ, उत्सव पर्व और त्योहार के आयोजन से अंतिम रूप से लाभ तो समुदाय का ही होता है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा। यदि समुदाय को सुसभ्य एवं संस्कारयुक्त नागरिक मिलेंगे तो वह समुदाय सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न होगा। उत्सव, पर्व के आयोजन से अनेक धर्म, उनकी शिक्षाएं एवं विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी युक्त नागरिक समुदाय को मिलेंगे, जिससे सुसभ्य नागरिक युक्त समाज का निर्माण होगा। ऐसे समुदाय से राष्ट्र का विकास एवं प्रगति होगी।

क्रं.	माह का नाम	राष्ट्रीय पर्व	धार्मिक पर्व	जयंतियाँ	उत्सव
1.	जुलाई		1.गुरू पूर्णिमा	बाल गंगाधर तिलक	1. विश्व जनसंख्या दिवस
2.	अगस्त	स्वंतत्रता दिवस	1.जन्माष्टमी 2.ईदुल फितर (चन्द्रदर्शानुसार)	मेजर ध्यानचंद जयंती	1.संस्कृत दिवस
3.	सितम्बर		नवरात्र स्थापना ईदुलजुहा दुर्गाष्टमी विजयादशमी	रामदेव जयंती	शिक्षक दिवस विश्व साक्षरता दिवस हिन्दी दिवस राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस
4.	अक्टूबर		दीपावली गोवर्धन पूजा भाई दूज मोहर्रम (चंद्रदर्शनानुसार)	महात्मा गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जयंती	संकल्प दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस
5.	नवम्बर			गुरूनानक जयंती	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बाल दिवस
6.	दिसम्बर		क्रिसमस–डे		विश्व एकता दिवस मानव अधिकार दिवस

7.	जनवरी	गणतंत्र दिवस	मकर संक्रांति	गुरूगोविंद सिंह जयंती विवेकानंद जयंती सुभाषत्रद बोस जयंती	वसंत पंचीम
8.	फरवरी		महाशिवरात्रि	स्वामीदयानंद जयंती	राष्ट्रीय विज्ञान
9.	मार्च		होलिका दहन धुलण्डी चेटीचण्ड		दिवसविश्व उपभोक्ता दिवस राजस्थान दिवस
10.	अप्रैल		रामनवमी गुड फ्राईडे	महावीर जयंती डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयंती	
11.	मई			रवीन्द्रनाथ टैगोर जयंती महाराणा प्रताप जयंती	

प्रश्न –

1. राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है?
2. महापुरूषों की जयंतियाँ मनाने से किन–किन उद्देश्यों की पूर्ति संभव है?
3. उत्सव/दिवस क्यों मनाए जाने चाहिए?

गतिविधि

1. शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी – शिक्षकों से शिक्षा विभाग द्वारा जारी विद्यालय कैलेण्डर में उन उत्सव/दिवसों की सूची बनवाएगा जिनका आयोजन किया जाना अपेक्षित है।
2. वह विद्यार्थी शिक्षकों से शिक्षार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता हो सके, ऐसे उत्सव को मनाए जाने हेतु एक योजना बनाने के लिए कहेगा।

4.3 वार्षिकोत्सव (Annual function)

प्रत्येक विद्यालय में वर्ष के अंत में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे श्वार्षिकोत्सवश कहते हैं। इसमें नाटक, गीत, गजल, लोकगीत, देशभक्ति गीत, तथा वर्षभर में की गई गतिविधियों मे प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास। शनिवारीय सभा द्वारा बालकों में छोटे बड़ों के साथ मिलकर कार्य करने की आदत का विकास होता है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के प्रति रूचि विकसित करना। समाज में

व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु चेतना विकसित होती है। साप्ताहिक गतिविधियों से भ्रातृत्व भाव, राष्ट्रीय प्रेम व सामाजिक एकता द्वारा बालकों में अनेक गुणों का विकास होते हैं। यह वास्तव में बालकों के सर्वांगिण विकास के लिए प्रयास करने का एक सफल मंच है।

गतिविधि –

1. शिक्षक प्रशिक्षक छात्राध्यापकों से विद्यालय कैलेण्डर को आधार बनाकर एक सूची तैयार कराएगा, जिसमें पर्व एवं जयंतियों को शनिवारीय सभा के रूप में मनाया जाना उचित हो।
2. वह विद्यार्थी शिक्षकों से शानिवारीय सभा में विद्यार्थियों की रूचि के अनुकूल शामिल करने योग्य कार्यक्रमों की तालिका बनवाएगा।
3. वह छात्राध्यापकों से एक सारणी बनाने के लिए कहेगा जिसमें प्रत्येक शनिवारीय गतिविधि से किन–किन गुणों का विकास हो सकता है, की चर्चा करेगा।

4.3.2 प्रार्थना सभा (School Assembly)

हमारे देश की संस्कृति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व ईश्वर ध्यान, मन की एकाग्रता हेतु किया जाता है। विद्या अध्ययन भी प्रत्येक बालक के लिए एक शुभ कार्य है और उसी के निमित प्रत्येक पाठशाला में पढ़ाई शुरू होने से पूर्व ईश्वर अथवा सर्वधर्म प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ – प्र+अर्थना से मिलकर बना है। प्र=प्रकृष्ट उत्तम व श्रेष्ठ अर्थना=मांग, याचना सर्वकल्याण हेतु परम शक्ति से उत्तम (श्रेष्ठ) मांग या याचना प्रार्थना कहलाती है।

प्रार्थना के उद्देश्य

1. विद्यालय के बालकों में ध्यान को लेकर एकाग्रता का भाव विकसित करना।
2. विद्यालय में अध्ययनरत बालकों में राष्ट्र प्रेम विकसित करना।
3. बालकों में प्रार्थना सभा से आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता नेतृत्व एवं सामाजिक एकता के बारे में समझ विकसित करना।

यह सर्वविदित है कि वर्तमान समय के बालक देश के भावी नागरिक हैं, देश की प्रतिष्ठा, उसकी समृद्धि विकास यह सब उन्हीं पर निर्भर है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाएँ, शिष्टाचार के ऐसे संस्कार लेकर जाए, कि वह न केवल अपने परिवार के लिए, अपितु समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सकें जिससे राष्ट्र का शुभ हो, कल्याण हो।

प्रार्थना स्थल – बालकों का चरित्र निर्मल बने, वह पवित्र हो, उसके लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता रहती है जो स्वयं में ही पवित्र हो, शांत हो तथा कोलाहल विहीन हो, प्रेममय हो। ऐसे कार्य के लिए सबसे उत्तम प्रार्थना स्थल है। विवेकानंद जी के शब्दों में प्रार्थना से ह्रदय में सोई हुई भक्ति आसानी से जाग उठती है, ''अतः उसे जाग्रत करने का सशक्त माध्यम 'प्रार्थना ही है।''

प्रार्थना व्यवस्था– जिन विद्यालयों में प्रार्थना सभा को विद्यालय की आत्मा मानते हुए व्यवस्था की जाती है वही सभी प्रकार की बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। वर्षभर में सभी कक्षाओं तथा उनके सभी बालकों का इस कार्य में योगदान रहे इसका ध्यान रखा जाता है।

प्रार्थना के कार्यक्रम– प्रार्थन सभा स्थल पर जो कार्यक्रम होते हैं। उसमें महत्वपूर्ण अंग है– ईश वंदना। वन्दना, जिसके माध्यम से बालक को जहां हम जाग्रत कर सत्य की ओर अग्रसर करते हैं, ह्रदय निर्मल करते हुए अपने को पहचानने में सक्षम बनाते है। वहीं हम उसमें उदारता के भावों की अंकुरण करते हैं। इसमें 'समभावश का स्वतः ही विकास होता है, ईश वंदना के अतिरिक्त प्रार्थनास्थल पर जो कार्यक्रम समय को ध्यान में रखते हुए रखे जा सकते है वे है– राष्ट्रगान, श्लोक कथन, गीत, कथा, संस्मरण, प्रेरक प्रसंग, सुभाषित, कविता, समाचार, योग आदि। इन कार्यक्रम के माध्यम से बालकों में अनुशासन, समभाव, नेतृत्व, एकाग्रता,सहकारिता, देशभक्ति, सर्वधर्म समभाव के साथ–साथ परोपकार, ईमानदारी, दया, सेवा, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का विकास होता है। इन गुणों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम की सरंचना की जाती है, जैसे– यदि हम प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में श्परोपकार युगश लेना चाहते हैं तो इस गुण को ध्यान में रखते हुए श्लोक, गीत, कथा, सुभाषित आदि चयनित करने होंगे, जिसे सुनकर बालक के मन पर एक संस्कार जनित परिवर्तन होता है जो धीर–धीरे बालक के जीवन का अंग बन जाता है।

ध्यान– समस्त जड़ पदार्थों से मुक्त होकर आत्मा का अपने बारे में चिंतन करना अथवा आत्मा का अपने में स्थित होने का यत्न करना 'ध्यान' कहलाता है। यह अवस्था निश्चित ही आत्मा की स्वस्थ अवस्था होगी। जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है तब उससे भी उच्चतर अवस्था पैदा होती है। तब वह उस परम तत्व में तन्मय हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। यदि प्रार्थना सभा स्थल पर नियिमत अभ्यास कराया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी ज बवह अपने आप ध्यान में लीन हो जाएगा।

प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका– यह आवश्यक है कि शिक्षक नियमित रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित हो, बालकों के प्रति अपने दायित्व की ओर ध्यान दे, प्रार्थना सभा को अनुशासित व प्रेममय बनाए। जब छात्र को अध्यापक, परम्मित्र, हितकारी दोष– निवारणकर्ता एवं गुणों का विकास करने वाला प्रतीत हो, उनमें आपस में आत्मीयता और आदर भाव के संबंध विकसित होंगे तभी उनके ह्रदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दया आदि गुणों का उदय हो सकता है। अतः विद्यालय के वातावरण को पवित्र शुद्ध बनाने का प्रमुख आधार अध्यापक ही है।

विसर्जन (प्रस्थान) प्रार्थना का आयोजन जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक विसर्जन की महत्ता है। जिस भाव से प्रार्थना की है उसी भाव उसका बिखराव भी पूर्णतः भाव से, अनुशासित हो। संगीत की धुन पर एक–एक पंक्तिबद्ध उठकर शांति से प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा की ओर अग्रसर होती है। कक्षा का नायक तथा कक्षाध्यापक भी कक्षा के साथ जाता है और सीधे कक्षा में जाकर प्रथम कालांश की तैयारी करता है। शांत, सुखद व भयमुक्त वातावरण में बालक अपने आपको प्रफुल्लित व आनंदित अनुभव करता है, जिससे उसकी ग्रहण– शक्ति में भी विकास होता है।

प्रार्थना सभा का सुझावात्मक कार्यक्रम निम्नानुसार हो सकता है –

क्रं.	कार्यक्रम	दिन	समय (मि.)
1	राष्ट्रगीत (वंदेमातरम)	प्रतिदिन	02
2	प्रार्थना (प्रत्येक वार को पृथक–पृथक)	प्रतिदिन	04
3	(अ) प्रेरक गीत (ब) नैतिक अवबोधन गीत (स) वंदना/श्लोक पाठ	सोम, मंग, बुध गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार	03
4	(अ) अनमोल वचन (ब) कहानी प्रेरक–प्रसंग (स) सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी	सोम, मंग, बुध गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार	03
5	स्माचार पठन	प्रतिदिन	03
6	ध्यान, मौन, प्रार्थना, योग	प्रतिदिन	02
7	प्रतिज्ञा	प्रतिदिन	02
8	राष्ट्रगान	प्रतिदिन	01
	योग		20 मिनट

गतिविधि–

1. शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी– शिक्षकों से उनके संपर्क में आए विद्यालयों की प्रार्थना सभा में होने वाले कार्यक्रमों की सूची बनवाएगा।

2. वह विद्यार्थी– शिक्षकों से प्रभावी प्रार्थना सभा आयोजन के लिए समय सारणी सहित एक व्यावहारिक योजना बनवाएगा।

4.33 नैतिक शिक्षा एवं योग शिक्षा द्वारा मूल्यों एवं अनुशासन का विकास

(Development of values and discipline through moral and yoga education)

मानव एक सामाजिक प्राणी है। यह परिवार में रहता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है जहां बालक कुटुम्ब के संपर्क तथा संरक्षण में अधिक समय व्यतीत करता है। बालक का समाज से संपर्क विद्यालय से ही प्रारंभ होता है। जहां वह एक ऐसे माहौल में पलता–बढ़ता है जिनमें न तो उसका खून का रिश्ता है और न ही कोई वैर भाव वरन यहां तो समाज के समान आयु के विभिन्न परिस्थितियों, रूचियों और वातावरण से आए बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। अतः नैतिकता के विकास और संरक्षण के लिए शाला का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यहाँ कुटुम्ब के समान स्नेह और प्यार के साथ–साथ सहयोग, सहानुभूति, अपनत्व आदि ऐसे संस्कार मिलते हैं, जिनके कारण शालाओं में बालकों को सामुदायिक जीवन व्यतीत करने का उत्तम प्रशिक्षण मिलता है।

नैतिक शिक्षा देने के लिए विद्यालय के सभी अध्यापकों को तैयार रहना चाहिए। शिक्षक का अनुकरण बालक करते हैं। शिक्षक का व्यवहार रहन–सहन, बातचीत का ढंग,उनका पहनावा, उसकी आदत सभी बालक पर प्रभाव डालती है। अतः नैतिकता के विकास के लिए शिक्षक का आदर्श मॉडल बनना जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियों में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ी में अच्छे गुण विकसित किया जाना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बालक–बालिकाओं द्वारा किए गए, अनुसंधान, नाटक, लेख आदि का संकलन किया जाकर वार्षिक उत्सव में प्रत्येक कक्षा का मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में गुणों का विकास होता है – चरित्र–निर्माण, सहनशीलता, आज्ञापालन, स्व अनुशासन, समन्वयशीलता, संवदेनशीलता।

योग शिक्षा – मूल्यों और अनुशासन का विकास (Yoga Education & Development of values and discipline)

आत्मद्रष्टा मंत्रद्रष्टा "वसुधैव कुटुम्बकम" के उद्‌गाता हमारे ऋषियों की अमूल्य देन "योग" अनादिकाल से लोकमानस को प्रेरणा देती आ रही है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि वेद इस दृष्टि से हमारे जीवन धारा की संजीवनी है।

'योग' शब्द संस्कृत के 'युज' धातु से उत्पन्न हुआ है। अंग्रेजी का योग (Yoke) शब्द भी 'युज' धातु से बना है। संस्कृत में योग और अंग्रेज में योक (Yoke) शब्द का भाव एक ही है। 'युज' का अर्थ है– जोड़ना। तात्पर्य यह है कि किसी विशेष लक्ष्य से अपने को जोड़ना, जमाना, कठोर कार्य हेतु तैयार करना एवं आरूढ़ होना है। 'योग' आठ भागों में विभक्त है। इसलिए इसे 'अष्टांग योग' कहा जाता है। प्रथम अंग 'यम' और अंतिम अंग है 'समाधि'। समाधि में पहुंचने पर ही परमात्मा के साथ मिलन होता है। नैतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। नैतिक के बाद शारीरिक शक्ति का स्थान आता है। बाघ, शेर, माँसाहारी हिंसक प्राणी तथा विराट देही वाले बड़े–बड़े जानवर शारीरिक शक्ति से बलवान हैं किन्तु नैतिक दृष्टि से शक्तिहीन होने के कारण मनुष्य आदि अन्य प्राणियों से भयग्रस्त रहते हैं। मानव समाज में भी नैतिक शक्ति के अभाव में शारीरिक शक्ति का दुरूपयोग होता है। योग के यम–नियम पांच–पांच भागों में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया है।

यम– अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह– योग शिक्षा द्वारा इन मूल्यों का विकास होता है। इसी प्रकार नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणीधान आदि शामिल है। अतः योग शिक्षा द्वारा शारीरिक, मानसिक नैतिक स्वाध्याय सुधार के साथ–साथ अनुशासन सीखने में मदद मिलती है। योग शिक्षा वस्तुतः इसके मानवीय मूल्यों और अनुशासन प्राप्ति में सहायक होता है –

योग शिक्षा से लाभ – शिक्षण संस्थानों में योग शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

1. शरीर नीरोग रहता हैं।
2. पाचन शक्ति बढ़ती है।
3. बालकों में शारीरिक व मानसिक विकास होता है।

4. स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है।
5. मोटापा दूर व शरीर सुडौल बनता है।

योग शिक्षा से बालक में विभिन्न मानवीय मूल्यों का विकास होता है। तथा योग द्वारा अनुशासन का विकास भी संभव होता है।

प्रश्न

1. विद्यालयों मे योग शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए?
2. नैतिक शिक्षा से शिक्षार्थियों में किन गुणों का विकास किया जाना संभव है।

गतिविधि–

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से आस–पास के उन विद्यालयों को सूची बद्ध करने को निर्देश देगा जहां योग शिक्षा का नियमित अभ्यास कराया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से योगिक एवं उनसे होने वाले लाभों की सारणी तैयार करवाएगा।

4.3.4 विद्यालयी समय सारणी (School Assembly)

विद्यालय का कार्य सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना है तो विद्यालय के संपूर्ण कार्य की एक समय सारणी (Time Table) होती है। विद्यालय विभिन्न कक्षाओं में विभाजित होता है और विद्यालय का समय सीमित होता है। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को उनके महत्व अनुसार उचित समय की व्यवस्था की जा सके इसलिए योजनाबद्ध विभाजन को समय–सारणी कहते हैं।

समय सारणी के उद्देश्य –

1. विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय के भीतर ही पूर्ण करना।
2. विद्यालय में होने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी उचित समय पर उचित स्थान देना।
3. विद्यालय की समय–सारणी में अध्यापकों को विद्यार्थियों के मानसिक सामर्थ्य एवं क्षमता को ध्यान में रखकर उन्हें अध्यापन कार्य देना।
4. विद्यालय के शिक्षार्थियों को वर्षभर अध्ययन कार्य में व्यस्त रखना।
5. विषय को उसकी उपयोगिता एवं कठिनाई के आधार पर ठीक–ठीक समय एवं स्थान की व्यवस्था करना।
6. प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल व उपादेय बनाना।
7. विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को अपने कार्य के प्रति सजग बनाना।
8. सीमित समय का अधिक से अधिक लाभ उठाना।
9. विद्यालय में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कार्य का संचालन करना।

4.3.5 शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी संबंध

विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थियों में परस्पर संबंध है। इनके समन्वय

व सामंजस्य के अभाव में कोई भी योजना की सफल क्रियान्विति नहीं हो सकती है। इनमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक वैयक्तिक गुणों के साथ–साथ सामाजिक गुणों तथा व्यावसायिक गुणों से विद्यालय एवं विद्यार्थियों को प्रभावित करता है।

शिक्षक विद्यालय एवं विद्यार्थी संबंधों को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है –

1. शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी में परस्पर संबंध होता है यदि तीनों का सदैव सकारात्मक तथा मधुर संबंध हो तो इनके साथ–साथ समुदाय के लिए भी उपयोगी होता है।
2. शिक्षक यदि शिक्षण नवाचार एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षण कराते हैं तो विद्यार्थियों में गतिविधि युक्त शिक्षण की समझ विकसित होती है।
3. शिक्षक, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करके चरित्रवान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों में जब चरित्रवान, धैर्यवान, दृढ़ संकल्पी, साहसी, ईमानदार, सहयोग आदि गुण विकसित होंगे तो समुदाय तथा विद्यालय का नाम रोशन होगा तथा प्रसिद्धि मिलेगी।
4. पर्यावरण संतुलन में शिक्षक व विद्यार्थी का योगदान होता है। विद्यालय सुंदर व अच्छा होगा तो ये अन्य के लिए प्रेरणादायक होगा।
5. विद्यालय के भौतिक स्वरूप को अच्छा बनाए रखने में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है।
6. शिक्षक का आदर्श, आपसी सहयोग बालकों के प्रति उनकी भावनाओं के साथ–साथ बालकों के चिंतन की आदतों का विकास होता है।
7. विद्यालय में सफाई व शिक्षण अधिगम उपकरणों की उपलब्धता शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। शिक्षक, विद्यार्थी व समुदाय में मधुर संबंध से अधिगम की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
8. प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण–एक आदर्श शिक्षक, विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक जीवन में जीना सिखाता है।
9. धर्मनिरपेक्षता– आदर्श शिक्षक धर्मनिरपेक्ष होता है वह सांप्रदायिक एवं वर्गगत संकीर्ण भावनाओं से अपने विद्यार्थियों को दूर रखता हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष भाव प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए अनिवार्य तत्व है। विद्यालय तथा समुदाय में धर्मनिरपेक्ष रहने से मधुर संबंध बने रहते हैं।
10. राष्ट्रीयता की भावना– ऐसा कहा जाता है कि दो ही व्यक्ति दुनिया में ऐसे है जो किसी पीढ़ी को बना या बिगाड़ सकते हैं, वे है माता–पिता और शिक्षक। अस्तु शिक्षक राष्ट्रीयता और राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रहता है और वह अपने विद्यार्थियों में भी इन्हीं भावनाओं का भरने का प्रयत्न करना है। इनसे परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण से विद्यार्थियों में सद्गुणों का विकास होता है।
11. शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से विद्यालय का वातावरण सरस बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्पष्ट है शिक्षक विद्यार्थी एवं विद्यालय तथा समुदाय एक–दूसरे के पूरक है। इनकी परस्परता से राष्ट्र उन्नति करता है। फलतः सहिष्णुता, संवदेनशीलता कर्तव्यपरायणता, सहयोग व सहानुभूति व राष्ट्रप्रेम जैसे गुणों का विकास होता है।

4.4 विद्यालय परिवेश और मूलभूत संकेतक (School environment and fundamental indicators)

प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक, शिक्षार्थी, साधन–सुविधाएं, अनुशासन, आपसी संबंध, क्रियाकलाप पर सीखने–सिखाने की प्रक्रियाएँ आदि के सामूहिक प्रभाव को विद्यालय परिवेश से पहचाना जाता है। यह परिवेश प्रत्येक विद्यालय का भिन्न होता है और इसी के द्वारा समाज में विद्यालय की अलग पहचान बनती है। विद्यालय परिवेश को समझने के लिए विद्यालय में जाकर अवलोकन करना आवश्यक होता है, लेकिन विभिन्न विद्यालयों के समूह में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय कुछ मूलभूत संकेतकों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतकों को देखकर ही कोई भी व्यक्ति अथवा समूह विद्यालय विशेष की पहचान कर सकता है। ये संकेतक है–

1. विद्यालय ध्वज
2. गणेवश
3. लोगो एवं संदेश वाक्य
4. संस्था का विजन

4.4.1 विद्यालय ध्वज (School Flag)

'ध्वज' का अर्थ है – तिकोना, चोकोर या अन्य आकृति में एक निश्चित माप को कपड़े का कटा भाग। इसका एक लकड़ी के डण्डे में लगाकर फहराया जाता है। कपड़े का रंग भिन्न–भिन्न तरह का होता है। इस पर अनेक प्रकार की रेखाएँ अथवा चिह्न आदि भी बने हो सकते हैं।

प्रत्येक विद्यालय अपना ध्वज बनाने के लिए कपड़े का रंग, आकृति एवं परिमाप निश्चित करता है और उस पर उकेरने के लिए कोई प्रतीक अथवा चिह्न का चयन करता है तथा इसी आधार पर विद्यालय ध्वज का निर्माण किया जाता है। विद्यालय ध्वज प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के लिए, गौरव का प्रतीक होता है। विद्यालयों द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय विद्यालय ध्वज को समूह के आगे लेकर चलता है। उस विद्यालय के गौरव की रक्षा के लिए विद्यार्थी अथवा शिक्षक अथक प्रयास करते हैं। विद्यालय के ध्वज को देखकर ही विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति समर्पण, उत्साह एवं परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय ध्वज विद्यालय एकता का प्रतीक है। विद्यालय का प्रत्येक घटक इसका सम्मान करना अपना कर्तव्य समझता है। कुछ विद्यालयों में दल व्यवस्था होती है और प्रत्येक दल को अपना एक ध्वज होता है। दलानुसार प्रतियोगिताओं के समय दल के ध्वज को फहराया जाता है और ध्वज की उपस्थिति में ही सभी प्रतियोगिताए आयोजित की जाती है।

प्रश्न –

1. विद्यालय में ध्वज की उपयोगिता समझाइए।
2. विद्यालय ध्वज को देखकर विद्यार्थियों में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है?

गतिविधि –

किन्हीं पांच विद्यालयों के ध्वजों का रंगीन चित्रांकन कीजिए।

4.4.2 गणेवश (Uniforms)

'गण' का अर्थ है – समूह एवं वेश का परिधान अथवा वस्त्र के रूप में समझा जाता है। अतः गणेवश एक जैसे वस्त्र होता हैं जिन्हें किसी समूह द्वारा पहना जाता है। एक जैसे वस्त्र का संदर्भ उनकी आकृति बनावट एवं रंग से है। विद्यालयों में गणवेश वे वस्त्र है जो विद्यालय समय में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं द्वारा पहने जाते है। इनकी आकृति बनावट एवं रंग निश्चित होता है। जब छात्र–छात्रा विद्यालय में गणवेश पहन कर आते हैं तो दूर से प्रत्येक छात्र अथवा छात्रा को अलग से पहचानना मुश्किल होता है। अतः विद्यालय गणवेश अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। विद्यालय के छात्र–छात्राओं द्वारा एक जैसा गणवेश पहनकर आने से उनके अन्दर अमीर–गरीब का भेद नहीं रहता और इनमें श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना भी पैदा नहीं होती है। सभी में एकरूपता का दर्शन होता है।

विद्यार्थियों को गणवेश में देखकर प्राचीन समय की आश्रम व्यवस्था का स्मरण हो आता है। जहां सम्राट राजा–महाराजाओं एवं श्रेष्ठियों के बालक तथा निर्धन बालक बिना किसी ग्रंथि से ग्रसित होकर एक से ही परिवेश में विद्याध्यन करते थे।

प्रश्न –

1. विद्यालय में गणवेश की क्या आवश्यकता है?
2. गणवेश पहनने से विद्यार्थियों में किस प्रकार के भाव जाग्रत होते हैं?

गतिविधि –

1. शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से अपने शहर अथवा गांव में आस–पास के विद्यालयों की गणवेश की विशेषताएं है, लिखने के लिए कहेगा।
2. वह उनसे यह भी पूछेगा कि यदि किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हो तो विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के लिए किस प्रकार का गणवेश पसंद करेंगे।

4.4.3 लोगों (प्रतीक चिह्न) एवं संदेश वाक्य (विजन) (Logo and Vision)

शिक्षा द्वारा मनुष्य में अंतनिर्हित मानवीय गुणों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला–कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य औपचारिक रूप से विद्यालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर अपनी योजना अपने ढंग से बनाता है। इसके लिए भिन्न–भिन्न विद्यालय, भिन्न–भिन्न शब्दों, जैसे– विज़न, मिशन,

उद्देश्य एवं कार्य–विधि निश्चित करते हैं, तथा छात्रों में मूलभूत मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विद्यालय के प्रत्येक घटक–शिक्षक, विद्यार्थी कर्मचारी आदि को उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने की सतत प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय एक ऐसे प्रतीक का चयन करता है अथवा निर्मित करना है जिसे देखने मात्र से कर्तव्य का पालन करने की भावना विकसित होती है। यह प्रतीक विद्यालय का 'लोंगो कहलाता है। उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा का अभियान के अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोंगो तैयार किया है, जिसमें एक पैंसिल पर एक ओर बालिका को बैठाकर खुली पुस्तक उसके हाथों में थमाकर संदेश वाक्य लिखा गया है– 'सब पढ़े, सब पढ़े' इसे सार्थक बनाता है। उसी पैंसिल पर हाथ बढ़ाकर दौड़ते हुए बालक की मुद्रा बालक और बालिका दोनों के समान रूप से पढ़ने पर जोर देता है। इसी प्रकार एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक का अपना लोंगो भी मान्य एवं प्रेरणादायक है। लोंगो पर एक ध्येय वाक्य लिखा रहता है। जिसको पढ़ने से एक संदेश मिलता है एवं तद्नुरूप आचरण करने की इच्छा जाग्रत होती है। इसे विद्यालय का संदेश वाक्य कहा जाता है। लोंगो एवं संदेश वाक्य का प्रदर्शन अथवा अंकन उत्तर पुस्तिकाओं, विद्यालय डायरी, बरामदा, नोटिस बोर्ड, लेटर हेड, सूचना बोर्ड आदि पर किया जाता है, जिससे विद्यालय के सभी सदस्य उसे बार–बार देख सकें, पढ़ सकें और अंतकरण में कार्य करने के संकल्प को दृढ़ता प्रदान कर सकें।

भिन्न–भिन्न विद्यालय भिन्न–भिन्न प्रकार के लोगो एवं संदेश वाक्यो का चयन करते हैं। इसके द्वारा विद्यालय की अन्य विद्यालयों से अलग पहचान बनती है। कुछ संदेश वाक्यों के उदाहरण निम्नानुसार है –

एक विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक ओर ज्ञान के लिए प्रवेश दूसरी ओर सेवा के लिए प्रस्थान लिखा संदेश वाक्य है।

प्रश्न –

1. विद्यालय का लोंगो क्यों होना चाहिए?
2. संदेश वाक्य विद्यालय परिवेश में क्यों लिखे जाते हैं, बताइए।

गतिविधि–

1. शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों से हिन्दी/अंग्रेजी अथवा संस्कृत से लिए गए संदेश वाक्यों का संकलन करने के लिए कहेगा जो विद्यालय परिवेश मे लिखे गये हो।
2. वह किन्हीं दो विद्यालयों के 'लोगो' को चित्रित करने के लिए कहेगा जो अपनी दृष्टि में प्रेरणास्पद हो। उन पर अन्य शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए भी कहेगा।

प्रदत्त कार्य (Work Assigned)

1. विद्यालयों में बच्चों का औसत व श्रेष्ठ में विभाजन के आधारभूत सिद्धांत कौन से है?
2. बच्चों को औसत व श्रेष्ठ श्रेणियों में विभाजन से शिक्षण में क्या लाभ होंगे? समझाइए।

3. हमारी संस्कृति से संबंधित मुख्य प्रतीक कौन से है?
4. हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प के नाम बताइए।
5. हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से है उनमें से किसी एक पर्व को विद्यालय मे मनाने की योजना बनाइए।
6. हमारे मुख्य धार्मिक पर्व कौन–कौन से है? किसी एक पर्व का उदाहरण देकर बताइए कि ये पर्व भावात्मक एकता कायम करने में किस प्रकार सहायक है?
7. विद्यालय में महापुरूषों की जयंतियां क्यों मनाई जाती है?
8. 'बाल दिवस' मनाने की योजना बनाइए। इसके मनाने से बालकों पर क्या प्रभाव होगा? समझाइएं
9. शनिवारीय गतिविधियां क्या है? इनके आयोजन से विद्यालयों को क्या लाभ होता है?
10. विद्यालय में प्रार्थना सभा के आयोजन के उद्देश्य लिखिये एवं कार्यक्रम की समयानुसार सारणी बताइए।
11. विद्यालय में नैतिक शिक्षा का शिक्षण क्यों आवश्यक है? इस शिक्षा से बालकों में किन गुणों का विकास होता है?
12. विद्यालय में समय–सारणी बनाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
13. विद्यालय ध्वज एवं विद्यालय गणवेश की आवश्यकता बताइए।
14. 'लोगो' एवं संदेश वाक्य से क्या अभिप्राय है? उसके निर्धारण से संस्था को क्या लाभ है। उदाहरण देकर समझाइए।

–––oooooooo–––

इकाई–5
शाला का नेतृत्व प्रबंधन
(School Leadership Management)

परिचय (Introduction) -

शैक्षिक नेतृत्व का तात्पर्य चिंतन, मनन, सैद्धांतिक ढांचों, अन्वेषण, संवाद, नियोजन तथा सहयोगी विद्वानों के बीच वैचारिक आदान प्रदान के द्वारा ऐसे अनुभवों के विकसित करने और निखारने से है। जिनका संबंध शैक्षणिक संस्थाओं व्यक्तियों, सहायक संस्थाओं का नेतृत्व करने एवं उनके बीच की अन्तर्व्यस्थाओं के प्रबंधन से होता है। शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षा में परिवर्तन का दृष्टिकोण गढ़ना और फिर उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए क्षमताएं विकसित करना है, शैक्षिक नेतृत्व अपने विभागों के लिए दृष्टिकोण गढ़ना एवं उनकी भूमिका और कार्य करने के तरीके विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षा और समाज में परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी, शैक्षिक नेतृत्व है, चूंकि संस्कृति और शिक्षा स्थिर नहीं होती है। सीखने के एक व्यावहारिक विषय क्षेत्र की तरह शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न अवयवों को विकास का अवसर प्रदान करता है।

प्रत्येक राष्ट्र, समाज और संगठन के नेतृत्व की आवश्यकता होती है। विद्यालय में बदलाव से अभिप्राय मात्र मनोवृत्ति और कार्य व्यवहार में बदलाव नहीं है। यह अधिगम के लिए प्रेरक भौतिक वातावरण और शैक्षिक परिवेश का निर्माण करता है। स्कूल कोई निरपेक्ष संस्था नहीं है। विद्यालय एक भरापूरा परिवेश है, जिसमें अभिभावक, समुदाय, अध्यापक और शैक्षिक प्रशासक भी शामिल होते हैं। संस्था प्रमुख इसकी धुरी है। जो स्कूल परिवेश को ऊर्जावान बना सकता है।

शैक्षिक नेतृत्वकर्ता के रूप में संस्था प्रमुख का सीधा संबंध बच्चों एवं शिक्षकों से होता है, अतः इनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यार्थी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। शिक्षा संबंधी नीतियों व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व बेहतर परिणाम के लिये संस्था प्रमुख व शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले शैक्षिक घटक है। विद्यालय के प्रमुख होने के नाते संस्था प्रमुख की भूमिका शैक्षिक नेतृत्वकर्ता (एजुकेशन लीडर) की हो जाती है। लोगो रहेगा इसके साथ ही संस्थाप्रमुख स्कूल नेतृत्व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 6 घटकों पर निर्भर है।

स्कूल नेतृत्वकर्ता –

1. स्कूल नेतृत्व का संप्रेक्ष्य–
2. स्वयं का विकास
3. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण
4. प्रभावी दलों का गठन
5. प्रमुख नवाचार

6. साझेदारी उद्देश्य (Objectives):

जीवन के प्रत्येक चरण पर नेतृत्व के गुणों की आवश्यकता होती है, तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन में भी इन गुणों की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। विद्यालय आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का गुरू होते हुए भी वर्तमान में मूल्यों का क्षरण हुआ है। अतः विद्यालय का उद्देश्य है कि छात्रों में अध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें, ताकि हमारा समाज एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज बन सके एवं इसका प्रमुख उद्देश्य स्कूलों एवं स्कूल शिक्षा प्रणाली प्रबंधन एवं नेतृत्व में रूपांतरण करना है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- स्वयं आगे बढ़कर आदर्श प्रस्तुत करना।
- अपनी संस्था और समीपस्थ क्षेत्रों के लिये किसी तरह की योजना बनाना।
- स्कूल के बच्चों के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित करना एवं विज़न तैयार करना।
- बच्चों के हित को ध्यान में रखकर सोचना एवं कार्य करना।
- शिक्षकों की एक अच्छी टीम बनाना।
- शिक्षकों को अभिप्रेरित करना।
- संस्था प्रमुख में बच्चों द्वारा पालक की छवि देखना।
- स्कूल एवं समुदाय की परस्पर सहभागिता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।
- शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिये प्रयास करना।
- शाला के विद्यार्थियों हेतु साहित्यिक/संस्कृतिक प्रतियोगिताओं व खेलकूद आयोजित करना।
- नवीन प्रविधियों एवं टी.एल.एम. का प्रयोग शिक्षण के दौरान करवाना।
- स्मुदाय में एक सफल संस्था प्रमुख के रूप में पहचान स्थापित करना एवं स्वयं अनुशासित रहकर शिक्षक एवं बच्चों को अनुशासन में रखना। शाला में बच्चों की शत् प्रतिशत् उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- निर्धन एवं कमजोर बच्चों की सतत अध्ययन जारी रखने हेतु योजना बनाना।
- प्रतिभावना बच्चों के विशेष सुविधा देना।
- स्कूल में बदलाव हेतु अभिभावकों, समुदाय, शिक्षा पदाधिकारियों के साथ सुगम साझेदारी स्थापित करना।
- स्कूल प्रबंधन में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- स्कूल समुदाय रिश्ते के समझना एवं विद्यालय विकास योजना में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

5.1 संस्था प्रमुख की चुनौतियां (Challenges of Head of Organization)

संस्था प्रमुख जो विद्यालय का नेतृत्व करते हैं, उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

1. प्रेरक का अभाव
2. शिक्षा के उद्देश्य एवं समझ का अभाव
3. बच्चों मे विश्वास का अभाव।

4. समाज में शिक्षकों की दयनीय स्थिति गिरता स्तर
5. प्रशासनिक कार्यों का बोझ
6. छात्र और शिक्षकों का कमजोर अनुपात
7. शिक्षा का अधिकार कानून एवं सी.सी.एफ. लागू करना।
8. सीमित संचालन

5.2 प्रशासनिक नेतृत्व (Administrative Leadership)

प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, इसके सिद्धांतों और दबाव के संचालन के महत्व को समझाने में मदद करना एवं प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक पर प्रतिभागियों की समझ को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान देना होता है। प्रशासिनक नेतृत्व के तहत समय प्रबंधन के महत्व देना/विशेषताएं या लाभ बताना आवश्यक होता है। प्रभावी प्रबंधन के प्रभावित करने वाले कारकों के समझाना आवश्यक है। प्रशासनिक नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्था प्रमुख समय से पहले विद्यालय आये एवं विद्यालय समय के बाद विद्यालय से जाना चाहिये। इसका असर शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर पड़ता है एवं इससे उनकी कार्यक्षमता पर अच्छा असर पड़ता है वे लगन व निष्ठा से कार्य करते है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सभी क्लेम समय पर दिये जाने चाहिये। कार्यालय के सभी अभिलेखों खासतौर पर कैश बुक के लिये एवं दैनांदिनी, यूनिट डायरी, छात्रा उपस्थिति पंजी के अवलोकन एवं हस्ताक्षर के लिये प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होने से समस्त अभिलेख समय पर तैयार किया जाता है। इस प्रकार प्रशासन में कसावट सभी के सहयोग से लाया जा सकता है।

अपने दायित्वों का निर्वहन पहले करना होगा तभी दूसरों के लिये आदर्श बन सकते हैं एवं विद्यालय का सर्वांगिण विकास करने में समर्थ हो सकेंगे। लक्ष्य ही प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सके। इससे गुणात्मक परितर्वन होना एवं उत्तीर्ण प्रतिशत में वृद्धि होगी। हर स्तर पर, उद्देश्य प्राप्ति की इच्छा एवं उपलब्धि प्राप्ति हेतु शिक्षकों में लगातार परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

5.2.1 स्वयं का विकास (Self Development)

इस तरह से प्रशासनिक नेतृत्व के तहत संस्था प्रमुख अपने लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण करें। इसका संचार करें एवं यह बताना कि प्रत्येक शिक्षकों/ कर्मचारियों को क्या करना है एवं उन्हें सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। प्रशासनिक नेतृत्व के तहत संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी है एवं उससे अपेक्षा भी है कि वह संवाद को सुगम बनाये अंतर्दृष्टियों के स्पष्ट करने के साथ–साथ बांटना सुनिश्चित करें शिक्षकों के कुछ ऐसे तरीके खोजने के लिये प्रेरित एवं उत्साहित करें। जिनसे वातावरण और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार हो और यह भी सुनिश्चित करें कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी आनंदपूर्ण असरदार एवं दूरदर्शी हो, कठिन परिस्थितियों से निपटने में और बाहरी हस्तक्षेपों और अड़चनों से पार पाने में भी सक्षम होना चाहिए।

नेतृत्व के प्रमुख क्षेत्र – (Key areas of Leadership)

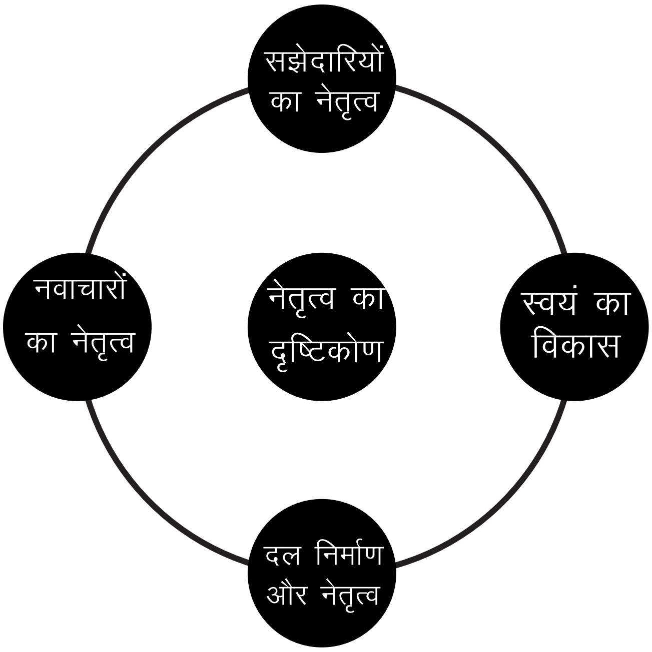

एक संस्था प्रमुख होने के नाते एक ऐसी संस्कृति निर्मित किये जाने की जरूरत है, जिसमें शिक्षक परिस्थितियों और चुनौतियों का सामूहिक रूप से विश्लेषण करने और उन पर काम करने में समर्थ हों, शैक्षणिक संस्थाओं के परिवेश में, नेतृत्व का कहीं अधिक विचारशील चिन्तनशील और ज्ञान–आधारित होना जरूरी है। (शैक्षणिक उद्देश्यों और कार्यविधियों की गहरी साझा समझ ही एक साझे दृष्टिकोण का आधार बनाती है) इसका तात्पर्य यह है कि स्कूली नेतृत्व के भी किसी एक व्यक्ति में केन्द्रित होने से बजाय विकेन्द्रीत और सहयोगपूर्ण होना चाहिए।

5.2.2 टीम नेतृत्व, टीम तैयार करना एवं टीम में कार्य करना

(Team Leadership, Formation of team and working in a team)

विद्यालय प्रमुख होने के नाते प्रधान अध्यापक की भूमिका एक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता (एजुकेशन लीडर) की हो जाती है। एक सफल नेतृत्वकर्ता के लिये अपने आस–पास दूसरे लीडर को तैयार करना होगा, एक टीम बनानी होगी, टीम में कार्य करने की भूमिका बनानी होगी। एक ऐसा तरीका खोजना होगा, ताकि दूसरे आपकी भविष्य दृष्टि (Vision) के देखे, उस पर अमल करें और उसे साकार रूप देने में योगदान दे। टीम में कार्य करने हेतु टीम का लीडर एक तस्वीर देखता है एवं मानसिक तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए उसे अन्य लीडर की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य के पूर्ण रूप से परिचित होने के लिए एक टीम भावना से कार्य करने की आवश्यकता होगी। लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लीडर अपने अनुयायी के किस प्रकार प्रेरित करता है। जो अपेक्षाएं व बदलाव हम दूसरों में चाहते हैं स्वयं में पहले लाएं। साकारात्मक नजरिया हो, स्व–आकलन करें, अपनी कमजोरियों को दूर कर क्षमताओं का विकास करें। लगातार सीखने की प्रवृत्ति रखे।

टीम (**Team**) तैयार करें – अलग–अलग क्षमताओं योग्यताओं, दृष्टिकोणों के व्यक्तियों को संस्था के साथ साक्षा के लिये एक साथ जोड़ना टीम तैयार करना है। संस्थ की सफलता के लिये टीमवर्क आवश्यक है। टीम

तैयार करने के लिये जरूरी है कि अपने सहयोगियों पर विश्वास करें व प्रत्येक व्यक्ति को उसके महत्व का अहसास कराएं। संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रेरित करने एवं बदलाव की स्वीकार्यता के लिये तैयार करना एवं सहयोगियों को लीडर्स के रूप में तैयार करना।

- टीम के साथ मिलकर स्कूल के लिये विज़न तैयार करना।
- स्वयं आगे बढ़कर टीम को अभिप्रेरित करें एवं सहयोगियों को सतत सीखने के लिये अवसर उपलब्ध कराना।
- असफलता का दोष स्वयं लेवे व सफलता का श्रेय सहयोगियों को देना।
- बीच–बीच में प्रगति की समीक्षा हो।
- टीम के साथ मिलकर समीक्षा हो।

5.2.3 विषयगत क्षेत्र में नेतृत्व (Leadership in the Subject area) –

संस्थाप्रमुख होने के नाते – पाठ्यचर्या की समझ के साथ–साथ विषय की जानकारी एवं समक्ष होना चाहिए। विषय से संबंधित विशेष शास्त्रीय (Pedagogic teaching Skill) का ज्ञान एवं प्रयोग की क्षमता होना चाहिए। बच्चों की संवेदनशीलता और सम्मान किया जाना चाहिए। नये शिक्षकों एवं छात्रों के लिये एक मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। इसके साथ अपनी शाला को विभिन्न क्षेत्रों, खेलकूद, साहित्यिक, सामुदायिक, सहभागिता में आने ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। स्कूल/कक्षा प्रक्रियाओं के लिये योजना बनाने के लिये महत्व को समझना। संस्था प्रमुख में शैक्षिक नेतृत्व हेतु निम्नानुसार गुण होना चाहिए।

प्रभावशाली व्यक्तिव – (Effective Personality) संस्था प्रमुख अपने संगठन का मुख्य व्यक्ति होता है, जब कोई विद्यालय निरीक्षण हेतु, अन्य अधिकारीगण आते है तो सर्वप्रथम बाह्य व्यक्तित्व पर ही नजर पड़ती है। (सुडौल अंग प्रत्यंग, कद, वर्ण) भी जो आकर्षण उत्पन्न करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिय शारीरिक स्वास्थ्य की परमावश्यकता होती है'' डब्ल्यू एम. रायबर्न का कथन है। कि प्रधानाचार्य/ संस्थप्रमुख किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है। अतएव ऐसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की अत्यंत आवश्यकता है।

आदर्श चरित्र – (Ideal Character) शैक्षिक नेतृत्व के लिये चरित्र आदर्शवादिता परमावश्यक है। चरित्र तो स्वभावों तथा मानवीय गुणों के भंडार का ही दूसरा नाम होता है। शैक्षिक नेतृत्व हेतु आदर्श चरित्र, आश्रित कर्मचारियों के लिय मार्गदर्शन, प्रेरणा स्रोत तथा प्रकाश स्तंभ के रूप में होता है।

व्यावसायिक तथा शैक्षिक ज्ञान – (Professional and academic Knowledge) शैक्षिक नेतृत्व के लिए शिक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है। अध्यापन वित्त की समस्याओं तथा उनका निराकरण करना संस्थाप्रमुख का गुण होना चाहिए। संस्था प्रमुख को शिक्षा व्यवसाय की उन्नति हेतु सुझाव नियोजन तथा संगठन करना भी आवश्यक गुण माना जाता है। इसके साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान, ज्ञानवृद्धि के लिये शिक्षा संबंधी पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय तथा शिक्षा से संबंधित अनेक पत्र–पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना आवश्यक है।

सहिष्णुता एवं समायोजन – (Toleration and Adjustment) संस्था प्रमुख में समायोजन करने की क्षमता अवश्य होना चाहिए। विरोधियों के साथ भी मृदुलभाषा में वार्तालाप करना तथा समस्या को सुलझाने के लिये

धैर्यपूर्वक प्रयास करते रहना संस्था प्रमुख का अद्वितीय गुण होता है क्योंकि यदि परिस्थितिवश किसी व्यक्ति के साथ यदा–कदा अप्रसन्नता या कटुता का व्यवहार करना पड़े तो संस्था प्रमुख को यह बात भुला देनी चाहिए। ''दुश्मनी लाख सही खत्म न की जै रिश्ते दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए'' यह पंक्ति संस्थाप्रमुख को समायोजन का पाठ सिखाने में सहायक है।

संस्थागत नियोजन का ज्ञान – (Knowledge of Institutional planning) प्रत्येक संस्था प्रमुख के लिये संस्थागत नियोजन का ज्ञान होना चाहिए। संस्थागत नियोजन में वे सभी कार्य होते हैं, जो संस्था के सर्वांगिण विकास में आवश्यक समझे जाते हैं। प्रतिभावना व्यक्तियों की मानसिक क्षमता का पूर्ण लाभ उठाया जाता है। स्थानीय समुदायों के अधिकाधिक सहयोग को प्राप्त किया जाता है। संस्थाप्रमुख को इसे कार्यान्वित करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए।

पक्षपात रहित दृष्टिकोण – (Unprejudiced Attituded) पक्षपात व्यवहार लोकप्रियता को नष्ट करने वाला होता है। कुछ व्यक्तियों के अनुचित लाभ पहुंचाना एवं कुछ व्यक्तियों की उपेक्षा करना दलबंदी तथा विरोधी भावना को प्रोत्साहन देना है। संस्था प्रमुख की न्यायप्रियता तथा सामान्यतय पूर्ण व्यवहार की प्रशंसा होती है एवं उसका शैक्षिक प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। पक्षपात रहित दृष्टिकोण ही संस्था के संपूर्ण वातावरण के प्रशंसनीय बनाने में सक्षम होता है।

मानवीय संपर्क कला में दक्षता – (Expert next in human relationship) संस्था प्रमुख को सदैव दूसरे व्यक्तियां के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने तथा उनके प्रति आदर भाव रखने का अभ्यास करना चाहिए। स्नेहपूर्ण तथा मैत्री युक्त व्यवहार का परामर्श लेना तथा पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम की भावना के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विद्यालय में छात्रों तथा अध्यापकों तथा संरक्षकों के पारस्परिक संबंधों की मधुरता में प्रधानाचार्य की व्यावहारिक क्षमता निश्चित रूप से वृद्धि करती है।

भाषण तथा लेखन क्षमता – (Ability of speech and writing) संस्था प्रमुख को विद्यालय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति इतने प्रभावशाली ढंग से करनी चाहिए, जिससे अन्य व्यक्ति की योग्यता को भली प्रकार समझ सके। क्योंकि ज्ञानवान होने पर भी स्पष्ट वक्ता न होने पर संस्थाप्रमुख का प्रभाव शून्य रहता है। इसी प्रकार लेखन–योग्यता का भी संस्था प्रमुख के लिये अधिक महत्व होता है। शिक्षा विभाग के पपत्रों को ठीक प्रकार उत्तर देने, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिये आदेश लिखने और समय–समय पर अनुसंधानात्मक लेख लिखने में संस्था प्रमुख को प्रवीण होना चाहिए। कुछ विद्यालय में कार्यालय अधीक्षक द्वारा जो कागज पर लिख दिया जाता है। जैसा ड्राफ्ट बना दिया जाता है, उस पर मौन होकर विद्यालय के संस्था प्रमुख उस हस्ताक्षर कर देते हैं।

संस्था प्रमुख के नित्यप्रति डाक आये हुए पत्रों को उत्तर देने अनेक प्रश्नों के उत्तर देने, अनेक कार्यों में लेखन योग्यता की आवश्यकता होती है। अशुद्ध उच्चारण, रूक–रूक बोलना लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करना, अशुद्ध वाक्यों का उपयोग करना। शैक्षिक लीडर के प्रभाव को समाप्त करता है एवं हास्यास्पद स्थिति में खड़ा कर देता है।

उत्तरदायित्व निर्वाह तथा कार्य में पहल करने की क्षमता – (Ability of resposnsibilty and initiation) संस्था प्रमुख को कर्तव्यपरायण, सहनशील, तथा उद्यमी होना चाहिए। उसके चेहरे पर सजीवता, प्रफुल्लता तथा

सक्रियता, दिखाई देनी चाहिए। इस विशेषता का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर गहरा होता है। विद्यालय अथवा शिक्षक संस्था के समस्त कार्यों को उत्तरदायित्व पूर्ण निभाना चाहिए। आलस्य तथा अकर्मण्यता सर्वथा परित्याग करना चाहिए।

आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की क्षमता – (Self confidence & cooperation) वहीं संस्थाप्रमुख सफल होता है जो स्वयं विश्वासी होता हुआ अपने साथियों पर विश्वास करता है यदि वह अन्य व्यक्तियों की सराहना करता है और कार्यों में भी सहायता करता है तो उसे पूर्ण सहयोग मिलता है एवं सफलता प्राप्त करने में सहयोग मिलता है।

इसके अतिरिक्त निम्न विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है।

1. आशावादी दृष्टिकोण (Optimistic outlook)
2. प्रशासिनक योग्यता (Administrative Ability)
3. जनतांत्रिक व्यवहार (Democratic Behaviour)
4. मनोविज्ञान का ज्ञान (Knowledge of Psychology)
5. समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान (Knowledge of social needs)
6. विनोदी स्वभाव (Humorous nature)
7. संगठन शक्ति (Organizing Capacity)
8. दूरदर्शिता (Forsightedness)
9. मिलनसारी प्रवृत्ति होना (Capicity of mixup with others)
10. प्रेरणा स्रोत (Sources of Inspiration)
11. कार्य के प्रति आस्था (Devotion towards work)
12. अभिवृत्यात्मक विशेषताएं (Attitutional Abilities)

- समूह के सभी व्यक्तियों को उपयोगी समझना।
- दूसरे व्यक्तियों के प्रति विश्वास व्यक्त करना।
- अन्य व्यक्तियों के विचारों का आदर करना।
- शैक्षिक कार्यों की सफलता में समूह के प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को समझना।

5.3 शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने हेतु नेतृत्व (Leadership to bring changein school education)-

लीडरशीप एक प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति एक समूह को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने प्रभाव में लेता है। इस हेतु एक आवश्यक नॉलेज (ज्ञान एक कौशल की आवश्यकता होती है।) शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिये वह किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। अलग–अलग क्षेत्र हेतु अलग प्रकार को लीडर की आवश्कयता होती है। जिस क्षेत्र में अच्छी स्थिति चाहते हैं उसका चयन कर टीम के सदस्यों के साथ एक साक्षी दृष्टि बनायी जाती है। समाधान हेतु विभिन्न विधियों का ज्ञान कराया जाता है।

आज शिक्षा के विकास के लिये विभिन्न प्रयोग किये जा रहें। शिक्षा का सर्वाधिक पूर्ण संस्थाप्रमुख नवाचारों के लिये मुख्य स्रोत होते हैं। नये विचारों की खोज के लिए संवाद और विचार मंथन की आवश्यकता होगी। नवाचार

से स्कूल में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। प्रयोग एवं अनुसंधान द्वारा नवाचारों को बढ़ावा मिलता है। पर्याप्त संसाधन तथा अकादमिक समर्थन सुनिश्चित करना होगा।

5.3.1 विद्यालय में नवाचारों की पहचान एवं उनका प्रलेखन

(Identification and documentation of immovation in the school)

विद्यालय में परिवर्तन को समझना, नवाचारों के माध्यम से स्कूल की पुनः कल्पना करना। समष्टि स्तर पर नवाचार, पाठ्यचर्या के संगठन वार्षिक कलैण्डर, कार्य वितरण बजट दोपहर का भोजन, वित्त प्रबंधन तथा धन जुटाना वर्तमान संसाधनों का उपयोग, वार्षिक समारोह करना एवं उसमें बदलाव करना चाहिए। व्यक्तिस्तर पर नवाचार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कक्षा संगठन, समय–सारिणी, कक्षा प्रबंधन, समुदाय तथा स्टाफ के बैठके में सुधार करना होगा। इस हेतु अभिभावकों, अध्यापकों और विभिन्न अभिकरणों की भूमिका स्पष्ट रूप से समझनी होगी। समस्त शैक्षिक योजनाओं का केन्द्र बच्चे हैं। चूंकि बच्चों का सीधा संबंध प्रधान पाठक एवं शिक्षकों से ही होता है। इनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चे इन्हें अपना आदर्श मानते है। शिक्षा संबंधी नीतियों व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व बेहतर परिणाम के लिये इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालय के प्रमुख होने के नाते प्रधानपाठक की भूमिका शैक्षिक नेतृत्वकर्ता (एजुकेशन लीडर) की होती है।

5.3.2 शालेय संस्कृति में परिवर्तन प्रबंधन (Change management in school culture)

प्रत्येक व्यक्ति की यह आकांक्षा होती है कि वह किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व करें। संस्था प्रमुख और शिक्षकों के साथ यह महत्वपूर्ण बात है कि वे भविष्य के नागरिक व नेतृत्कर्ता बच्चों के बल्कि पूरे समाज के लिये रोलमॉडल है।

इस परिपेक्ष्य में उनकी भूमिका स्वतः ही नृतत्वकर्ता की हो जाती है, इसलिये आवश्यक है कि वे स्वयं को नेतृत्वकर्ता की प्रभावी भूमिका के लिये तैयार करें।

- जो अपेक्षाएं व बदलाव दूसरों में चाहते हैं स्वयं में पहले लाए।
- सकारात्मक नजिरया हो।
- स्व–आकलन करें। अपनी कमजोरियों को दूर कर क्षमता का विकास करें।
- लगातार सीखने का प्रयास करें।
- आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रीय करना।
- लोगों तथा परिस्थितियों के सकारात्मक तरीके से देखने और काम करने की योग्यता होनी चाहिए।
- सेवा करने टीम भावना से काम करने और लीडर का अनुसरण करने की इच्छा होनी चाहिए।
- जिम्मेदारियों के साथ बढ़ने के साथ अपना विकास करने की क्षमता होनी चाहिए।
- समय पर काम को पूरा करने एवं सही तरह से पूरा करने का संकल्प।
- समस्याएं आने पर उनका मुकाबला करने की क्षमता होनी चाहिए।
- आवश्यक कार्य करने की इच्छा।
- कृतज्ञता का नजरिया जो जीवनशैली बन जाए।

- विकास के अवसर प्रदान करना। अपने आसपास के क्षमतावान लीडर्स के विकास के लिए अवश्यकता की जानकारी रखना।
- सुरक्षित माहौल प्रदान करना जहां क्षमतावान लीडर जोखिम लेने के लिए स्वतंत्र हो।
- क्षमतावान लीडर्स को पहचानना।
- कार्य में पारदर्शिता लायें। निरंतरता बनाए रखे एवं प्रोत्साहन देवें।

5.4 शाला के विकास में संस्था प्रमुख की भूमिका – (Role of school head in development of school) -

शैक्षिक नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण कार्य संस्था प्रमुख द्वारा किया जाता है। इन सब कार्यों को संस्था प्रमुख द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिए।

1. **सुनिश्चित नियोजन (Planning)** – योजना जितनी सुदृढ़ तथा सुनिश्चित होगी, कार्य में उतनी ही सफलता मिलेगी। उद्देश्य प्राप्ति एवं सफलता के लिए संस्थाप्रमुख के अत्यंत कुशलतापूर्वक योजना का निर्माण करना चाहिए। योजना में क्रमबद्धता तथा सैद्धानिकता होनी चाहिए। संस्थाप्रमुख योजना का निर्माण इस प्रकार करता है जिससे शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि होती है तथा विद्यालयों की सेवा द्वारा समाज को भी अधिक लाभ मिलता है।
2. **वित्तीय कार्य कुशलता (Efficiency in finance)** – संस्था प्रमुख का कार्य वित्तीय समस्याओं को सुलझाने का भी होता है। संस्थाप्रमुख को भवन निर्माण, पुस्तकालय, क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्य आदि पर व्यय होने वाली धनराशि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसे बजट बनाने तथा उसे भलीप्रकार समझने में प्रवीण होना चाहिए। वार्षिक आय वित्तीय निरीक्षण के कार्य को भी ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक है।
3. **विकास कार्यों में निरंतरता (Continuity in Development work)** – संस्था प्रमुख की शैक्षिक विकास राष्ट्रीय नीति, स्थानीय सहायता, स्रोत आदि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। संस्थाप्रमुख के कार्यों की प्रशंसा भी होती है जब वह विद्यालय की निरंतर उन्नति के लिये प्रयत्न करता है। स्थानीय व्यक्तियों की सहायता को प्राप्त करना, शैक्षिक योजनाओं के विभिन्न स्रोतों से धन एकत्रित करना, शिक्षाधिकारियों को विद्यालय के लाभार्थ आमंत्रित करना, नवीन अनुसंधानों तथा नवीन शिक्षक पद्धतियों को अपनाना आदि ऐसे अनेक कार्य होते हैं? जिससे विद्यालय की निरंतर उन्नति होती है।
5. **संस्थागत प्रशासन (Institutional Administration)** – संस्थाप्रमुख का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उस संस्था के प्रशासन को ठीक रखना है जिसका उत्तरदायित्व उसके कंधों पर होता है। विद्यालय की अनेक गतिविधियों होती है। शैक्षिक कार्य, कार्यालय संबंधी कार्य, पुस्तकालय, क्रीड़ा कार्य शिक्षाधिकारियों के कार्यालयों से संबंधित कार्य, समाज के व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि अनेक कार्य कार्य होते हैं।
6. **विद्यालय भवन तथा साज–सज्जा (School Building & Equipment)** – विद्यालय का साज–सज्जा का उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख होता है। आवश्यकतानुसार विकास करना। पर्याप्त शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। संस्थाप्रमुख द्वारा सभी कार्य कुशलता से किये जाने चाहिए।

प्रश्न –

1. संस्थाप्रमुख की कौन–कौन सी प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती है, उल्लेख कीजिए।
2. टीम लीडर की क्या भूमिका होती है।

या

संस्थाप्रमुख होने के नाते टीम का नेतृत्व किस प्रकार किया जाता है बताइए।

3. संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में शैक्षिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका बताइये।

या

संस्थागत व्यवहार का अर्थ बताइये तथा इसकी विशेषताओं को बताइए।

4. शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
5. शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने हेतु संस्थाप्रमुख की क्या भूमिका होती है।
6. संस्था प्रमुख की भूमिका को विस्तार से समझाइये।

दत्तकार्य –

- शाला गुणवत्ता सुधार हेतु संस्था प्रमुख एवं शिक्षकों की भूमिका पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।
- शाला अनुभव के दौरान आपके द्वारा शाला के शिक्षकों के टीमवर्क के द्वारा किये गये कार्यों की सूची तैयार कीजिए।
- संस्था प्रमुख में कौन–कौन से शैक्षिक नेतृत्व के गुण होने चाहिए अपने विचार लिखिए।
- शालेय संस्कृति में परिवर्तन प्रबंधन हेतु संस्था प्रमुख एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ –

1. शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन
   –सुरेश कुमार प्रजापति
2. विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक
   B.S.I.C (D-EL-ED) द्वितीय वर्ष
3. स्कूल नेतृत्व – लर्निंगकर्व
   Ajim premji foundation 2012
4. Building Leadership within & Browser creament education
5. प्राचार्य संदर्शिका – सत्र 2008–09
6. अधिरथापन – 2011–12
7. सामान्य मुद्दे – 2011–12
8. विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन – डॉ. रमेश गुप्ता, 2016
9. अपने टीम के लीडर्स को विकसित कैसे करें – जॉन सी मेक्सवेल

---oooooooo---

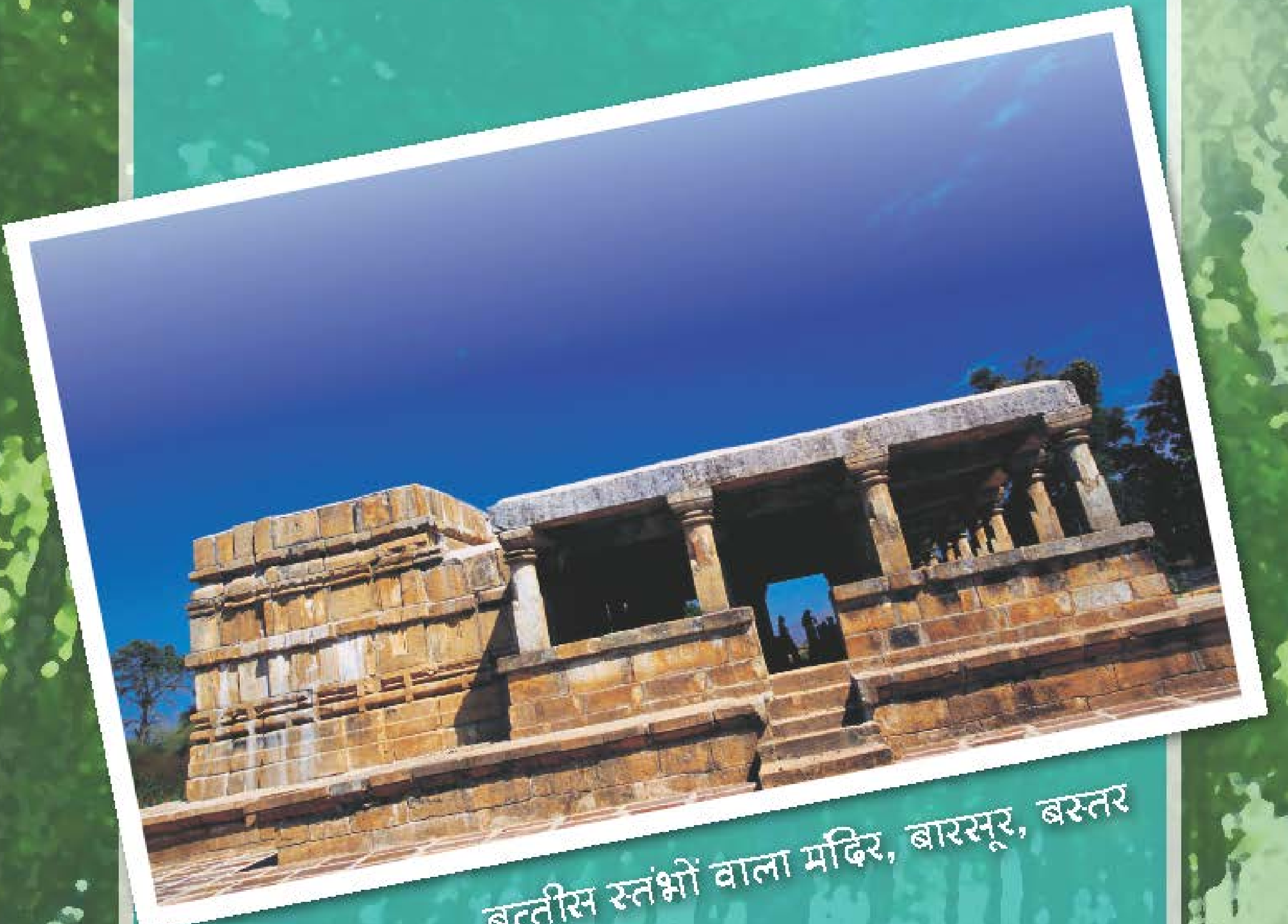

बत्तीस स्तंभों वाला मंदिर, बारसूर, बस्तर

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर